

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए. के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेन्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. 10663/23 Shri Shah Monik Mahesh, Director, M/s Eshyasi Pharma Limited, Plot No.- 19 & 20, Industrial Area, Meghnagar District - Jhabua (M.P.)- 457779, Prior Environment Clearance for Proposed Project for Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients and Intermediates in an area of 0.36 ha. 1800.0 Sqmt. (19375.038 sqft). Capacity - 252 TPA. Plot 19 & 20, Village-Meghnagar, Tehsil-Meghnagar, District - Jhabua (M.P.). (Query EIA.)**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Project for Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients and Intermediates in an area of 0.36 ha. (252 TPA) (Khasra No. Plot 19 & 20), Village-Meghnagar, Tehsil-Meghnagar, District-Jhabua (M.P.). **Category 5 (f).**

- Earlier EC Recommended in 736<sup>th</sup> SEAC Meeting Dated 03/04/2024.
- Earlier Case referred in 848<sup>th</sup> SEIAA Meeting Dated 02/05/2024.

1. यह परियोजना प्लॉट नंबर 19 एवं 20 पर 0.36 हेक्टेयर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया मेघनगर में एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स के उत्पादन (252 TPA) के लिए प्रस्तावित है।
2. SEAC की 696 वीं बैठक दिनांक 22.11.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 819वीं बैठक दिनांक 06.12.23 में मान्य करते हुए पत्र क्र 2284 दिनांक 18.12.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 736 वीं दिनांक 03.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 31 से 42 तक अंकित है।
4. ईमेल के माध्यम से दिनांक 02.05.24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किया गया कि :-

*“We are attaching herewith concerned pages from 736<sup>th</sup> SEAC meeting minutes. We had duly proposed discharge of Industrial Effluent to CETP Meghnagar in our EIA report. Also pleaded same during our presentation on 03<sup>rd</sup> April. However we were not granted discharge permission to CETP. Rather we were provided with condition to install MEE & ATFD, which is not acceptable to us and we have requested amendment of same to SEAC. Concerned pages from minutes of meeting herewith for your ready reference. For your updation Meghnagar CETP is to be issued CTO soon and thereafter we will also be granted permission by SEAC/ SEIAA. We therefore request you to kindly Postpone / keep on Hold our SEIAA appraisal, until we are allowed with condition to discharge to CETP.”*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

Hence, wrt above the case was scheduled for presentation in this meeting wherein the case was presented by Environmental Consultant Shri Shubham Dubey from M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.) behalf of PP . During presentation Environmental Consultant submitted that:

- M/s Eshyasi Pharma Limited' wants to establish their *Active Pharmaceuticals and Intermediates manufacturing* plant in Meghnagar Industrial Area, District- Jhabua
- The case was presented in SEAC 736 meeting dated 03.04.2024, EC was recommended in this meeting.

**PP submitted that following correction/ repaced is needed in the EC conditions recommended in the SEAC 736 meeting dated 03.04.2024**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

S.No.	Typo Error Points in MoM	Corrected information
1.	Total Plot Area-600 m <sup>2</sup>	3600 m <sup>2</sup>
2.	Water requirement-5 KLD	40 KLD
3.	The industry shall install ETP for treatment of industrial effluent followed by MEE & ATFD to achieve ZLD.	It is committed that we will send industrial effluent to CETP , Meghnagar after Primary treatment for this purpose We have obtained the membership of CETP, Meghnagar
4.	-	Total power requirement of the Project : 250 KVA
5.	-	Quantity of Maximum allowed daily industrial effluent and domestic effluent shall be 15 KLD & 5KLD respectively

PP's environmental consultant has submitted the revised details of which was placed before the committee and the same found satisfactory and **acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Proposed Project for Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients and Intermediates by M/s. Eshyasi Pharma Limited at Plot No.19 and Plot No. 20, Industrial Area, Meghnagar, District Jhabua (Madhya Pradesh).**

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 736 वीं बैठक दिनांक 03/04/2024 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

Proposed Project for Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients and Intermediates by M/s. Eshyasi Pharma Limited at Plot No.19 and Plot No. 20, Industrial Area, Meghnagar, District Jhabua (Madhya Pradesh), Cat. -5(f). Subject to the following special conditions:

**(A) Statutory compliance:**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

**(B) Air quality monitoring and preservation**

1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate this system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines as follows:

<b>Sr. No.</b>	<b>Source of emission With Capacity</b>	<b>Stack Height (meter)</b>	<b>APCM</b>
<b>1</b>	Boiler  (upto 1.0 TPH)		Bag filter, Multi cyclone and water scrubber.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

<b>2</b>	Boiler (upto 4.0 TPH)	30 meters common chimney	
<b>3</b>	Thermic Fluid Heater (upto 3 Lakh Kcal/hr.)		Adequate Stack Height
<b>4</b>	D. G. Set (upto 125 KVA) - 2 Nos.	11 meters	Adequate Stack Height

Sr. No.	Stack attached to	Stack Height	Air Pollution Control System	Parameter
1	Process Vent - 1	12 m	Two Stage Water + Alkali Scrubber	HCL SO2
2.	Process Vent - 2	12 m	Two Stage Alkali Scrubber	H2S
3.	Process vent - 3	12 m	Two Stage Water + Alkali Scrubber	Cl2
4.	Process vent - 4	12 m	Two stage water scrubbers	HBr
5.	Process vent - 5	12 m	Chilled water and acidic scrubber	NH3
6.	Dryers exhaust – 1	12 m	Bag Filter	Particulate Matter
7.	Dryers exhaust – 2	12 m	Bag Filter	Particulate

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

				Matter
--	--	--	--	--------

4. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
5. The DG sets 2x125 kVA each existing shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
6. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
7. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161<sup>th</sup> November, 2009 shall be complied with.

**(C) Water quality monitoring and preservation**

1. The PP shall obtain membership from CETP, Meghnagar.
2. The project proponent shall provide primary treatment facility for treatment of effluent.
3. After primary treatment, clear treated effluent from PST shall be collected in Treated Effluent Sump (TES) and aeration shall be given before final disposal to CETP.
4. PP Shall maintain the record of effluent generated and given to the CETP for treatment on regular basis.
5. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
6. Total fresh water requirement shall not exceed 40 KLD and as proposed, in case, if in-house bore or tube well is required, then CGWA permission shall be obtained before extracting ground water.
7. Quantity of Maximum allowed daily industrial effluent and domestic effluent shall be 15 KLD & 5KLD respectively.
8. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
9. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.

10. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

**(D) Noise monitoring and prevention**

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (2x125 kVA each for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

**(E) Energy Conservation measures**

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. The total power requirements for project will be 250 KVA.
3. The power will be supplied by MPPKVCL.

**(F) Waste management**

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as follows:

Sr. No.	Type/Name of Hazardous Waste	Source of Generation	Category and Schedule As Per Hw Rules	Quantity (Mt/Annum)	Disposal Method
				TOTAL	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

1	ETP Sludge	ETP	SCH-I/35.3	120	Collection, Storage, Transportation & sent to co-processing or approved TSDF site.
2	Residue From Distillation	Distillation	SCH-I/36.1	40	Collection, Storage, Transportation & Send To Cement Industries For Co-Processing Or Incineration At CHWIF.
3	Organic Process Waste	Process	SCH-I/28.1	60	
4	Used Oil	Equipment And Utility Maintenance, Dg Set	SCH-I/5.1	2	Collection, Storage, Transportation & Sell to registered re-cycler / Refiners.
5	Spent Solvents	Process	SCH-I/28.6	2500	Collection, Storage, In-house distillation and re-use within plant premises or sold to end user under Rule-9 permission.
6	Inorganic Solid Waste	Process	SCH-I/28.1	30	Collection, Storage, Transportation & send to approved TSDF site.
7	Ash	Burning Of Fuel In Utility	NON-HAZARDOUS Z14 (Z)	104	Disposal by selling it to brick manufacturers / cement industries / leveling within premises.
8	Spent Catalyst	Process /R&D	SCH-I/28.2	32	Collection, Storage, Transportation & Sell to registered regenerator OR back to supplier for regeneration.
9	Spent Carbon	Manufacturing Process	SCH-I/28.3	10	Collection, Storage, Transportation & Send For Co-Processing Or To Incineration In CHWIF.
10	Off Specification Products	Manufacturing Process / R&D / Date Expired Raw Materials	SCH-I/28.4	2	Collection, Storage, Transportation & Send For Co-Processing Or Incineration At CHWIF.
11	Hydrochloric Acid (Dilute / Spent)	Scrubber / Hcl Gas Generator	SCH-II/B-15	100	Collection, Storage, Transportation and sold to end user having permission under rule-9.
12	Sulphuric Acid (Dilute/Spent)	Scrubber / HCL Gas Generator	SCH-II/B-15	30	Collection, Storage, Transportation and sold to end user having permission



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

					under rule-9.
13	Inorganic Acids	Process	SCH-II/ B-15	100	Collection, Storage, Transportation and sold to end user having permission under rule-9.
14	Discarded Containers/ Drums/ Barrels	Raw Materials/Products/Packing Materials	33.1	3600 NOS.	Collection, Storage, Transportation & send to registered re-cycler after decontamination OR re-use OR send back to supplier
15	Discarded Bags / Liner	Raw Materials/Products/ Packing Materials	33.1	1	Collection, Storage, Transportation & send to registered re-cycler after decontamination OR re-use OR send back to supplier.
16	Date Expired Products	Products	SCH-I / 28.5	1	Collection, storage, transportation & send for co-processing or incineration in CHWIF.
17	Hydrobromic acid (Dilute/Spent)	Scrubber / Process	SCH-II/B-15	20	Collection, Storage, Transportation and sold to end user having permission under rule-9.
18	Sodium Hypochlorite (Dilute/Spent)	Scrubber / Process	SCH-II/B-15	10	Collection, Storage, Transportation and sold to end user having permission under rule-9.
19	Spent Diatomaceous Earth	Manufacturing process	SCH-II/28.2	10	Collection, Storage, Transportation & send to approved TSDF site.
20	Contaminated cotton rags and other cleaning material	Contaminated and oil swabbed cotton and rags	SCH-I / 33.2	2	Collection, Storage, Transportation & send for co-processing or to incineration in CHWIF.
21	Sludge from wet scrubbers	Scrubber	37.1	2	Collection, Storage, Transportation and send to approved TSDF site.
22	Discarded Filter bags, filter elements, membranes and pads of filters, centrifuges and dryers.	Process Equipment	33.1	5000 NOS.	Collection, Storage, Transportation & send to registered re-cycler after decontamination
23	Used Personnel	Used By	--	2	De-contamination, and

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	Protective items like mask, caps, aprons etc.	Employees And Visitors			disposal to authorized scrap vendor or recycler.
24	Spent adsorbents such as silica gel, molecular sieves, activated alumina	Used In Process And Utility	SCH-I/28.2	50	Collection, Storage, Transportation and send to approved TSDF site.
25	Sodium Bisulfite (22%)	Scrubber	SCH-II/B-15	32	Collection, Storage, Transportation and sold to end user having permission under rule-9.
26	Ammonium sulfate	Scrubber	SCH-II/B-15	48	Collection, Storage, Transportation and sold to end user having permission under rule-9.
27	Chemical containing residue arising from decontamination	Decontamination of barrels / packing materials of chemicals	SCH-I / 34.1	1	Collection, Storage, Transportation and send to approved TSDF site.
28	Spent Ion exchange Resin	Purification and treatment of water	SCH-1/35.2	0.5	Collection, Storage, Transportation and send to approved TSDF site.

3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.
5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.

8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
10. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
13. ETP sludge, process inorganic salt shall be disposed off to the TSDF.

**(G) Green Belt**

1. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature.
3. PP will develop 33.33% green area (1200 sqm). PP also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

**(H) Safety, Public hearing and Human health issues**

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Firefighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

**(I) Corporate Environment Responsibility**

1. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1<sup>st</sup> May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
2. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
3. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly report to the head of the organization.
4. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
5. The proposed EMP cost is Rs. 42 lakhs and 5.5 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 2 lakhs and Rs. 3 lakhs is proposed for green belt development.
6. Under CER activity, capital cost is Rs. 7 lakhs.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

S.No.	Particulars	Total in lacs	First year	Second Year	Third Year
1	Distribution of oral hygiene kit in Primary School Agral, Eklavya Model Residential School Agral and Govt middle school Meghnagar	1.5	0.5	0.5	0.5
2	Skill development programme for youth of the surrounding villages (Ghosaliya Bara, Berawali, Amlipathar) through ITI.	2.6	1	1	0.6
3	Rain water holding structure in 10 km periphery rural villages.	2.7	1	1	0.7
	<b>Total in lac</b>	<b>7</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>1.70</b>

6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
7. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

**X. Miscellaneous**

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**2. Case No. 9352/22 M/s Basa Buildcon Partner- Shri Abul Vakar, R/o- G-9, Jhumera Complex Near Hotel Manal, A.B. Road Vishwas Banjari, Post - Bhatkhedi, Tehsil. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (Expansion Stone Quarry from 22022 Cum per annum to 75000 Cum per annum) (Khasra No. 1022/2), Village - Kheda, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) EIA.**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक अबुल वकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	बासा बिल्डकॉन पार्टनर श्री अबुल वकार पिता श्री अब्दुल कलाम, निवासी -9, जुमेरा कॉम्प्लेक्स, नियर होटल मनाल, ए.बी. रोड, वि वास बजारी, पोस्ट भाटखेडी, तहसील-महुँ, जिला इन्दौर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1022/2 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.00 हेक्टेयर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम खेड़ा, तहसील पीथमपुर, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक - 1647/उ.प./न.क./04/खनिज/2019-20, दिनांक 12.06.2019 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 48/DEIAA/2017 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा पत्थर-22,002 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरम— 75,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1326/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 27.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1326/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1326/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका पीथमपुर, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 520/पंचा/07, दिनांक 24.05.2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के समीप स्थित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 10 जिनको काटा नहीं जावेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में 300 मीटर पर कच्ची सड़क है दक्षिण दिशा – 235 मीटर पर औद्योगिक क्षेत्र है उत्तर -पश्चिम दिशा में 325 मीटर आबादी क्षेत्र है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक- 29 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	27.09.2023 को जनसुनवाई का आयोजन हुआ जिसमें लोगों को

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

कोई आपत्ति नहीं है

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	20 प्रतिशत पाई गई
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	आंशिक रूप से
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	आंशिक रूप से
पौधारोपण की स्थिति	20 पौधे लगाये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट।	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

**SEAC की 752 वीं बैठक दिनांक 16/05/2024** प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के के.एम.एल. इमेज को-ऑर्डिनेट्स पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं। अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-ऑर्डिनेट संबंधी खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कर समिति के सामने पुनः ऑनलाइन एडी एस के पश्चात प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

प्रकरण को आज दिनांक 04/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अबुल वकार ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और प्रस्तावित खदान के को-ऑर्डिनेट संबंधी खनिज अधिकारी से प्रमाणित कर पत्र क्रमांक 963/खनिज/2024-25 धार दिनांक 07/05/24 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, समिति द्वारा पूर्ण प्रकरण सुन लिया गया।



## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि पट्टा क्षेत्र के उत्तर दिशा में 10 पेड़ आने के कारण 60 मीटर का सेटबैक दिया गया है एवं बताया कि पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से सत्यापित करवा ली गई है जिसका पत्र क्रमांक 18-D60/(2024)/DEIAA दिनांक.13/05/2024 है परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विभिन्न शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति मांग करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 75,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
8. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
9. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

### पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	75,000	30,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी प्वाइंट आदि का विकास-लंबाई)x चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 500 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	4,50,000	50,000
3.	वृक्षारोपण	6,03,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों/वर्ष के लिए/	-	1,26,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक वाटर ) 50-30/कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलरवर्ष /2000 .और रु ( रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	50,000	6,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो ) बार प्रति श्रमिक500 रु(	-	25,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	37,500
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु . /2000 प्रणाली और रु / 5000वर्ष रखरखाव।	10,000	2,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	8,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@/8000 प्रकाशवेब साइट ( ) विकास एवं रखरखाव@ रु5 ./,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ (3500खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड )@ /2000सोलर आदि (	50,000	5,000
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 700 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4 एवं मजदूरी	45,000	20,000
15.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ (श्रम/ रुपये 500	-	12,500
16.	विन्ड ब्रेकिंग वाल (780 मीटर )लगाई जाएगी )@ रु.1000(मीटर/	7,80,000	20,000
17.	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का 7.50 लंबाई)पुनःभरण किया जायेगाx चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 230 मीटर	1,38,000	
18.	कार्बन उत्सर्जन को कम करने के 1000 लिए पेड़ों को अडॉप्ट किया जाएगा	1,00,000	3000
	<b>कुल योग</b>	<b>24,14,000</b>	<b>4,64,000</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

10. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.00. लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम खेडा में भासकीय विद्यालय में अधो संरचना विकास हेतु पालक शिक्षक संग में राशि जमा कराई जायेगी ।	2,00,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर जोन में 560 मीटर की लम्बाई पर 3 लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा )	सीताफल, नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु, आदि।	420
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (600 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनों में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, करंज, कदम, चिरोल, आदि	600
3	आस पास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1980
4	नॉन माइनिंग जोन में किया जाने वाला पौधारोपण	नीम, पीपल, करंज, कदम, चिरोल, आदि	600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशांसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशांसा की जाती है ।

3. **Case No. P2/642/24 Shri RATANCHAND JAIN, lease owner, R/o- 690,civil ward 06, jain mandir ke samne, 12 nemi nagar , damoh khas, District-Damoh(M.P.)-470661. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.452 ha. (8,003 cum per**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**annum) (Khasra No. 81/1) Village - Jujharpur, Tehsil- Buxwaha, District- Chhatarpur, (M.P.). TOR**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**4. Case No. P2/919/24 Shri Arpit Jain, Mahadev Minerals, D- 107 Harishankar Puram Lashkar Gwalior Gwalior Madhya Pradesh- 474001, Prior Environment Clearance for MAHARAJAPUR KHANDA/DHOKA & M- SAND QUARRY with production its annual production is 1,50,000 M3/ Year (M- Sand - 1,42,500 & Khanda/Dhoka- 7,500). Village- Maharajapur, Tehsil- Dabra District- Gwalior, (MP) Lease Area: 4.00 Ha, Khasra No -611, Production-: 1, 50,000 M3/ Year (M- Sand - 1, 42,500 & Khanda/Dhoka- 7,500). B2 Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arpit Jain, Online Mahadev Minerals एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/S Mahadev Minerals Partner Shri Pushpendra Singh Rana R/o - D107 Harishankarpuram Lashkar, District- Gwalior (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	611 (शासकीय - भूमि)	4.00 hectare.	
स्थल	Village- Maharajapur, Tehsil- Dabra, District- Gwalior (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 3362-64 दिनांक 14/03/2024 के द्वारा स्वीकृत।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 15/04/2024, क्षमता- - 1,50,000 घनमीटर/वर्ष, खण्डा ढोका - 7,500 घनमीटर/वर्ष, एम.-सेण्ड - 1,42,500 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी- 2।
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम-महाराजपुर, दिनांक- 21/03/2024
कुल उत्पादन क्षमता	<b>क्षमता</b> – 1,15,000 घनमीटर/वर्ष, खण्डा ढोका – 7,500 घनमीटर/वर्ष, एम.-सेण्ड – 1,42,500 घनमीटर/वर्ष,
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 751 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 751 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 751 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता कच्चा रास्ता /नाला नहीं है। एवं मानव बसाहट लगभग 150 मीटर एवं शैक्षणिक संस्थान लगभग 250 मीटर और चिकित्सालय लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महाराजपुर जिला ग्वालियर ठहराव प्रस्ताव क्र.08 दिनांक 14/04/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवदित लीज क्षेत्र में 8 पेड़ हैं। जिन्हें नो माईनिंग एरिया में रखा गया है। जो काटे नहीं जायेंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- मानव बसाहट क्षेत्र लगभग 120 एवं पक्का रोड लगभग 220 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पूर्व दिशा- उत्तर पूर्व में मानव बसाहट क्षेत्र लगभग 117 मीटर एवं उत्तर पूर्व में पक्का रोड लगभग 215 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा- दक्षिण पूर्व में मानव बसाहट क्षेत्र लगभग 130 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पश्चिम दिशा- नहर लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	01/05/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता (खण्डा ढोका- 7,500, एम.-सेण्ड- 1,42,500) कुल क्षमता - 1,15,000 घनमीटर /वर्ष ,
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 20.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.73 लाख प्रति वर्ष

### 1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	95,445	-
1(b)	Water requirement- 2.121 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) <b>Plantation within lease</b> @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 Rs= <b>2,40,000/-</b>	15,000
	b) <b>Plants to be distributed in nearby villagers</b> : @ Rs. 50/plant.	3000 plants × 50 Rs= <b>1,50,000/-</b>	
	c) <b>Plantation Along the Approach Road</b> @ Rs.300/plant	600 plants × 300 Rs= <b>1,80,000/-</b>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>930 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	1,80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>925 m</b> ) @200 rupees/meter.	1,85,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For	-	35,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	35Labors -35× 500 × 2 )		
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 35workers - 35× 1500 )	52,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	<b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b> 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	1. Slurry Management Equipment: A) Slurry Pump Rs. 1,20,000 B) 2 Washing Tank (i.e 50,000 x 2) Rs.1,00,000 C) Slurry Tank Rs. 50,000 D) 2 Water Pump (i.e 20,000 x 2) Rs. 40,000	3,10,000	20,000
18	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1,404 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,40,400	
19	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
	<b>TOTAL</b>	<b>20,25,530 /-</b>	<b>1,73,000/-</b>

## 2. CER Table

12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 2,00,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम महाराजपुर के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	2,00,000/-

## 3. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय	1200

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

		प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3000
<b>योग</b>			<b>4800</b>
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**5. Case No. P2/915/24 Shri Rajeev Sharma, D-2/001 Windsor Hills, New City Centre, Sirol, Gwalior, Sirol, Murar, Gwalior, Gird, (M.P.) - 474006. Prior Environment Clearance for Urhana Stone Quarry Khasra No.- 1251, an Area of 2.50 Ha. in Village- Urhana , Tehsil- Morena, District- Morena (M.P.). with Production Stone - 34,000 M3/Year. B2. (DEIAA to SEIAA Case) .**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री रतीराम शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rajeev Sharma, S/o Shri Ratiram Sharma R/o- 2/01, Windsor Hills, Newcity Center, District- Gwalior (M.P.)



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1251 (शासकीय- भूमि )	2.50 hectare.
स्थल	Village- Urhana, Tehsil- Morena, District- Morena (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 280 दिनांक 04/03/2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 29/09/2023, क्षमता- पत्थर 34,000 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम-उरहाना, दिनांक- 19/02/2024	
उत्पादन क्षमता	क्षमता- पत्थर 34,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 31/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 31/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 31/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत उरहाना जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्र. 5 दिनांक 15/06/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लिज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- स्टाप डैम लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा- सुरभी दुग्ध डेयरी लगभग 220 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं उत्तर पूर्व में एक जल रोकने की संरचना लगभग 155 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पूर्व दिशा- जल रोकने की संरचना लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं जिससे 20 मीटर का सेटबैक दिया गया है। सेटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 1.8381 हेक्टेयर है और नो माईनिंग एरिया 0.6619 हेक्टेयर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	03/05/2024 परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की यह खदान 2016 को 10 वर्ष के लिये श्री अशोक कुमार शर्मा के नाम स्वीकृत हुई थी जिसकी डिया की NOC दिनांक 01/08/2016 को प्राप्त हुई श्री अशोक कुमार शर्मा के अस्वस्थ हो जाने के कारण ये खदान संचालित नहीं हो पाई सेश अवधि के लिए 04/03/2022 को खदान श्री राजीव शर्मा के नाम नामात्रित हो गई इस कारण डिया की सारी शर्तें राजीव शर्मा के द्वारा डिया के पिछले कार्य आगामी 6 माह पूरे करा दिये जायेंगे।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक/क्यू./3/मा.रा./DEIAA/प्र.कं./58/2016 दिनांक 01/08/2016 के द्वारा पत्थर - 34,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनर् मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	श्री अशोक कुमार शर्मा के अस्वस्थ हो जाने के कारण ये खदान संचालित नहीं हो पाई शेष अवधि के लिए 04/03/2022 को खदान श्री राजीव शर्मा के नाम नामात्रित हो गई इस कारण डिया की सारी शर्तें राजीव शर्मा के द्वारा डिया के पिछले कार्य आगामी 6 माह पूरे करा दिये जायेगा  समिति ने गूगल ईमेज देखने पर पाया कि लीज क्षेत्र एवं बैरियर जोन में खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं गारलेण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक एवं पौधारोपण भी नहीं पाये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	
पौधारोपण की स्थिति	
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान 34,000 घनमीटर/वर्ष
2. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- 3- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.64 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.43 लाख प्रति वर्ष

### 4. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	65,160	-
1(b)	Water requirement- 1.448 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (455 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	700 plants × 200 <b>Rs=1,40,000/-</b>	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1900 plants × 50 <b>Rs=95,000/-</b>	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	400 plants × 300 <b>Rs=1,20,000/-</b>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>793 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>788 m</b> ) @200 rupees/meter.	1,57,600	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25 × 500 × 2 )	-	25,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 8 workers - 25 × 1500 )	37,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15,000
18	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (772 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	77,200	-
<b>TOTAL</b>		<b>12,64,645/-</b>	<b>1,43,000/-</b>

**5. CER Table**

13. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

**6. Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **3000** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, आँवला जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	700
4	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल आँवला जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
5	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1900
<b>योग</b>			<b>300</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशांसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी क**

**6. Case No. P2/948/24 Shri Dharmendra Sharma, Bajrang Gali , Islami pura , Ward - 04, Joura Morena (M.P.) – 476221, Prior Environment Clearance for Narhela Stone Quarry at Khasra No.– 2052, an Area of 1.50 Ha., Village- NARHELA, Tehsil- Joura, District- MORENA (M.P.) with Production: Stone – 7,000 M3/ Year. B2 Case- DEIAA to SEIAA.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Dharmendra Sharma एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Dharmendra Sharma, S/o Shri Khacheri Lal Sharma R/o Mohalla Bajrang Gali, Islammpura, Joura, Tehsil- Joura & District- Morena	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2052 (शासकीय- भूमि )	1.50 hectare.
स्थल	Village- Narhela, Tehsil- Joura, District- Morena (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 404 दिनांक 04/04/2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	क्षमता— पत्थर 7,000 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर	माईनिंग प्लान	डीएसआर

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम-नरहेला, दिनांक- 07/01/2024	
उत्पादन क्षमता	क्षमता- पत्थर 7,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 145 दिनांक 09/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 145 दिनांक 09/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 145 दिनांक 09/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नरहेला जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्र. 11 दिनांक 14/04/2011 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लिज क्षेत्र के बाहर है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं ।	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— कच्चा हालेज रोड लगभग 45 मीटर की दूरी पर स्थित हैं जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा बनाया गया है। एवं 512 मीटर की दूरी पर नहर स्थित है। खदान में ओफिस आस्थाई रूप से बने है।
	पश्चिम दिशा— दक्षिण पश्चिम दिशा में मानव रहवासी क्षेत्र लगभग 320 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं कच्चा हालेज रोड लगभग 73 मीटर की दूरी पर स्थित हैं एवं 640 मीटर की दूरी पर नहर स्थित है।
	दक्षिण दिशा— मानव रहवासी क्षेत्र लगभग 312 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पत्र क्रमांक/खनिज/2024/ 520 मुरैना दिनांक 04/06/2024 खनिज अधिकारी के अनुसार उक्त खदान 2012 में स्वीकृत हुई थी जबकि उक्त खदान क्षेत्र में एवं खदान के आस पास क्षेत्र में जो गड्ढे हैं 2010 में नहर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को टम्परेरी परमिट स्वीकृत हुआ था जिसके द्वारा यह गड्ढा 2010-11 में किया गये थे
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	05/05/2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक/क्यू/3/मा.रा./DEIAA/प्र.कं/27/2016.दिनांक 30/05/2016 के द्वारा पत्थर – 7,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Dharmendra Sharma, Bajrang Gali , Islami pura , Ward - 04, Joura Morena (M.P.) – 476221, Prior Environment Clearance for Narhela Stone Quarry at Khasra No.– 2052, an Area of 1.50 Ha., Village- NARHELA, Tehsil- Joura, District- MORENA (M.P.) with Production: Stone – 7,000 M <sup>3</sup> / Year. B2 Case- DEIAA to SEIAA. SIA/MP/MIN/ 466429/2024.
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 2052, एरिया— 1.50 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village- NARHELA, Tehsil- Joura, District- MORENA (M.P.)
Activity	This is a stone quarry. This Case belonging to B2 category due to the proposed excavation area is Cluster of Mines In these 5 hectares. We are using open cast semi mechanized mining method of production.
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – मुरैना के पत्र क्र०. क्यू एल 74/2021/404 दिनांक 04/04/2022.
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	BROAD BLASTING & DRILLING PARAMETERS.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मुरैना द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र०. क्यू/3/प्र.क्र./27/2016 मुरैना दिनांक 30/05/2016. (स्टोन – 7,000 घनमीटर/वर्ष).
उत्पादन क्षमता	● <b>स्टोन – 3500 घनमीटर/वर्ष।</b>
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>मुरैना</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 145 दिनांक 09/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.30 हे. होता है, अतः प्रकरण <b>बी-2</b> श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 145 दिनांक 09/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 145 दिनांक 09/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – नरहेला, जिला – <b>मुरैना</b> द्वारा जारी प्रस्ताव क्र०. 11 दिनांक 14/04/2013 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– .
	दक्षिण पश्चिम दिशा– आबादी लगभग 508 मी.
	पूर्व दिशा– पश्चिम दिशा–
जल/वायु सम्मति वैधता	PCB ID:21197, Consent issued dt. 26/01/2020, Valid up to 26/10/2020.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .20 पेड़ लगाये गये एवं 500 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

लीज क्षेत्र के बाहर खुदा हुआ दिख रहा है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें एवं उनसे इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें।

**7. Case No. P2/918/24 Shri SANJAY MALOO, Authorized Person, 27,i Ishwar complex, C.V rahman ward Barapatthar, Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.3 ha. (Stone-38,220 cum per annum & M Sand-22,295 cum per annum) (Khasra No. 32) Village KUKLAH Tehsil Seoni District Seoni (M.P.). SIA/MP/MIN/471129/2024 DEIAA-New (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**8. P2/910/24 Shri SUNEEL SINGH, PROJECT PROPONENT, R/O - VILLAGE - DUARA, TEHSIL - HUZUR, DISTRICT - REWA, (M.P) Prior Environment Clearance for SOIL/CLAY BRICKS Mine in an area of 1.82 ha. (&8428 cum per**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**annum) (Khasra No. 1245,1223,1225) Village TIKAT KALAN Tehsil Churhat District Sidhi (M.P.). [MIN/469849/2024] B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri SUNEEL SINGH, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. राम प्रसाद, ऑनलाईन मेसर्स Forest Environment and Climate Change Management Consultancy(FECCM) Pvt Ltd. Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SUNEEL SINGH, PROJECT PROPONENT, R/O - VILLAGE - DUARA, TEHSIL - HUZUR, DISTRICT - REWA, (M.P)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1245,1223,1225 (निजी एवं सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.82 hectare.
स्थल	Village TIKAT KALAN Tehsil Churhat District Sidhi (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के पत्र क्रमांक 262 दिनांक 07/03/24 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लैस्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लैस्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता SOIL/CLAY BRICKS-8428 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता SOIL/CLAY BRICKS-8428 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 337 दिनांक 19/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 337 दिनांक 19/03/24 अनुसार सरंक्षित क्षेत्र सोन घड़ियाल अभयारण्य 2. 236 कि.मी दूरी पर है, शेष अन्य 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभयारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 337 दिनांक 19/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टीकट कलां जिला सीधी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 02/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र पेड़ों से आच्छादित है
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड लगभग 130 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के पत्र क्रमांक 845 दिनांक 10/05/24 अनुसार उक्त को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

लीज क्षेत्र पेड़ों से आच्छादित दिख रहा है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस संबंध में विषय विशेषज्ञ से पेड़ों की इन्वेन्ट्री प्रजातिवाद एवं गोलाई के साथ डीजिटल जियोटेग फोटोग्राफ (कम से कम 10 फोटो) के साथ प्रस्तुत करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

**9. P2/936/24 Shri Rajkumar, R/o- Village - Maithana, Tehsil- Murar, District- Gwalior, (M.P.), Prior Environment Clearance for Maithana Stone Quarry Khasra No.- 305/4, 311, 313, 316, an Area of 1.491 Ha. in Village- Maithana, Tehsil- Murar, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone – 10000 M3/ Year, B2 Case. [MIN/470361/2024] B2 Case.**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार किरार ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rajkumar Kirar, W/o Shri Dev Singh Kirar R/o – Village- Maithana, Tehsil –Murar, District- Gwalior (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	313, (शासकीय – भूमि) 305/4, 311, 316 (निजी – भूमि)	1.491 hectare.	
स्थल	Village- Maithana, Tehsil- Murar, District-Gwalior (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 3535-36 दिनांक 15/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 15/04/2024, क्षमता- पत्थर 10,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	पुनरीक्षित अक्षांश/ देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम- मैथाना, दिनांक- 17/04/2024		
उत्पादन क्षमता	क्षमता- पत्थर 10,000 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 749 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.189 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 749 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 749 दिनांक 25/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मैथाना जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्र. 1721 दिनांक 28/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।		
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लिज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।		
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं ।		

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— खदान से उत्तर दिशा में 51 मीटर में सदगुरु देव वेयर हाउस स्थित है जिसका खसरा क्रमांक 302, 301/2 है जो कि स्वयं कि निजी भूमि है। जिसकी वैधता पत्र क्रमांक खाद्य-गोदाम-लायसेंस/2011/1863 भोपाल दिनांक 24/09/2011 द्वारा दिनांक 30/06/2012 को समाप्त हो चुकी है। जिसको हमारे द्वारा Dismantal किया जा रहा है। और पक्का रोड लगभग 300 मीटर एवं कच्चा रोड लगभग 395 मीटर की दूरी पर स्थित हैं
	दक्षिण दिशा— नहर लगभग 170 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 30 मीटर का सैटबैक दिया गया है।
	सैटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 0.8198 हेक्टेयर हैं और नो माईनिंग एरिया 0.6712 हेक्टेयर हैं
	क्रेशर निजी भूमि खसरा क्रमांक 305/4 पर लगाया जायेगा। उक्त खदान का डी जी पी एस सर्वे करवाया गया जिसकी रिपोर्ट सेक के प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत कि गई हैं।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/05/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान—10,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. क्षतिपूर्ति के संबंध में:—
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 9.70 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.30 लाख प्रति वर्ष

### EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	36,090	-
1(b)	Water requirement- 0.802 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300		

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (370 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
	<b>PLANTATION SCHEME</b>		
3.	a) <b>Plantation within lease</b> @ Rs. 200/plant.	400 plants × 150 Rs=60,000/-	1,70,000
	b) <b>Plants to be distributed in nearby villagers</b> : @ Rs. 50/plant.	1200 plants × 50 Rs=60,000/-	
	c) <b>Plantation Along the Approach Road</b> @ Rs.300/plant	200 plants × 250 Rs=50,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>540 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>535 m</b> ) @200 rupees/meter.	107,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 12 Labors -12× 500 × 2 )	-	12,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 12 workers - 12 × 1500 )	18,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	<b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. One solar light, (@ Rs. 8000/light)</li> <li>2. Web site development &amp; Maintenance</li> <li>3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)</li> <li>4. Display Board at mine entrance.</li> </ol>	22,000	-
17	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15,000
18	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (676 LED Bulb × 100 Rs / Bulb)	67,600	-
	<b>TOTAL</b>	<b>9,70,875/-</b>	<b>1,30,000/-</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर. मद से 1,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मैथाना के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	400
2	नो माईनिंग जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	400
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
<b>योग</b>			<b>1800</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**10. Case No. P2/922/24 Shri Alok Gupta, Partner, M/s Rajas Marble Industries, 1024 Bai ka Bagicha Ghamapur Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.) Prior Environment**



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**Clearance for Marble Mine in an area of 4.80 ha. (Marble-3801 cum per annum Saleable waste- 7059 cum per annum) (Khasra No. 226/1, 226/2, 227, 228) Village Ghutehi, Tehsil- Majhauri, District- Jabalpur (M.P.). SIA/MP/MIN/467984/2024 (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**11. Case No. P2/914/24 Shri AMZAD KHAN, Lessee, 7/60 Patel Nagar Ward No. 7 Pithampur Tehsil Pithampur District Dhar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone Gitti - 17459 cum per annum) (Khasra No. 642) Village – Khandwa, Tehsil – Pithampur, Dhar (M.P.) TOR SIA/MP/MIN/468243/2024**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**12. Case No. 10682/2023 Shri AKHILESH GOSWAMI, Owner, Goswami Dharamkanta, Gram Pathra, Post- Badhora No. 1, Tehsil- Badwara, Dist. Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 12.00 ha. (Laterite- 4949 TPA, Fireclay- 46111 TPA & Mine waste- 8560 TPA) (Khasra No. 79 and 80) Village- PARBAL Tehsil- Vijayraghavarh District Katni (M.P.). EIA (SIA/MP/MIN/473944/2024)**

प्रस्तावित खदान का पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri AKHILESH GOSWAMI, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विएटिव इन्वायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri AKHILESH GOSWAMI, Owner, Goswami Dharamkanta, Gram Pathra, Post- Badhora No. 1, Tehsil- Badwara, Dist. Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	79 and 80 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	12.00 hectare.
स्थल	ग्राम PARBAL तसहील Vijayraghavgarh जिला Katni (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1437 दिनांक 02/02/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
टॉर	सेक की 598वीं बैठक दिनांक 07/12/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2489 दिनांक 05/01/24 के द्वारा लेटराईट-4,949 टीपीए, फायरक्ले-46,111 टीपीए एवं माइन वेस्ट-8,560 टीपीए के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराईट-4,949 टीपीए, फायरक्ले-46,111 टीपीए एवं माइन वेस्ट-8,560 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार लेटराईट-4,949 टीपीए, फायरक्ले-46,111 टीपीए एवं माइन वेस्ट-4076 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 11/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 11/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 11/08/23 अनुसार 180 मीटर पर आबादी, 65 मीटर पर शासकीय स्कूल, 48 मीटर की दूरी पर नहर एवं 140 मीटर की दूरी पर बरछेका पढ़वई मार्ग स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है । नहर एवं स्कूल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़े जाने का उल्लेख भी है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरझेंका जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 08/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में 15 पेड़ हैं जिनमें से 09 पेड़ काटा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उनके द्वारा 220 पेड़ लगाये गये	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा— आबादी 30 मी. पर है इस संबंध में उनके द्वारा लगभग 0.79 हे. क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है जिसमें चारागाह का विकास किया जावेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

PP submitted following following information about the project :-

- The subject lease was granted under auction to M/s Goswami Minerals and proposed for Laterite and Fire Clay mining . The proposed project is an opencast mining project, All operations of mining, will be done different machines deployed for excavation, loading & transportation on single shift basis, shall form the complete agenda of mining operation. No blasting is required for mining of laterite and fire clay.
- The LOI was granted in year 2022 for subject mine . During presentation , habitation in north western has been observed. PP submitted that blasting is not required for laterite and fire clay mineral , however the same patch which is adjacent to the habitation will be non mining zone which is about 0.72 hact.
- Total 15 number of trees ahs been observed in the lease area and out of that 09 trees are required to be cut down. PP has already planted 220 number plants in the area and documentary evidence and photographs has been shown during the Presentation. 05 garland drain and 02 settling tank are proposed during operation As post land use plan, 2.5 hact of the area will be backfilled and 4.87 hact of area shall be converted into water body. At the same time Total 7.13 hact area will be converted as green belt with 14260 number of plants.

The presentation and other document placed before the committee and was found satisfactory and acceptable to the committee. The EIA/EMP and other submissions made

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for **grant of prior EC for excavation of excavation of Laterite And Fireclay Mineral , (ROM- 59620TPA (Laterite -4949TPA, Fireclay – 46111TPA, mine waste -8560TPA) (Area: 12 ha.) (KHASRA NO. 78, 80, Village- Barchheka , Tehsil-Badwara, Dist- Katni (MP) Gram- Pathra Tehsil- Badwara, Dist. Katni (MP)** subject to the following special conditions:

**(A) PRE-MINING PHASE**

1. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
2. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
3. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
4. PP will also carry out fencing all around the lease area.
5. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same, if applicable .
6. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
7. Haul road shall be compacted on regular interval and transport road will be made pucca road and shall be constructed prior to operation of mine.
8. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
9. Reject stone shall be sold only after approval of the State Government as per the prevailing rules & regulations.

**(B) MINING OPERATIONAL PHASE**

10. Muffle with NONEL system for Blasting shall be adopted for proposed mining, if required and no secondary blasting shall be done. Rock breaker shall be used wherever required
11. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

12. No dump shall be stacked outside the lease area.
13. Mechanized sprinklers shall be provided in mine.
14. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection.
15. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 14260 trees shall be planted on barrier zone, backfilled area, and along the road also.

<b>Proposed Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary</b>			
<b>Phase</b>	<b>Location</b>	<b>Name of Tree</b>	<b>No. of Plants</b>
1 <sup>st</sup> to 3 <sup>rd</sup> Year	In barrier zone (1833m x 7.5m= 13748sqm)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	2750
1 <sup>st</sup> to 3 <sup>rd</sup> Year	Non mining area (0.72ha)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	1050
5 <sup>th</sup> year to CP	backfilled area (2.50ha)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	5000
5 <sup>th</sup> to CP	Bench area (2.50ha)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	5460
		<b>Total</b>	<b>14260</b>
1 <sup>st</sup> year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	1000

16. Transportation of material shall be done in covered vehicles.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

17. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
18. The OB shall be reutilized for maintenance of road and for back filling . PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
19. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low lying areas and in rush of water into the mine. Five Garland drain and Two settling tank are proposed as water pollution control measure
20. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
21. For dust suppression mechanized sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
22. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

<b>Particulars</b>	<b>Details</b>
Type of Mine	Open Cast
Mining Lease Area	12.00 ha
Mineable Area	11.20 ha
Existing Pits & Quarries	Nil
Existing Dumps	Nil
Plantation	Nil
Mineable Reserve	Laterite- 60976T Fire Clay – 4567654T
Method of mining	Opencast semi-Mechanized Mining
Production capacity	Laterite – 4949TPA Fire Clay – 46111TPA
Ultimate Depth of Mining	21m bgl upto 364m MSL
Ultimate Pit Slope	45°
Expected Life of Mines	52 years

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

Lease Period	30 year
Stripping Ratio	1:0.14
mode to transportation	Road
Area to be covered under dumps in conceptual period	Nil
Area covered under pit in conceptual period	10.10 ha
Area to be rehabilitated by conceptual period by water Reservoir	4.87ha
Area to be backfilled using mine waste	2.50ha
Area to be developed as Green belt	4.00ha
Elevation	379-385AMSL
Ground water table	
Monsoon period	30-32 m bgl
Dry month	38-40 m bgl

23. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social up-liftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
24. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
25. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
26. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
27. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

**(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

28. In the proposed EMP, capital cost is Rs. 32.04 Lakh is proposed and Rs.13.27 Lakh /year as recurring expenses.

<b>Total Cost (EMP + plantation + Monitoring )</b>		
<b>Particular</b>	<b>Amount (Rs Lakh) per annum Capital</b>	<b>Amount (Rs Lakh) per annum - Recurring</b>
Dust Suppression through tanker over 325m road * 6.0m (30 Rs/km inclusive diesel exp, driver exp and maintenance) Approx running per day km 18.4km@300 day (over road) = 780km	-	0.24
<b>Sub Total</b>	-	<b>0.24</b>
Maintenance of Plantation 14260 (lease area) @ Rs 45/- per plant	-	6.42
Plantation (Capital cost) within lease area 14260no @140/-	19.96	-
Distribution of plantation at village 1000@50	0.50	-
<b>Sub Total</b>	<b>20.46</b>	<b>6.24</b>
Personal Protective Equipments (Mask, Gloves, Goggles) for 25labours@1500	-	0.38
Half yearly Medical Checkup facility, first aid and other welfare activities for 25labours@1000	-	0.25
Fire fighting arrangement 6kg fire extinguisher @2no @ 2000/-, Caution board,	0.04	0.01
<b>Sub Total</b>	<b>0.04</b>	<b>0.64</b>



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

MSW Waste Management 04 no. dusts bin capacity @2kg each @1000.00	0.04	0.10
<b>Sub Total</b>	<b>0.04</b>	<b>0.10</b>
Environmental Monitoring cost	3.50	4.80
<b>Sub Total</b>	<b>3.50</b>	<b>4.80</b>
PUC Certification of vehicles 2@500 per vehicles	-	0.01
Office, rest shelter etc	2.00	0.20
<b>Sub Total</b>	<b>2.00</b>	<b>0.21</b>
Game proof Fencing along the lease boundary 1833@300Rs	5.50	0.92@100Rs per meter
<b>Sub total</b>	<b>5.50</b>	<b>0.92</b>
Development of Fodder Plot	0.50	0.05
<b>Grand Total</b>	<b>32.04</b>	<b>13.37</b>

29. As per office memorandum vide no 22-65/2017/IA-III dated 30.09.2020, no financial budget under CER is being proposed. The commitment to address the concern raised during the public hearing issues with physical target shall be complied as below :

क्रं.	योजना/विवरण	कार्यक्षेत्र	लागत (रु में)
1	आंगनवाड़ी के उन्नयन हेतु आंगनवाड़ी के खाते में भूप्रवेश मिलने के तीन माहिने में जमा कर दिया जाएगा	ग्राम बरछेका	10000.00
2	स्कूल के उन्नयन एवं मरम्मत हेतु के स्कूल के खाते में भूप्रवेश मिलने के तीन माहिने में जमा कर दिया जाएगा	ग्राम बरछेका	100000.00
		<b>कुल (रु में)</b>	<b>200000.00</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

30. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
31. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

**13. Case No. P2/954/24 Shri SANJAY JAIN, LEESSEE, SANJAY KUMAR JAIN. DHAMASIA BHAWAN, JAWAHAR CHOWK, TIKAMGARH (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.90 ha. Pyrophyllite-14714 MTPA & Diaspore-300 MTPA) (Khasra No. 277/1) Village – Gudapali, Tehsil- Palera & District Tikamgarh (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/472402/2024**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय कुमार जैन आ. श्री गुलाब चन्द्र जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव, एसीरिज इंडिया प्रा.लि. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री संजय कुमार जैन आ. श्री गुलाब चन्द्र जैन धमासिया भवन, जवाहर चौक, जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय – हां – नॉन फॉरेस्ट लैंड	Ha. -5.163 संशोधित दिनांक 09/01/2023– 4.900 हे
स्थल	ग्राम गुड़ापाली, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक F□3-280/85/XII/2 दिनांक 24/06/1986 द्वारा 20 वर्ष हेतु 14/07/1986 से 13/07/2006 तक चूंकि खदान 24/06/1986 से स्वीकृत है अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 12/12/1996 प्रभावी नहीं होता है।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के ज्ञापन एफ-19-5-2015/12-1 दिनांक 12/03/2015 द्वारा अवधि 14/07/1986 से 13/07/2036 तक	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष-2016-17 - 0 वर्ष-2017-18 - 0 वर्ष-2018-19 - 0 वर्ष-2019-20 - 1791 मीट्रिक टन वर्ष-2020-21 - 1734 मीट्रिक टन																																																						
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।																																																							
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	<p style="text-align: center;"><b>माईनिंग प्लान</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>B.P. No.</th> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BP 1</td><td>24°56'33.07"N</td><td>79° 9'0.24"E</td></tr> <tr><td>BP 2</td><td>24°56'34.77"N</td><td>79° 8'57.39"E</td></tr> <tr><td>BP 3</td><td>24°56'39.47"N</td><td>79° 9'2.67"E</td></tr> <tr><td>BP 4</td><td>24°56'42.18"N</td><td>79° 9'6.42"E</td></tr> <tr><td>BP 5</td><td>24°56'42.85"N</td><td>79° 9'9.70"E</td></tr> <tr><td>BP 6</td><td>24°56'42.38"N</td><td>79° 9'12.40"E</td></tr> <tr><td>BP 7</td><td>24°56'41.46"N</td><td>79° 9'13.30"E</td></tr> <tr><td>BP 8</td><td>24°56'38.51"N</td><td>79° 9'8.71"E</td></tr> <tr><td>BP 9</td><td>24°56'35.73"N</td><td>79° 9'4.35"E</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>डीएसआर</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>B.P. No.</th> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BP 1</td><td>24°56'32.21"N</td><td>79° 8'56.89"E</td></tr> <tr><td>BP 2</td><td>24°56'40.81"N</td><td>79° 9'05.67"E</td></tr> <tr><td>BP 3</td><td>24°56'42.14"N</td><td>79° 9'08.86"E</td></tr> <tr><td>BP 4</td><td>24°56'41.37"N</td><td>79° 9'12.80"E</td></tr> <tr><td>BP 5</td><td>24°56'40.58"N</td><td>79° 9'13.17"E</td></tr> <tr><td>BP 6</td><td>24°56'36.67"N</td><td>79° 9'07.05"E</td></tr> <tr><td>BP 7</td><td>24°56'30.99"N</td><td>79° 8'59.46"E</td></tr> </tbody> </table> <p>चूंकि पूर्व में लीज क्षेत्र 5.163 हेक्टेयर जिसके कोर्डिनेट्स डीएसआर में सम्मिलित थे किन्तु खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश पत्र क्रमांक 79/574/2021/12-1 दिनांक 09/01/2023 अनुसार लीज क्षेत्र को 4.900 हेक्टेयर किया गया जिस कारण कोर्डिनेट्स स्वीकृत माईनिंग प्लान एवं डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान नहीं होता है।</p>	B.P. No.	Latitude	Longitude	BP 1	24°56'33.07"N	79° 9'0.24"E	BP 2	24°56'34.77"N	79° 8'57.39"E	BP 3	24°56'39.47"N	79° 9'2.67"E	BP 4	24°56'42.18"N	79° 9'6.42"E	BP 5	24°56'42.85"N	79° 9'9.70"E	BP 6	24°56'42.38"N	79° 9'12.40"E	BP 7	24°56'41.46"N	79° 9'13.30"E	BP 8	24°56'38.51"N	79° 9'8.71"E	BP 9	24°56'35.73"N	79° 9'4.35"E	B.P. No.	Latitude	Longitude	BP 1	24°56'32.21"N	79° 8'56.89"E	BP 2	24°56'40.81"N	79° 9'05.67"E	BP 3	24°56'42.14"N	79° 9'08.86"E	BP 4	24°56'41.37"N	79° 9'12.80"E	BP 5	24°56'40.58"N	79° 9'13.17"E	BP 6	24°56'36.67"N	79° 9'07.05"E	BP 7	24°56'30.99"N	79° 8'59.46"E
B.P. No.	Latitude	Longitude																																																					
BP 1	24°56'33.07"N	79° 9'0.24"E																																																					
BP 2	24°56'34.77"N	79° 8'57.39"E																																																					
BP 3	24°56'39.47"N	79° 9'2.67"E																																																					
BP 4	24°56'42.18"N	79° 9'6.42"E																																																					
BP 5	24°56'42.85"N	79° 9'9.70"E																																																					
BP 6	24°56'42.38"N	79° 9'12.40"E																																																					
BP 7	24°56'41.46"N	79° 9'13.30"E																																																					
BP 8	24°56'38.51"N	79° 9'8.71"E																																																					
BP 9	24°56'35.73"N	79° 9'4.35"E																																																					
B.P. No.	Latitude	Longitude																																																					
BP 1	24°56'32.21"N	79° 8'56.89"E																																																					
BP 2	24°56'40.81"N	79° 9'05.67"E																																																					
BP 3	24°56'42.14"N	79° 9'08.86"E																																																					
BP 4	24°56'41.37"N	79° 9'12.80"E																																																					
BP 5	24°56'40.58"N	79° 9'13.17"E																																																					
BP 6	24°56'36.67"N	79° 9'07.05"E																																																					
BP 7	24°56'30.99"N	79° 8'59.46"E																																																					
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं हैं।																																																						
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी-2																																																						
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत	स्थल का नाम - ग्राम गुड़ापाली, दिनांक 18.05.2024																																																						

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	नहीं
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पायरोफिलाईट एवं डायसपोर 15,014 मीट्रिक टन /वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पायरोफिलाईट एवं डायसपोर 15,014 मीट्रिक टन /वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11/खनिज/3/6/616 दिनांक 25/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11/खनिज/3/6/616 दिनांक 25/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा वन कक्ष क्रमांक पी - 319 की वन सीमा से लगा हुआ है। वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 12/08/2011 अनुसार उक्त क्षेत्र राजस्व क्षेत्र है एवं खदान 24/06/1986 से स्वीकृत है अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 12/12/1996 प्रभावी नहीं होता है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11/खनिज/3/6/616 दिनांक 25/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुड़ापाली जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 02/10/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम पेसा के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 50 लीज क्षेत्र में पेड़ 15 काटे जाएंगे। काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या – 150
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— आबादी 50 मी., रोड 35 मी. एवं तालाब 340 मी.
	दक्षिण दिशा— नहीं हैं।
	पूर्व दिशा— आबादी 120 मी., रोड 117 मी., पश्चिम दिशा— आबादी 50 मी.,
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 27 के सरल क्रमांक— 19 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान से पश्चिम एवं उत्तर दिशा में 50 मी. पर आबादी है एवं उत्तर दिशा में 35 मी. तथा पूर्व दिशा में 26 मी. पर पक्का रोड है चुकि अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा से गैर खनन क्षेत्र दिखाते हुये सरफेस मेप एवं प्रोडक्शन मेप खनन योजना में सम्मिलित है अतः उत्तर पश्चिम दिशा में 65 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा गया है चूकि अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है अतः 65 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडते हुये 100 मी. मापदण्ड पूर्ण करते हुये संशोधित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – पायरोफिलाईट एवं डायसपोर 15,014 मीट्रिक टन /वर्ष
2. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।
4. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

6. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22,29,500/- एवं रिकरिंग राशि रू. 4,18,500/- प्रति वर्ष ।

<b>Sr. No</b>	<b>Particular</b>	<b>Capital Cost in Rupees</b>	<b>Recurring Cost in Rupees</b>
1.	Water Sprinkling through Water Tanker for both haul road and transportation road, all the incoming and outgoing trucks (Length Approx. 100m & width Approx. 5m)	Nil	20,000
2.	Approach Road Maintenance@Rs.500/- (Length Approx. 100m & width Approx. 6m)	50,000	10,000
3.	Cost of water of 5000ltr.@0.15 rupees/litter for 300 days), Regular Uses	Nil	2,25,000
4.	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 3950 x Rs.200	9,40,000	50,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (2000 X Rs. 50)		
5.	Channel Fencing(along lease boundary) including cemented boundary pillar 1094m@500/-mt	5,47,000	5000
6.	Garland Drain (1094m long,2m depth and 1.5m wide) And 2 Settling tank preparation in SS pattern (10m wide, 2m depth & 02m long)	1,00,000	10,000
7.	Monitoring (AAQM & Water twice in a year)	Nil	40,000
8.	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/25 labour @ 10,000/cooler) &Rs.2000/year for maintenance.	10,000	2,000
9.	Separate toilets for Male and Female @ 15000*2 and Rs.3000/-year for maintenance	30,000	3000
10.	Occupational Medical Check-up of workers@500*2*15	Nil	15,000
11.	PPES – 15workers @ 1500 per person	22,500	5,000
12.	First Aid & Fire fighting equipments @ 25000*2 & Rs.2000/year for maintenance	50,000	2,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

13.	Shelter rooms for labours (20*20) = 400 square feet @ Rs.800/sqr. ft	3,20,000	10,000
14	Two dustbins & solid waste management's @Rs.5000/systemand Rs.2000/year maintenance.	10,000	2,000
15	Half Yearly PUC certification for 2trucks @ 1000/truck.	Nil	2000
16	Grazing land development Rs.@5000 for mines upto 5.00 ha and Rs.10,000 for mines >5.00 ha.(grass-Dicanthium,Punia,Siran,Themda etc palatable grass)	50,000	Nil
17	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights @ Rs.8000/light,website development and maintenance @ Rs.5,000/mine,Web Camera 04(@3500/camera,Display board at mine entrance @2000/board etc. (website will be updated every three months)	50,000	5000
18	VT Trainings for 25workers(minimum @Rs.500/labour)	Nil	12,500
19	For Reduction of Carbon Emission – LED bulb distribution	50,000	Nil
	<b>Total</b>	<b>22,29,500</b>	<b>4,18,500</b>

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
स्वीकृत लीज क्षेत्र के समीपस्थ वन्य प्राणियों के रहवास विकास एवं सौसर निर्माण हेतु वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला टीकमगढ को उक्त राशि प्रदान की जायेगी	1,50,000 /—

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6050 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, चिरोल, सिस्सू, करधई, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, अमलतास,	100

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	पुत्रनजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	
3	गुड़ापाली ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, आंवला, अमरूद । इमली, आम, कुसुम, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	2000
4	गैर खनन क्षेत्र में	नीम, चिरोल, सिस्सू, करधई, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1950

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**14. Case No. P2/909/24 Shri NARAYAN GATTANI, Owner, Purushottam Das Gattani, 246, Ghanta Ghar Road, In front of Shree Niwas Super Bazar, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.845 ha. (Dolomite-50,000 TPA & Phyllite-12,500 TPA cum per annum) (Khasra No. 110 part) Village- Amradand, Tehsil- Badwara, District-Katni (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/462158/2024**

प्रस्तावित खदान का पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri NARAYAN GATTANI, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

PP submitted that :-

- The subject lease was granted to shri Purshottamdas Gattani in year 1985 , and after death of Shri Purshottamdas Gattani in year 2012 , the lease was transferred to his son shri Narayandas Gattani in year 2016 and after proposed for Dolomite mining . The proposed project is an opencast and fully mechanized



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

mining project, where mining of Dolomite will be done through drilling, blasting/rock breaker, Jack hamer etc. The lease is valid till year 2035.

- During the presentation, it was submitted by PP that the lease was granted in year 1985 and mining was not opened till date after prospecting works. Mining returns (production certificate) were submitted by PP which show Nil return and it was closed till date.
- Since lease area was less than 05 hect, and no mining leases are located within 500 mtrs and hence the case is considered in B-2 category.
- No tree felling or cutting is proposed for the subject proposal. 02 garland drain and two settling tank is for the proposed operation. As per land use plan, 0.1185 hect of the area will be backfilled and 0.4815 hect of area shall be converted into water body. At the same time Total 1.30 hect area will be converted as green belt with 2600 number of plants.

The presentation and other document placed before the committee and was found satisfactory and acceptable to the committee. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for **grant of prior EC for excavation of Dolomite Deposit (62500TPA (Dolomite- 50000 TPA and Waste 12500 TPA) ) (Area: 2.845 ha.) (Old khasra no 166/2, 167/1k and 167/2 part (New Khasra no. 110 part) , Village- Amradand, Tehsil- Badwara, Distt.- Katni (MP) of M/s M/s Narayandas Gattani , S/o Late Purshottamdas Gattani , Address: 246, Ghanta Ghar Road, Hanuman Ganj, Katni, District-Katni (M.P.) - 483501** subject to the following special conditions:

**(A) PRE-MINING PHASE**

1. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given coordinates by pillars.
2. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
3. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
4. PP will also carry out fencing all around the lease area.
5. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
6. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

7. Haul road shall be compacted on regular interval and transport road will be made pucca road and shall be constructed prior to operation of mine.
8. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
9. Reject stone shall be sold only after approval of the State Government as per the prevailing rules & regulations.

**(B) MINING OPERATIONAL PHASE**

10. Muffle with NONEL system for Blasting shall be adopted for proposed mining and no secondary blasting shall be done. Rock breaker shall be used wherever required
11. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
12. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be preferred in comparison of solid cartridge.
13. No explosive will be stored at the mine site.
14. No dump shall be stacked outside the lease area.
15. Mechanized sprinklers shall be provided in mine.
16. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection.
17. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 2040 trees shall be planted on barrier zone, backfilled area, and along the road also.

<b>Proposed Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary</b>			
<b>Phase</b>	<b>Location</b>	<b>Name of Tree</b>	<b>No. of Plants</b>
1 <sup>st</sup> and	In barrier zone	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle	2050

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

2nd Year	(1.0215sqm)	Jalebi, White Kastar and other local species	
3 <sup>rd</sup> year to 5 <sup>th</sup> year	Backfilled area (0.1185ha)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar and other local species	220
3 <sup>rd</sup> year to 5 <sup>th</sup> year	dump area (0.1603ha)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	320
		<b>Total</b>	<b>2600</b>
1 <sup>st</sup> year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	500

18. Transportation of material shall be done in covered vehicles.
19. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
20. The OB shall be reutilized for maintenance of road and for back filling . PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
21. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low lying areas and in rush of water into the mine. Two drain is and two settling tank having size of 330Sqm x 5m depth are proposed
22. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
23. For dust suppression mechanized sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
24. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

<b>Sr. no</b>	<b>Heads (All Area in hectare)</b>	<b>At present -ha</b>	<b>At the end of proposal period -ha</b>	<b>At the end of conceptual period- ha</b>
1	Total Area excavated (broken)	0.03	0.6	0.60
2	Area fully mined out (out of 1)	-	-	0.60
3	Area fully reclaimed (back filled) (out of 2)	-	-	0.1185
4	Area rehabilitated out of 3 by afforestation, agri use, hutment	-	-	-
5	Area rehabilitated by water harvesting	-	-	0.4815
6	Area fully rehabilitated by bench/slope afforestation(out of 2)	-	-	-
7	Total Area under dumps	-	0.1603	0.1603
8	Area under active dumps	-	-	-
9	Dump area fully rehabilitated out of 8)	-	0.1603	0.1603
10	Area under dead dumps	-	-	-
11	Dump area fully rehabilitated out of 10)	-	-	-
12	Area under mineral/mineral reject stack	-	-	-
11	Area under Road (Outside pit)	0.0092	0.0092	-
14	Area under Green belt (i.e. plantation)	-	1.0215	1.0215

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	on area other than dump and back filled area)			
15	Area under Infrastructure	-	0.009	0.009
16	Area under Tailing dumps	-	-	-
17	Area under any other use	-	-	-
18	Undisturbed area	<b>2.8058</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>

25. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social upliftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
26. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
27. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
28. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
29. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

**(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT**

30. In the proposed EMP, capital cost is Rs. 10.43 Lakh is proposed and Rs.4.03 Lakh /year as recurring expenses.

<b>Total Cost (EMP + plantation + Monitoring )</b>		
<b>Particular</b>	<b>Amount (Lakh) per annum - Capital</b>	<b>Amount (Lakh) per annum – Recurring</b>
Dust Suppression through tanker over 500m road * 6.0m (30 Rs/km inclusive diesel exp, driver exp and maintenance) Approx running per day km 6@300 day (over road) =	-	0.54

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

1800km		
<b>Sub Total</b>	-	<b>0.54</b>
Maintenance of Plantation 2600 (lease area) @ Rs 45/- per plant	-	1.17
Plantation (Capital cost) within lease area 2600no @140/-	3.64	-
Distribution of plantation at village 500@50	0.25	-
<b>Sub Total</b>	<b>3.89</b>	<b>1.17</b>
Personal Protective Equipments (Mask, Gloves, Goggles) for 26labours@1500	-	0.39
Half yearly Medical Checkup facility, first aid and other welfare activities for 26labours@1000	-	0.26
Fire fighting arrangement 6kg fire extinguisher @2no @ 2000/-, Caution board,	0.04	0.01
<b>Sub Total</b>	<b>0.04</b>	<b>0.66</b>
MSW Waste Management 04 no. dusts bin capacity @2kg each @1000.00	0.04	0.10
<b>Sub Total</b>	<b>0.04</b>	<b>0.10</b>
<b>Environmental Monitoring cost</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 04 जून 2024**

<b>Sub Total</b>	<b>3.00</b>	<b>1.00</b>
<b>PUC Certification of vehicles 2@500 per vehicles</b>	-	<b>0.01</b>
<b>Sub Total</b>	-	<b>0.01</b>
<b>Shelter room, office and toilet</b>	<b>1.00</b>	<b>0.10</b>
<b>Fencing 887m@300Rs per meter</b>	<b>2.66</b>	<b>0.45@50Rs per meter</b>
<b>Sub Total</b>	<b>3.66</b>	<b>0.55</b>
<b>Grand Total</b>	<b>10.43</b>	<b>4.03</b>

31. As per office memorandum vide no 22-65/2017/IA-III dated 30.09.2020, no financial budget under CER is being proposed. The commitment to address the concern raised during the public hearing issues with physical target shall be complied as below :

<b>SN</b>	<b>Issues</b>	<b>Cost in RS</b>
1	Provision of fund to primary Health center Badwara for One warmer machine, one AC (2tonne), 4 complete bed within 03 month after Bhu Pravesh	Rs 1.00
2	Provision of fund to primary school Saliya for One warmer machine, one AC (2tonne), 4 complete bed within 03 month after Bhu Pravesh	Rs 1.00
<b>Total</b>		<b>Rs 2.00Lacs</b>

32. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

33. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

**15. Case No. 8708/2021 Shri Amar Singh S/o Shri Jitendra Singh, H.No. 15, D.K.Cottage Phase-2, E-8, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462003. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 3.90 ha. (Murrum Quarry & 30100 m/Year) (Khasra No. 2P) Village - Mastipura, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) (EIA) SIA/MP/MIN/471287/2024.**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 4/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह (पट्टेदार) on-line एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अमर सिंह पता: 15, डी.के. कॉटेज, फेज 2, ई-8 अरेरा कॉलोनी, जिला- भोपाल (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	02/ 3.90 ha (सरकारी भूमि/नॉनफॉरेस्ट लैंड)
स्थल	VILLAGE- MASTIPURA, TEHSIL- HUZUR AND DISTRICT- BHOPAL AND STATE- MADHYA PRADESH.
लीज स्वीकृति	कार्यालय, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश, भोपाल आदेश संख्या- 10115/ खनिज/ उ. प्र./ नं. क्र. -04/ 2020 भोपाल दिनांक- 21/09/2020 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम- 30,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरम - 30,100 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	TOR Recommended in 538 <sup>th</sup> SEAC Meeting dated 06/01/2022. <b>TOR Letter no. 3018/SEIAA/2022, dated 10/02/2022</b>
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/2560/खनिज/2021, भोपाल, दिनांक- 19/08/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 01 अन्य खदान जिसका रकबा 3.0 हेक्टेयर है कुल रकबा 6.90 हेक्टेयर है
वनमण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल (म.प्र.) के एकल



## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

अनापत्ति	प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/2560/खनिज/2021, भोपाल, दिनांक-19/08/2021 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसिटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/2560/खनिज/2021, भोपाल, दिनांक-19/08/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत इस्लामनगर जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव 04 दिनांक 11/11/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 10 पेड़ जिनको काटा नहीं जायेगा।</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा में पक्का रोड- 282 मीटर पर उत्तर पश्चिम दिशा में खजुरी बस्ती- 238 मीटर पर खदान के उत्तर पूर्व दिशा में मिनरल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जिसको डाइवर्ट किया जायेगा।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/2560/खनिज/2021, भोपाल, दिनांक- 19/08/2021 अनुसार इस खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ दी जाएगी।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि पश्चिम दिशा में लीज क्षेत्र खुदा हुआ है। इस संबंध में उनके द्वारा खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल को दिनांक 1.05.2024 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 में किसी और के द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है। खदान के उत्तर पूर्व दिशा में मिनरल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जिसको डाइवर्ट किया जायेगा, जिसकी लागत ई. एम. पी. में सम्मिलित की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-30,100 घनमीटर/वर्ष
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.51 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 1740 ltr.@0.15 Rs. /Liter for 250 days)	NIL	65,250
2	Garland Drain is proposed (266m x 1.5m x 1.5m) 1. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m 2. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m	1,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (125mX 5m) @300/sqm & kachcha Road diversion	412,500	41,250
4	Plantation in Barrier Zone @ Rs. 200/Plant. Total 1100 Saplings- 1100 x Rs.200= 2,20,000/- Plantation in Approach Road @ Rs. 500/ Plant. Total 60 Saplings- 60 x Rs. 500= 30,000/- Plantation in Village & Govt. School area @ Rs. 50/Plant. Total 3690 Saplings- 3690X Rs. 50= 184,500/-	434,500	43,450
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (two water cooler/17-18 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000 X 2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	10,000
8	Medical Check-up for 18 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	18,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 18 workers + (2 Extra) =20 @ Rs. 1500/worker	30,000	3,000
11	Shelter rooms for labors 180 Square feet @Rs.800/square ft.	1,44,000	14,400
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

13	Half yearly PUC certification for 11trucks @1000/truck	NIL	11,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50,000	5000
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 815m @ 300/meter	2,44,500	2,445
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	This is murrum project	
17	Vocational Training for 18 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	9,000
18	Distribution of LED bulb for carbon emission reduction	30,000	
	<b>Total</b>	<b>15,92,500/-</b>	<b>451,795/-</b>

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

<b>B. FOR SOCIAL WELFARE -CER (As per MoEF&amp;CC OM dated 25/02/21)</b>		
क्रमांक	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियाँ	राशि रु
1	बच्चों की शिक्षा के लिए मस्तीपुरा के प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	60,000 / -
2	शमशान घाट के मरम्मत हेतु।	50,000 / -

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4850 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में शासकीय भूमि और गैर खनन क्षेत्र	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं	60

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	
3	शमशान घाट में पौधारोपण	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
4	दक्षिण दिशा में स्थित पहाड़ी क्षेत्र पर पौधारोपण	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	3620
5	प्राथमिक स्कूल में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, कुसुम, गुलमोहर इत्यादि।	20

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**16. Case No. 8707/2021 Smt. Sakshi Singh W/o Shri Amar Singh, House No. 15, DK Cottage Phase-2, E-8, Arera Colony, Dist. Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 3.0 ha. (Murrum Quarry & 25,500 cum per annum) (Khasra No. 2P) Village - Mastipura, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP), [MIN/471525/2024] EIA SIA/MP/MIN/471525/2024)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री साक्षी सिंह (पट्टेदार) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती साक्षी सिंह पत्नी श्री अमर सिंह पता: 15, डी.के. कॉटेज, फेज 2, ई-8 अरेरा कॉलोनी, जिला- भोपाल (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	02/ 3.0 ha (सरकारी भूमि/नॉनफॉरेस्ट लैंड)
स्थल	VILLAGE- MASTIPURA, TEHSIL- HUZUR AND DISTRICT- BHOPAL AND STATE- MADHYA PRADESH.
लीज स्वीकृति	कार्यलय, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश, भोपाल

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	आदेश संख्या- 10113/ खनिज/ उ. प्र./ नं. क्र. -07/ 2020 भोपाल दिनांक- 21/09/2020 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम- 25,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 25,500 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	TOR Recommended in 538 <sup>th</sup> SEAC Meeting dated 06/01/2022. <b>TOR Letter no. 3016/SEIAA/2022, dated 10/02/2022</b>
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/2559/ खनिज/ 2021, भोपाल, दिनांक- 19/08/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 01 अन्य खदान जिसका रकबा 3.90 हेक्टेयर है कुल रकबा 6.90 हेक्टेयर है
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/2559/ खनिज/ 2021, भोपाल, दिनांक- 19/08/2021 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/2559/ खनिज/ 2021, भोपाल, दिनांक- 19/08/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे इन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत इस्लामनगर जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव 03 दिनांक 02/10/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	NA
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 42 पेड़</li> <li>इनमें से 9 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है। काटे गये पेड़ों के एवज में 90 पेड़ अतिरिक्त लगाये जावेंगे।</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा में पक्का रोड- 277 मीटर पर उत्तर पश्चिम दिशा में खजुरी बस्ती- 238 मीटर पर  पश्चिम दिशा में 7 मीटर पर कच्चा रोड है 43 मीटर का सेटबैक दिया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसमें गैर खनन क्षेत्र

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	लगभग 1.0 हे. दर्शाया गया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि <b>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल (म.प्र.)</b> के एकल प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/2559/खनिज/ 2021, भोपाल, दिनांक- 18/08/2021 अनुसार इस खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ दी जाएगी।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि पश्चिम दिशा में लीज क्षेत्र खुदा हुआ है। इस संबंध में उनके द्वारा खनिज अधिकारी **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- भोपाल** को दिनांक 1.05.2024 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि वर्ष 2023 में किसी और के द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है। खदान के आस पास के खेत में जो शेल्टर दिख रहे हैं वो किसानों द्वारा फसल को रखने के उपयोग में लाया जाता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-25,500 घनमीटर/वर्ष
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 14.79 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.63 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
<b>B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 2700 ltr.@0.15 Rs. /Liter for 250 days)	NIL	1,01,250
2	Garland Drain is proposed (296m x 1.5m x 1.5m) 3. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m 4. Settling tank is 10m x 04m x 1.5m	1,50,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (300mX 5m) @500/sqm	3,75,000	37,500
	Plantation in Barrier Zone @ Rs. 200/Plant.	386,500	38,650

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

4	Total 1000 Saplings- 1000 x Rs.200= 2,00,000/-		
	Plantation in Approach Road @ Rs. 500/ Plant.		
	Total 60 Saplings-60x Rs. 500= 30,000/-		
	Plantation in Village & Govt. School area @ Rs. 50/Plant. Total 3130 Saplings- 3130 X Rs. 50= 156,500/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (two water cooler/60-65 labour @ Rs. 20,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000 X 2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 16 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	16,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 16 workers + (2 Extra) =18 @ Rs. 1500/worker.	27,000	2,700
11	Shelter rooms for labors 160 Square feet @Rs. 800/ square feet.	1,28,000	12,800
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 5 trucks @1000/truck	NIL	10,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	10,000	NIL
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 753m @ 300/meter	2,25,900	2,259
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	NIL	NIL
17	Vocational Training for 16 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	8,000
18	Distribution of LED bulb for carbon emission reduction	30,000	NIL
	<b>Total</b>	<b>14,79,400/-</b>	<b>4,63,159/-</b>

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.6 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

<b>B. FOR SOCIAL WELFARE -CER (As per MoEF&amp;CC OM dated 25/02/21)</b>		
क्रमांक	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु
1	मस्तीपुरा गांव में पेयजल हेतु एक हैंड पम्प दिया जायेगा और हैंडपंप के चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना प्रथम वर्ष में की जाएगी।	60,000/-
<b>योग</b>		<b>60,000/-</b>

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4190 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में शासकीय भूमि	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	60
3	गैर खनन क्षेत्र में और दक्षिण दिशा में स्थित पहाड़ी क्षेत्र पर पौधरोपण	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	3060
4	प्राथमिक स्कूल में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, कुसुम, गुलमोहर इत्यादि।	20
5	शमशान घाट में पौधारोपण	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जायें। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**17. Case No. 9657/2023 Shri Sushil Sudele, Lease Owner, R/o M-48, Gali-04, Dwarka Nagar, Coach Factory Road, District-Bhopal (MP)-462010. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (Stone & 9975 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 2, 3) Village-Barkheda Bondar, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) EIA SIA/MP/MIN/471309/2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **4.6.2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्री सुशील सुडेले** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **अमर सिंह यादव** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील सुडेले निवासी एम-48, गली-04, द्वारका नगर, कोच फैक्ट्री रोड, जिला-भोपाल (म.प्र.) पिन कोड- 462010	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2 एवं 3 (Govt. Land-नॉनफॉरेस्ट लैंड) नोइयत-पहाड़	4.0 ha
स्थल	Village-Barkheda Bondar, Tehsil- Hujur District. -Bhopal, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश 29-ए "खनिज भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल, जिला भोपाल म.प्र. के पत्र नं० क. 8539-40 / खनिज/उ० प०/ न० क. 28 2018 भोपाल दिनांक 19/06/2019 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। नया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9,975 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-9,975 घनमीटर/वर्ष)	
टॉर	ToR Recommended in 671 <sup>st</sup> SEAC Meeting dated 24/08/2023. <b>TOR Letter no. 1549/SEIAA/2023, dated 29/09/2023</b>	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 26 भोपाल दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति अन्य खदान जिसका कुल रकबा 17.37 हेक्टेयर है	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 26 भोपाल दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 26	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	<b>भोपाल</b> दिनांक <b>02/01/2023</b> अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवब साहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा बरखेड़ा बोंदर, नगर पंचायत फुंदा, जिला <b>भोपाल</b> के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक <b>02. दिनांक 19/09/2017</b> अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>लीज में स्थित पेड़ों का विवरण— लीज क्षेत्र में तीन पेड़ लगे हैं। जिनको काटा नहीं जायेगा।</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>पश्चिम दिशा <b>628 मीटर पर आबादी</b></li> <li><b>खदान के दक्षिण दिशा में मिनरल ट्रांसपोर्टेशन रूट बना है</b> कच्चा रास्ता से निर्धारित दुरी छोड़ते हुए माइनिंग प्लान के सरफेस मेप खनन योग्य क्षेत्र लगभग 2.75 हे. उपलब्ध होता है।</li> </ul>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की सूची में पेज क्रमांक 47 के क्रम संख्या 7 पर दर्ज है।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति को अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **भोपाल** के पत्र क्रमांक **1753/khanij/2023** **भोपाल** दिनांक **23/05/2023** अनुसार kml (based on DGPS coordinates) प्रस्तुत किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता—**9,975** घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा नर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.74 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
--------	-------------	-----------------------	-------------------------

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

<b>C. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 2600 ltr.@0.15 Rs./liter for 300 days)	NIL	1,17,000
2	Garland Drain is proposed (495m x 1.5m x 1.5m) 5. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m 6. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m	1,00,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (300m X 5m) @300/sqm	4,50,000	45,000
4	Plantation in 7.5m barrier zone @ Rs. 200/plant. [2000 x Rs.200= 2,00,000]	621,500	62,150
	Plantation in village and school @ Rs. 50/plant. (3730x Rs.50= 186,500)/-		
	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. [70 x Rs. 500= 35,000]		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10-15 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000 X 2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 8 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	8,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 8 workers + (2 Extra) =10 @ Rs. 1500/worker	15,000	1,500
11	Shelter rooms for labors (8*10) =80 Square feet @Rs.800/square ft.	64,000	6,400
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 4 trucks @1000/truck	NIL	4,000
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
16	Barbed fencing for 815 m @ 500/meter	4,07,500	4,075
17	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed	
18	Vocational Training for 8 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	4,000
20	Required soil (443.8 cum) will be purchased from local market @ 100 Rs/cum =443.8x 100	44,380	NIL
21	Adoption of trees for Carbon Sequestration for the reduction of Carbon Emission	50000	-
<b>Total</b>		<b>18,89,380/-</b>	<b>4,74,125/-</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

क्रमांक	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि रु
1	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम बरखेड़ा बोंदर के प्राथमिक शासकीय विद्यालय, के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, मेज और कुर्सी एवं अधोसंरचना विकास के लिए शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि प्रथम वर्ष में जमा करवाया जावेगा।	90,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
	और गैर खनन क्षेत्र	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2	परिवहन मार्ग पेड़ों की न्यूनतम उचाई 1.5 मीटर	नीम, पीपल, सेमल, चिरोल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	70
3	मोहम्मद नगर उर्फ सतीखेड़ा, श्यामपुर, देवल खेड़ी, घाट खेड़ी, कुराना, मुबारिकपुर मीरापुर, भौरी, कोलू खेड़ी, आदि ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा, सीताफल अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ।	3710
4	शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम नीलबाद	कचनार, पुत्रंजीवा,मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	20
<b>योग</b>			

अनुशंसा – प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**18. Case No. P2/933/24 Shri Atul Singh Parihar, Prop. Maa Sharda Stone Crusher, House Number 000, ward no.- 08, singhpur chowk, Nagod, Nagod, Satna, Madhya Pradesh- 485446. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.464 ha. (22,000 cum per annum) (Khasra No. 5, 6, 7/2) Village Sukulgawan Tehsil Nagod District Satna (M.P.). B-2 SIA/MP/MIN/471362/2024**

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक . श्री अतुल सिंह परिहार, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/S Maa Sharda Stone Crusher, Proprietary – Shri Atul Singh Parihar, S/o- Shri Ravendra Singh Parihar R/o- Ward No.08, Singhpur Chowk, Nagod District – Satna (M.P)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5, 6, 7/2 (निजी – भूमि )	1.464 hectare.	
स्थल	Village- Shakulgawan, Tehsil- Nagod District- Satna (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1209-10 दिनांक 24/01/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 12/05/2023, क्षमता– पत्थर 22,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम– शुकुलगवां, दिनांक– 11/12/2023,		
उत्पादन क्षमता	क्षमता– पत्थर 22,000 घनमीटर/वर्ष है ।		

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 708 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.464 है। होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 708 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 708 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत शुकुलगावां जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्र. 193 दिनांक 17/01/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में एक पेड़ स्थित हैं। जोकि कृषि क्षेत्र से 25 मीटर सैटबैक के अंदर आ रहा है जिस कारण इसे काटा नहीं जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिशा में परिवहन मार्ग लीज क्षेत्र से लगा हुआ है पूर्व दिशा- मुर्गी पालन सेड लगभग 215 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं उत्तर -पूर्व दिशा में लगभग 458 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड स्थित है।
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कृषि क्षेत्र से उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में 25-25 मीटर का सैटबैक दिया गया है। जिससे सैटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 0.9749 हेक्टेयर है। और नो माईनिंग एरिया 0.4891 हेक्टेयर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	24/05/2024

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र खुदा हुआ है जिसे सरफेस मेप में दर्शाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर स्टोन खदान 22,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.20 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.38 लाख प्रति वर्ष

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	45,315	-
1(b)	Water requirement- 1.007 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (300 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) <b>Plantation within lease @ Rs. 200/plant.</b>	350 plants × 200 Rs= <b>70,000/-</b>	15,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	<b>b) Plants to be distributed in nearby villagers:</b> @ Rs. 50/plant.	1200 plants × 50 Rs=60,000/-		
	<b>c) Plantation Along the Approach Road @</b> Rs.300/plant	250 plants × 300 Rs=75,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>477 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep).</li> </ul>		80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>472 m</b> ) @200 rupees/meter.		94,400	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.		-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20× 500 × 2)		-	20,000
11	First Aid Box & Firefighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 20 × 1500)		30,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system		5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)		-	1,000
16	<p style="text-align: center;"><b>Miscellaneous Expenses such as follows:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. One solar light, (@ Rs. 8000/light)</li> <li>2. Web site development &amp; Maintenance</li> <li>3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)</li> <li>4. Display Board at my entrance.</li> </ol>		22,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (740 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)		74,000	
18	Air Pollution control Equipment for Dust control		1,50,000	15000
	<b>TOTAL</b>		<b>10,20,900 /-</b>	<b>1,38,000/-</b>

14. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी नगर पंचायत सी. एस. ओ. के द्वारा नदी किनारे पोधा रोपण किया जायेगा।	1,00,000/-
--	------------

**8. Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **1800** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	350
2	नो मार्किंग जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	400
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	250
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
<b>योग</b>			<b>1800</b>
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**19.P2/929/24 Shri Manohar Patidar, Partner, M/S DHANLAXMI CONSTRUCTION AND SUPPLIERS, H.No-22, Village-Rajdhar, Mundla, Dostadar, Kampel road, Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.0 ha. (STONE (GITTI) - 17945 m3/Year) (Khasra No. 341) Vill. KHARJUNI, UNDALLI, SARDARPUR, DHAR (M.P.) [MIN/468809/2024DEIAA-New] B-2**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रकरण आज सेक की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

**20. Case No. P2/931/24 DASHRATH BAMBORIYA, Owner, 64-Housing Board, Kachrod, Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (Stone Gitti – 2100 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 34/2 and 34/3) Village – BedaVanya, Teshil – Khachord, Distt. Ujjain (M.P.) [MIN/468772/2024] (B-2)**

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक द रथ बमोरिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री द रथ बमोरिया पिता श्री के जुराम बमोरिया, निवासी – हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला-उज्जैन
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	34/2, 34/3 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.00 हेक्टेयर, निजी भूमि
स्थल	ग्राम बेडवानिया, तहसील व जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक – 1558/खनिज/2018-19, दिनांक 06.09.2022 के द्वारा स्वीकृत
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2018/53 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा पत्थर-2100 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 2100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर – 2100 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1122/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.00 हे. होता

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1122/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1122/खनिज/2023-24 दिनांक 24.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे टान, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेडावन्धा, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 07.3.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल पर वृक्ष नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 160 मीटर पर पक्की सड़क होने के कारण 40 मी का सेटबैक दिया गया है</li> <li>● खदान क्षेत्र के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में कृषि क्षेत्र होने के कारण 25 मी का सेटबैक दिया गया है</li> </ul>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-126 के सरल क्रमांक- 31 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
--	----------------------------------

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	30 प्रतिशत पाई गई
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	आंशिक रूप से
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	आंशिक रूप से
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 45 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट।	..... साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 2100 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत रुपये)में(	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रींकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	-	1,00,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि कालंबाई) विकास चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 200 मी पक्का एप्रोच रोड निर्माण	1,80,000	30,000
3.	वृक्षारोपण	1,72,500	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/30,000	-	60,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा 50-30/एक वाटर कूलर)श्रमिक @ रु10 ./,000कूलर( वर्ष रखरखाव के लिए।/2000 .और रु	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय	30,000	3,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	@15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।		
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(	-	10,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	1,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु . 5,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 ( ) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000 आदि	48,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीडियो प्रशिक्षण न्यूनतम)@ 500 (श्रम/ रुपये	-	2,500
15	खदान के परिधि में 400 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी )@ रु.50/0मीटर की जाएगी(	2,25,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 420 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 7) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 7) एवं मजदूरी	35,000	10,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे 7.50 लंबाई)हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगाx चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 450 मीटर	2,00,000	-
18	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 5वृक्षों को एडोप्ट किया 00 जायेगा	50,000	30,000
19	खदान क्षेत्रमें क्रशर यूनिट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत	1,50,000	50,000
	<b>कुल योग</b>	<b>12,85,500</b>	<b>4,25,500</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
गांव बेदवनिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन एवं कृषि क्षेत्र के कारण मी 25 के सेड बैंक के साथ में तीन लाइनों में 140 मीटर वृक्षारोपण किया जायेगा )	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	150
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड 200 मीटर के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	200
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	850

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा-** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**21. Case No. P2/956/24 Shri Bhupendra Kumar pandey, Owner, M/s DEVDAHA GITTI STONE MINE, Village- Nipniya ward no. 1, District Rewa (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.719 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 265/1 (P)) Village Devdaha, Tehsil Ramnagar, District Satna (M.P.). [MIN/472717/2024] (B-2).**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाइन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Bhupendra Kumar Pandey, S/o Shri Rajendra Kumar Pandey R/o Village Nipniya Ward No.1, District- Rewa (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	265/1 (शासकीय – भूमि)	1.719 hectare.
स्थल	Village- Devdaha, Tehsil- Ramnagar, District- Satna (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1606-07 दिनांक 21/01/2021 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 24/02/2021, क्षमता- पत्थर – 10,000 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । उत्खनन नया प्रोजेक्ट , बी- 2	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम-देवदहा, दिनांक- 26/12/2023,	
कुल उत्पादन क्षमता	क्षमता- पत्थर – 10,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 21/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जो कि सदृश (होमोजिनीयस) खनिज कि श्रेणी में नहीं है। (सहायक मानचित्रकार के प्रतिवेदन दिनांक 21.09.2023 अनुसार) अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 21/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	वन क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 21/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/ पक्का रास्ता/कच्चा रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देवदहा जिला सतना ठहराव प्रस्ताव दिनांक 28/09/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में 20 वृक्ष स्थित है जिसे जो माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- मानव बसाहट लगभग 295 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में इलेक्ट्रिक पोल लगभग 285 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं उत्तर दिशा में कृषि क्षेत्र से 25 मीटर का सेट बैक दिया गया है।
	पूर्व दिशा - पक्का रोड लगभग 376 मीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर पूर्व में 298 मीटर की दूरी पर पानी की टंकी है। एवं उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोल है।
	दक्षिण दिशा- मानव बसाहट लगभग 268 मीटर और कच्चा रोड लगभग 303 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पश्चिम दिशा- कच्चा रोड लगभग 314 मीटर एवं मानव बसाहट 455 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	एवं कृषि क्षेत्र में 25 मीटर का सेटबैक दिया गया है। सेटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 0.9291 हेक्टेयर है। और नो माईनिंग एरिया 0.6009 हेक्टेयर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	13/05/2024



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान- 10,000 घनमीटर
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.30 लाख प्रति वर्ष

**9. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	36,225	-
1(b)	Water requirement- 0.805 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (206m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	550 plants × 200 <b>Rs=1,10,000/-</b>	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1300 plants × 50 <b>Rs=65,000/-</b>	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	250plants × 300 <b>Rs=75,000/-</b>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>559 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>554 m</b> ) @200 rupees/meter.	1,10,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour	10,000	2,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	@ Rs. 10,000/cooler).		
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 12 Labors -12× 500 × 2 )	-	12,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 12 × 1500 )	18,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	<b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b> 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (676 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	67,600	-
18	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
	<b>TOTAL</b>	<b>10,54,810 /-</b>	<b>1,30,000/-</b>

**10.CER Table**

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **0.60** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से <b>60,000</b> की राशी से नगर पंचायत सी. एम. ओ. को देकर ग्राम देवदहा की नदी के दोनो किनारों पर वृक्षारोपण का कार्य काराया जाएगा।	<b>60,000/-</b>

**11.Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **2100** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	550

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

2	नो माईनिंग जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
<b>योग</b>			<b>2100</b>
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**22. Case No. P2/952/24 Shri ROHIT JAIN, LEESSEE, 151, Main Road, Near SBI, Prithvipur, Tikamgarh, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 5.00 ha. (20,001 cum per annum) (Khasra No. 216/2/1, 216/2/2) Village – Jalandhar, Tehsil –Prithvipur, District- Niwari (M.P.) [MIN/471805/2024 DEIAA- New] (B-2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित कुमार जैन आ. श्री नरेन्द्र कुमार जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव, एसीरिज इवायरोटैक इंडिया प्रा.लि. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रोहित कुमार जैन आ. श्री नरेन्द्र कुमार जैन निवासी – वार्ड नं. 03 मेन रोड पृथ्वीपुर जिला – निवाडी
खसरा नं./ क्षेत्रफल	216/2/1, 216/2/2 निजी –नॉन 5.00 हेक्टेयर

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

(सरकारी / निजी)	फॉरेस्ट लैंड																																																						
स्थल	ग्राम जलंधर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाडी (म.प्र.)																																																						
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 906 दिनांक 29/05/2018 के द्वारा स्वीकृत ।																																																						
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नहीं																																																						
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 2018-19 , क्षमता - 45,000 , उत्पादित मात्रा-0 वर्ष- 2019-20, क्षमता - 45,000 , उत्पादित मात्रा-10722 वर्ष- 2020-21 , क्षमता - 45,000 , उत्पादित मात्रा-24615.67 वर्ष- 2021-22 , क्षमता - 45,000 , उत्पादित मात्रा-19865 वर्ष- 2022-23 , क्षमता - 45,000 , उत्पादित मात्रा-8210																																																						
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	वर्ष- 2023-24 , क्षमता - 20,001 वर्ष- 2024-25, क्षमता - 20,001 वर्ष- 2025-26 , क्षमता - 20,001 वर्ष- 2026-27 , क्षमता - 20,001 वर्ष- 2027-28 , क्षमता - 20,001																																																						
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	<p style="text-align: center;"><b>माईनिंग प्लान</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>B.P. No.</th> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BP 1</td><td>25°12'03.92"N</td><td>78°47'18.91"E</td></tr> <tr><td>BP 2</td><td>25°12'05.46"N</td><td>78°47'25.78"E</td></tr> <tr><td>BP 3</td><td>25°12'04.42"N</td><td>78°47'26.12"E</td></tr> <tr><td>BP 4</td><td>25°11'55.96"N</td><td>78°47'25.20"E</td></tr> <tr><td>BP 5</td><td>25°11'56.56"N</td><td>78°47'17.44"E</td></tr> <tr><td>BP 6</td><td>25°11'57.90"N</td><td>78°47'17.95"E</td></tr> <tr><td>BP 7</td><td>25°11'59.33"N</td><td>78°47'20.21"E</td></tr> <tr><td>BP 8</td><td>25°12'00.64"N</td><td>78°47'18.69"E</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>डीएसआर</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>B.P. No.</th> <th>Latitude</th> <th>Longitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BP 1</td><td>25°12'03.92"N</td><td>78°47'18.91"E</td></tr> <tr><td>BP 2</td><td>25°12'05.46"N</td><td>78°47'25.78"E</td></tr> <tr><td>BP 3</td><td>25°12'04.42"N</td><td>78°47'26.12"E</td></tr> <tr><td>BP 4</td><td>25°11'55.96"N</td><td>78°47'25.20"E</td></tr> <tr><td>BP 5</td><td>25°11'56.56"N</td><td>78°47'17.44"E</td></tr> <tr><td>BP 6</td><td>25°11'57.90"N</td><td>78°47'17.95"E</td></tr> <tr><td>BP 7</td><td>25°11'59.33"N</td><td>78°47'20.21"E</td></tr> <tr><td>BP 8</td><td>25°12'00.64"N</td><td>78°47'18.69"E</td></tr> </tbody> </table> <p>स्वीकृत माईनिंग प्लान एवं डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान होता है ।</p>	B.P. No.	Latitude	Longitude	BP 1	25°12'03.92"N	78°47'18.91"E	BP 2	25°12'05.46"N	78°47'25.78"E	BP 3	25°12'04.42"N	78°47'26.12"E	BP 4	25°11'55.96"N	78°47'25.20"E	BP 5	25°11'56.56"N	78°47'17.44"E	BP 6	25°11'57.90"N	78°47'17.95"E	BP 7	25°11'59.33"N	78°47'20.21"E	BP 8	25°12'00.64"N	78°47'18.69"E	B.P. No.	Latitude	Longitude	BP 1	25°12'03.92"N	78°47'18.91"E	BP 2	25°12'05.46"N	78°47'25.78"E	BP 3	25°12'04.42"N	78°47'26.12"E	BP 4	25°11'55.96"N	78°47'25.20"E	BP 5	25°11'56.56"N	78°47'17.44"E	BP 6	25°11'57.90"N	78°47'17.95"E	BP 7	25°11'59.33"N	78°47'20.21"E	BP 8	25°12'00.64"N	78°47'18.69"E
B.P. No.	Latitude	Longitude																																																					
BP 1	25°12'03.92"N	78°47'18.91"E																																																					
BP 2	25°12'05.46"N	78°47'25.78"E																																																					
BP 3	25°12'04.42"N	78°47'26.12"E																																																					
BP 4	25°11'55.96"N	78°47'25.20"E																																																					
BP 5	25°11'56.56"N	78°47'17.44"E																																																					
BP 6	25°11'57.90"N	78°47'17.95"E																																																					
BP 7	25°11'59.33"N	78°47'20.21"E																																																					
BP 8	25°12'00.64"N	78°47'18.69"E																																																					
B.P. No.	Latitude	Longitude																																																					
BP 1	25°12'03.92"N	78°47'18.91"E																																																					
BP 2	25°12'05.46"N	78°47'25.78"E																																																					
BP 3	25°12'04.42"N	78°47'26.12"E																																																					
BP 4	25°11'55.96"N	78°47'25.20"E																																																					
BP 5	25°11'56.56"N	78°47'17.44"E																																																					
BP 6	25°11'57.90"N	78°47'17.95"E																																																					
BP 7	25°11'59.33"N	78°47'20.21"E																																																					
BP 8	25°12'00.64"N	78°47'18.69"E																																																					
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित हैं ।																																																						

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया प्रकरण-B-2
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – ग्राम जलंधर, दिनांक 20/05/2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया Secretariat, District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) Dist. - Tikamgarh के पत्र क्रमांक 250 दिनांक 10/04/2018 के द्वारा पत्थर – 20,001 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	नहीं
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 20,001 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 20,001 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 472 दिनांक 21/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 472 दिनांक 21/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 472 दिनांक 21/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गैलवारा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 31/05/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम पेसा के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है। केवल क्रेशर के डग का भाग लीज क्षेत्र के बैरियर जोन में आ रहा है

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में 8 पेड़ हैं कोई भी पेड़ नहीं काटा जायेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— रोड 42 मी., कैनल 260 मी.,
	दक्षिण दिशा— नहीं हैं
	पूर्व दिशा— मंदिर 343 मी.
	पश्चिम दिशा— आबादी 262 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 33 के सरल क्रमांक— 97 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान से उत्तर दिशा में 42 मी. पर पक्का रोड है अतः 158 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है चूकि अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः 158 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुये 200 मी. मापदण्ड पूर्ण करते हुये संशोधित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	नहीं है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में कोई वृक्ष नहीं लगे है लीज धारक द्वारा बताया गया कि साइट ऑफिस के आस -पास वृक्ष लगाये गये थे जिनमें 80 वृक्ष जीवित है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	नहीं है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में 150 पौधे लीज क्षेत्र के बैरियर जोन में एवं साइट ऑफिस के आस -पास लगाये गये नर्सरी का बिल प्रस्तुत किया।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – 20,001 मी.<sup>3</sup>
2. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।
4. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है।
6. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
7. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
8. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
9. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट्स में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 21,73,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 5,26,000/- प्रति वर्ष।

Sr. No	Particular	Capital Cost in Rupees	Recurring Cost in Rupees
1.	Water Sprinkling through Water Tanker for both haul road and transportation road, all the incoming and outgoing trucks (Length Approx. 40m & width Approx. 5m)	Nil	20,000
2.	Approach Road Maintenance@Rs.500/- (Length Approx. 40m & width Approx. 5m)	20,000	10,000
3.	Cost of water of 5000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	2,25,000
4.	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 3800 x Rs.200	9,60,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 200 x Rs.500		

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution 2000(2000 X Rs. 50)		
5.	Wire Fencing(along lease boundary) including pillar 992m@500/-mt	4,96,000	5000
6.	Garland Drain (992m long,2m depth and 1.5m wide) And Settling tank preparation in SS pattern (10m wide, 2m depth & 02m long)	1,00,000	10,000
7.	Monitoring (AAQM & Water twice in a year)	Nil	40,000
8.	Drinking Water Facility for labour and staff(one water cooler/20-40 labour @ 10,000/cooler) &Rs.2000/year for maintenance.	10,000	2,000
9.	Separate toilets for Male and Female @ 15000*2 and Rs.3000/- year for maintenance	30,000	3000
10.	Occupational Medical Check-up of workers@500*2*18	Nil	18,000
11.	PPES – 18workers @ 1500 per person	27,000	5,000
12.	First Aid &Fire fighting equipments @ 25000*2 & Rs.2000/year for maintenance	50,000	2,000
13.	Shelter rooms for labours (20*20) = 400 square feet @ Rs.800/sqr. ft	3,20,000	10,000
14.	Two dustbins & solid waste management's @Rs.5000/system and Rs.2000/year maintenance.	10,000	2,000
15.	Half Yearly PUC certification for 4 trucks @ 1000/truck.	Nil	4000
16.	Grazing land development Rs.@5000 for mines upto 5.00 ha and Rs.10,000 for mines >5.00 ha.(grass-Dicanthium,Punia,Siran,Themda etc palatable grass)	50,000	Nil
17.	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights @ Rs.8000/light,website development and maintenance @ Rs.5,000/mine,Web Camera 04(@3500/camera, Display board at mine entrance @2000/board etc. (website will be updated every three months)	50,000	5000
18.	VT Trainings for 18 workers(minimum @Rs.500/labour)	Nil	9000
19.	For reduction of carbon emission – LED bulb distribution	50,000	Nil
	<b>Total</b>	<b>21,73,000</b>	<b>5,26,000</b>

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

शासकीय प्राथमिक स्कूल जलंधर में अधोसंरचना विकास हेतु उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ में भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 / -
--	------------

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	इमली, अमरुद, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, अमलतास, पुत्रनजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	जलंधर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, आवंला, अमरुद। इमली, आम, कुसुम, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
4	नॉन माईनिंग जोन में	इमली, अमरुद, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
5	शासकीय प्राथमिक स्कूल रक्षा एवं ग्राम पंचायत भवन में	कदम्ब, कुसुम, कचनार, चिरोल, नीम, पुत्रनजीवा, अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**23. Case No. P2/957/24 Shri Abdul Alim, Partner, Tirupati minerals Address; S/O Abdul Sattar, chhapalda ward 9, Moark Station, Kamalpura, Kota, Rajasthan, 336517. Prior Environment Clearance for Marble, Subgrade Minerla and Low-grade Lime stone in an area of 5.00 ha. (Marble –23079, Subgrade Minerla-23079, & Low-grade Lime stone- 26000) M3/ Year) (Khasra No. 43 Village- Polakhal, Tehsil- Udaynagar (Bagli), District- Dewas (B-2) MIN/472649/2024**

प्रस्तावित चुनापत्थर/चुनाकंकर (निम्न श्रेणी चुनापत्थर भट्टी में पकाकर उपयोग हेतु) खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स तिरुपति मिनरल्स पार्टनर श्री हरिप्रसाद मोहनलाल उपाध्याय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/S Tirupati Minerals Partner: Shri Hariprasad Mohanlal Upadhyay R/o - Gayatri Udhog, Indore Road Badwah, Tehsil- Badwah, District- Khargone (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	43 (शासकीय – भूमि)	5.00 hectare.
स्थल	Village- Polakhal, Tehsil- Udaynagar (Bagli), District- Dewas (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 920 दिनांक 27/03/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 02/10/2024, क्षमता– चुनापत्थर – 72,158 घनमीटर/वर्ष, मार्बल – 23,079 सबग्रेड – 23,079 निम्न श्रेणी चुनापत्थर – 26,000	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	बी- 2	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम-पोलाखाल, दिनांक- 25/03/2024
कुल उत्पादन क्षमता	क्षमता- पत्थर – 72,158 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2046-47 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, नहीं इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2046-47 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है वन क्षेत्र लगभग 1.20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2046-47 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता /नाला नहीं है। एवं कच्चा रास्ता लगभग 30 मीटर की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पोलाखाल जिला देवास ठहराव प्रस्ताव क्र. 24 दिनांक 16/03/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित क्षेत्र में 25-30 वृक्ष लगें हैं जिसे काटा नहीं जायेगा,
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- कच्चा रोड लगभग 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 20 मीटर का सेटबैक दिया गया है।
	दक्षिण दिशा- कच्चा रोड लगभग 425 मीटर की दूरी पर स्थित है। कृषि क्षेत्र से 25 मीटर का सेटबैक दिया गया है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	पश्चिम दिशा— मानव बसाहट लगभग 240 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं नेचूरल ड्रेन से 25-25 मीटर का सेटबैक दोनों तरफ दिया गया है। जिससे सेटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया कुल— 2.7528 हेक्टेयर है और नो माईनिंग एरिया 2.2472 हेक्टेयर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की यह खदान 04/12/2015 को यह खदान निम्न श्रेणी चुनापत्थर के लिए सैधांतिक हुई थी इसका अनुबंध दिनांक 02/06/2016 से 01/06/2026 तक हुई थी लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण खदान चालू नहीं कर पाये 2020-21 में उसमें उन्हें मारबल की शीट दिखाई दी इस हेतु उन्होंने उक्त खदान में मारबल ब्लॉक जोड़ने के लिए जिसकी पूर्वेक्षण अनुज्ञापति प्राप्त हुई जिसके आधार पर आदेश क्रं. 920/खनिज/2022-23 दिनांक 17/03/2023 को प्राप्त हुआ इसके बाद ब्लॉक की खनन योजना 10/02/2024 को अनुमोदित हुई। इसके पश्चात पर्यावरण स्वीकृति लिए आवेदन किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लो ग्रेड चुनापत्थर (Low Grade Limestone)— 72,158 घनमीटर/वर्ष मारबल— 23,079, सबग्रेड— 23,079, निम्न श्रेणी चुनापत्थर— 26,000
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 21.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.57 लाख प्रति वर्ष

**12.EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	6,02,955	-
1(b)	Water requirement- 13.399 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (631 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) <b>Plantation within lease</b> @ Rs. 200/plant.	1500plants × 200 Rs= <b>3,00,000/-</b>	7,12,500
	b) <b>Plants to be distributed in nearby villagers</b> : @ Rs. 50/plant.	3750plants × 50 Rs= <b>1,87,500/-</b>	
	c) <b>Plantation Along the Approach Road</b> @ Rs.300/plant	750plants × 300 Rs= <b>2,25,000/-</b>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>1079 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000
5	Wire fence (1074 m) @200 rupees/meter.	2,14,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 55 Labors -55 × 500 × 2 )	-	55,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 55workers - 55× 1500 )	82,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	<p style="text-align: center;"><b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. One solar light, (@ Rs. 8000/light)</li> <li>2. Web site development &amp; Maintenance</li> <li>3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)</li> <li>4. Display Board at mine entrance.</li> </ol>	22,000	-
17	For Carbon containment (992Plants x 100 Rs / Plant)	99,200	99,200
<b>TOTAL</b>		<b>21,34,140 /-</b>	<b>2,57,200/-</b>

### 13. CER Table

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 3,00,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।कल्याण	3,00,000/-

**14. Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	No Mining जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2750
<b>योग</b>			<b>6000</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**24. Case No. P2/923/24 Shri SUHAIL KHAN, 47, Ahemdabad Palace Road, Kohefiza, Bhopal, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh- 462001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.8 ha. (11,782 cum per annum) (Khasra No. 438, 439, 440/2/1) Village JAITPURA Tehsil Berasia District Bhopal (M.P.). (B-2)**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सोहेल खान आत्मज श्री मोहम्मद इस्माईल खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Mr Sohail Khan, S/o Shri Mohammad Ismail Khan Resi. – House No 27 Chtaepura, Budhvara District - Bhopal (M.P.),	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	438, 439, 440/2/1, (निजी – भूमि)	1.800 Hectare.
स्थल	Village- Jaitpura, Tehsil- Berasia, District- Bhopal (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1865 दिनांक 02/06/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 08/10/2023, क्षमता– पत्थर 11,782 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी- 2।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रतापति, स्थल का नाम– जैतपुरा, दिनांक– 16/03/2024	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

उत्पादन क्षमता	क्षमता— पत्थर 11,782 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 658 दिनांक 04/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.721 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 658 दिनांक 04/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 658 दिनांक 04/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जैतपुरा जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्र. 15 दिनांक 14/04/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में 1 पेड़ स्थित हैं। जोकि कृषि क्षेत्र में 25 मीटर के सेटबैक के अंदर आ रहा है इसलिए काटा नहीं जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— कच्चा रोड लगभग 325 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 345 मीटर की दूरी पर एक गढढा स्थित है। जिसे पंचायत द्वारा किया गया है।
	पूर्व दिशा— बरसाती नाला लगभग 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं कृषि क्षेत्र से 25 मीटर का सेटबैक दिया गया है।
	दक्षिण दिशा— पक्का रोड लगभग 330 मीटर की दूरी पर स्थित है। एवं कृषि क्षेत्र से 25 मीटर का सेटबैक दिया गया है।



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	पश्चिम दिशा – मानव रहवासी क्षेत्र लगभग 210 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एवं कृषि क्षेत्र से 25 मीटर का सेटबैक दिया गया है।
	सेटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 1.1975 हेक्टेयर है। और नो माईनिंग एरिया 0.6025 हेक्टेयर है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	27 / 05 / 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान 11,782 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.31 लाख प्रति वर्ष

**15.EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	40,320	-
1(b)	Water requirement- 0.896 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (250 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	500 plants × 200 Rs=1,00,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in	1150 plants × 50 Rs=57,500/-	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	nearby villagers : @ Rs. 50/plant.		
	c ) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	250 plants × 300 Rs=75,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; 557 m Long)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000
5	Wire fence (552 m) @200 rupees/meter.	1,10,400	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15× 500 × 2 )	-	15,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500 )	22,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	<p style="text-align: center;"><b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. One solar light, (@ Rs. 8000/light)</li> <li>2. Web site development &amp; Maintenance</li> <li>3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)</li> <li>4. Display Board at mine entrance.</li> </ol>	22,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (676 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	67,600	
18	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
	<b>TOTAL</b>	<b>10,45,505 /-</b>	<b>1,31,000/-</b>

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-
---	------------

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **2200** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	500
2	नो माईनिंग जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	600
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	250
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	850
<b>योग</b>			<b>2200</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**25. Case No. 6029/2019 Shri NAMRATA UPADHYAYA, Lessee, Chandni Chowk, Ward No. 6, Tirodi, Teshil- Tirodi, Dist. Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.410 ha. (Manganese- 3543 TPA) (Khasra No. 322/2) VILLAGE, MIRAGPUR TEHSIL WARASEONI DISTRICT BALAGHAT (M.P.). (EIA)**

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

This is case of Manganese Mine. The proposed site at (Khasra No. 322/2), Village -. Miragpur, Tehsil- Waraseoni, Distt. - Balaghat, Madhya Pradesh (MP) Area- 2.410 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

**Earlier this case was scheduled in 706<sup>th</sup> SEAC meeting dated 28/12/2023 wherein ToR was recommended and extended.**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आदित्य पंडित एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जया माथूर **M/s. VITASTA ENVIRO SERVICES PVT. LTD. Jaipur (Raj.)** हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परिवेश पोर्टल पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई है।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	<b>Smt. Namrata D. Upadhyay</b> 26 Small Factory Area, Bagadganj P.O & Distt.-Nagpur
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	322/2, 2.410 ha (सरकारी बंजर भूमि/नॉनफॉरेस्ट लैंड)
स्थल	Village- Miragpur, Tehsil- Waraseoni, Distt. - Balaghat, Madhya Pradesh (M.P.).
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय, भोपाल आदेश संख्या- 3-3/1998/12/2 भोपाल दिनांक- 12/07/2006 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैंगनीज - 3543 टन प्रति वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मैंगनीज - 3543 टन प्रति वर्ष है।
टॉर	TOR Recommended in 827 <sup>th</sup> SEAC Meeting dated 24/01/2024. <b>TOR Letter no. 2883/SEIAA/2024, dated 14/02/2024</b>
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- बालाघाट (म.प्र.) के 500 मीटर प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/04-19, बालाघाट, दिनांक- 09/10/2018 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 04 खदान जिसका कुल रकबा 23.99 हेक्टेयर है
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय सामान्य वन मंडल जिला- बालाघाट (म.प्र.) के प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक/ मा .चि. /6287, बालाघाट, दिनांक- 19/09/2018 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नैशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

तहसीलदार की अनापत्ति	स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। <b>कार्यालय तहसीलदार तहसील खरलानजी प्रभारी मंडल खरलानजी, जिला- बालाघाट (म.प्र.) के प्रमाण-पत्र के पत्र क्रमांक- 912/ प्रवा0ना0तह0 , खरलानजी, दिनांक- 31/08/2018 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।</b>
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	<b>कार्यालय ग्राम पंचायत मिरगपुर जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक/86 . दिनांक 13/08/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।</b>
केशर की स्थिति	---
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 150 पेड़ हैं</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	निकटतम बस्तीरू-ग्राम-मिरगपुर लगभग। उत्तर पश्चिम दिशा में 0.48 कि.मी. है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के फा0 सं0 मप्र/बालाघाट/मैंगनीज अयस्क/ आरएमपीएन-15/2021-22 पर दर्ज है ।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आव यक्तानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

### CHRONOLOGY OF MINE

S.No.	Details	Date
1.	1st Lease sanctioned	C.L. Rawal vide letter no F3-3/1998/12/2, from 14.6.2000 - 13.6.2020 for 20 years
2.	C.L. Rawal Passed Away on	23.12.2003
3.	Lease Transfer in favour of his Daughter (Smt. Namrata D. Upadhayay)	vide letter no 3/1998/12/2, Bhopal dated, 12.07.2006
4.	Lease Validity	14.6.2020 to 13.06.2050 vide letter no kramank.2193/kha.li/2020, Balaghat dated: 20.3.2020
5.	TOR issued (360th SEAC)	Vide letter no.260/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR/(360)2019, Bhopal Dated 15.5.2019
6.	TOR Lapse	10.04.2022

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

7.	The validity of TOR period was not considered during pandemic	from 1st April 2020 to the 31st March 2021 F.NO IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), Dated 8th June 2022, therefore TOR validity is extended for one year i.e 09.04.2023
8.	TOR Extended	14.02.2024
9.	Public hearing conduction date	03.09.2021
10.	Baseline data	March to May 2023 AS per OM F.NO IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), Dated 8th June 2022

**CHRONOLOGY OF MINE**

S.No.	Details	Date
1.	Letter no and date of lease execute	93/12/3/1/5 dated-11/07/1994 Date of lease Execution 15/11/2000
2.	Date of first opening	Aril 2002
3.	Letter no./dt. First mining approval with its proposal and period	BGT/MN/MPLN-576/NGP 20/05/1997 Mining Plan 2000-01 to 2004-05
4.	Letter no./dt. First scheme of mining approval with its proposal and period	BGT/MN/MPLN-576/NGP 11/01/2007 1st scheme of Mining 2005-06 to 2009-10
5.	Letter no./dt. Last approval of document with its proposal and period	BGT/MN/MPLN-576/NGP 25/07/2012 2nd scheme of Mining 2010-11 to 2014-15
6.	Present document its laps period and proposal	2015-16 to 2019-20
7.	Validity period of last SOM	2010-11 to 2014-15

**Approval of earlier Mining Plan & Its Subsequent Review in Chronological Order**

S.N.	Letter Number	Date	Period		Type Of Approved Document	Remark
1	BGT/MN/MPLN-576 /NGP	20/05/1997	14/06/2000	31/03/2005	Mining Plan	NIL
2	BGT/MN/MPLN-576 /NGP	11/01/2007	11/01/2007	11/01/2007	Scheme Of Mining	LAPSE PERIOD 2005-2006

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

3	BGT/MN/MPLN-576 /NGP	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	Scheme Of Mining	LAPSE PERIOD 2010-2011
---	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------------------

**PP submitted brief detail of proposed working**

- During year 2024-25 cumulative 1.55 ha area will be excavated including existing pit.
- Current pit bottom is 340Mrl which will be further excavated for another four meter i.e. upto 336mrl.
- 2024-25 year generated waste will be utilized for FALSE benching for slope stability along with backfilling of 7.5m barrier zone.
- The difference between top RL i.e. 357m. And lowest RL of proposed working i.e. 336m. And it is 21m from general ground level.

**PREVIOUS PRODUCTION DEATILS**

Period of Mining Plan	Planned Production	Actual Production (in Tonnes)
2010-2011	912	912
2011-2012	Nil	Nil
2012-2013	1200	Nil
2013-2014	1350	Nil
2014-2015	1350	Nil
<b>Total</b>	<b>4812</b>	<b>912</b>

**YEAR-WISE OPENCAST DEVELOPMENT**

Sl.No.	Year	Pit ID	Total Topsoil Volume (m <sup>3</sup> )	Total Over Burden Volume (m <sup>3</sup> )	Total Over Burden Quantity (t)	Total ROM Volume (m <sup>3</sup> )	Total ROM Quantity (t)
1.	2023-2024	PIT-1	190.00	20650.00	41300.00	246.40	862.40
2.	2024-2025	PIT-1	172.00	22276.50	44553.00	343.80	1203.30
<b>Total</b>			<b>362.00</b>	<b>42926.50</b>	<b>85853.00</b>	<b>590.20</b>	<b>2065.70</b>

**SALIENT FEATURES OF THE MINE**

Mine Description	Existing Lease
Name of the Mineral	Manganese

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

Location	Khasra No.-322/2, (Govt. waste Land) at Miragpur, Tehsil- Waraseoni, Distt. - Balaghat, Madhya Pradesh
Toposheet	55 O/14
Type of Land	Govt. Land
Lease Area	2.410ha.
Mineable area	1.55 Ha
Depth	30m
Lease Period	50 years
Geological Reserves	57,510 T
Mineable Reserves	35,604 T, Manganese will recovered @80% of ROM=28,483 Tones.

Mining Method	Open cast mechanized with controlled drilling & muffle blasting.
Manpower	40 No.
Life of Mine	Approx. 10 years.
Project Cost	Rs. 32.70 lakh
General ground water table level	40m –45m
Height & width of bench	Bench height- 6.0m width of the bench -6m
Elevation	ARL 357m & lowest ARL 355m
Mode of Transportation	Road

S. NO.	PARTICULARS	
1.	Geological Reserves	57,510 T
2.	Mineable Reserves	35,604 T, Manganese will recovered @80% of ROM=28,483 Tones.
3.	Life of Mine (Years)	9.53 or say 10 years
4.	Total Waste Generation till the end of Life of Mine (Tonnes)	At the end of first year of mine 56,973 Cum of O.B and 292 CuM of mineral reject will be generated.

PP further submitted :



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- The generated waste will be dumped inside the lease area along the lease boundary side in two proposed places site 1 and site 2. Old dump already reserved in good manner for future use. The maximum height will be 20 meters in two stages in site 2 and 5 meters in site 1. The present height is 0 meters. Rest balance 59,991 cum. Overburden will be used for manufacturing of protective bund and maintenance of approach road.
- No forest land is involved in the mining area and this clause is not applicable to this project.
- No Rehabilitation and Resettlement action Plan is required.
- Soil will be spread in barrier zone for plantation and distributed to nearby villagers for their agricultural field and OB will be utilized for construction & maintenance of approach road.
- As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 3900 nos of trees will be planted. PP will distribute 1000 trees to the local villagers in Miragpur village .
- Mining will be done above water-table level; hence there will be No groundwater intersection by mine workings, hence there is no requirement of permission from CGWA.
- Public hearing was conducted on 03.09.2021. Issues raised during public hearing were appropriately answered and commitment made against the concerns raised during the public hearing will be implemented.

During presentation as per Google Image it was observed that the site's nearest habitation is 100m from the mine lease area, so PP submitted appropriate mitigative measure will be adopted . Additionally, it was discussed during the presentation about depth of mining pit, as to how much excavation is already done and how much is pending. Also, committee posed a question to RQP as to in which year the production should commence. RQP replied that the production will be carried out in FY 2024-2025. Committee also inquired about the water table level on the mine site for which the consultant's response was that the water table level is at 40-45 meter.

During operation phase-During operation phase maximum about 77.07 kg/year of CO<sub>2</sub> is expected to generate every year. The same is proposed to be compensated through purchase of the CO<sub>2</sub> which is being sequestered by the existing grown up trees in the nearby villages and by way of distribution of LED bulbs in the Miragpur village. The proposed scheme is as follows:

Item	No.	Amount reserved
Identification of out-door trees for	500no.	100000 @ rs. 500 per tree

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

purchase of C-credits		
Distribution of LED bulb in village miragpur	500 no.	Rs. 12500 @ Rs. 25 per bulb
<b>Total</b>		<b>1,12,500</b>

The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to **recommend the case for grant of prior EC for Manganese Ore Mine in an area of 2.410 ha. (2665.6 TPA) (Khasra No. 322/2), Village- Miragpur, Tehsil- Waraseoni, Distt. - Balaghat, Madhya Pradesh (M.P.),** subject to the following special conditions:

**(A) PRE-MINING PHASE**

1. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
2. Necessary consents for proposed expansion shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
3. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
4. PP will also carry out fencing all around the lease area.
5. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
6. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
7. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

Items	Existing	At the end of conceptual period
Total lease area	2.410ha	
Area under dumps	0.190ha	0.411ha
Area under mineral stack	Nil	Nil
Area under pits	0.620ha	1.55ha
Area under infrastructure and road	0.117	0.348ha
Area under plantation	Nil	0.101ha
Sub-grade dump	Nil	Nil
Garland drain, settling tank	Nil	Nil
Un-worked area	1.457ha	Nil
Total area	2.410ha	Nil
Area to be backfilled	Nil	Nil

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

Water body	Nil	Nil
Plantation	0.026	Nil
Plantation in un-worked area	Nil	Nil
Plantation in dump area	Nil	Nil

**(B) MINING OPERATIONAL PHASE**

8. No intermediate stacking of soil is permitted and same shall be utilized for plantation.
9. Remaining soil will be spread in barrier zone for plantation and distribute to nearby villagers for their agricultural field.
10. blasting shall be carried-out as the proposal is for mechanized method of mining.
11. No tree falling is proposed during the mining activity.
12. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for mining period including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) including the village side to provide additional protection in one year only.
13. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 3900 no's of trees will be planted.

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	टिप्पणी
<b>प्रथम वर्ष रोपण</b>				
1	बैरियर जोन (शासकीय भूमि खसरा नंबर 322ध2)	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, चिरौल बबूल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1000	चार पौधों के बीच में एक पौधा सीताफल का रोपा जायेगा एवं पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. गड्ढे में आधा गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। गारलेण्ड ड्रेन के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में नीम, बबूल प्रोसोपीस और अन्य प्रकार के स्थानीय बीज का रोपण किया जायेगा।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

2	मिरगपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुत्ररंजीवाए गुलमोहर, मोलश्री इत्यादि।	20	स्कूल की बाउंड्रीवाल बन चुकी है।
3	गाँव मिरगपुर के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	2680	ग्रामवासी इन पेड़ों को घर व खेत में लगाएंगे।
4	अप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	200	3.0मी पौधों से पौधों के बीच की दूरी 1.5मी ट्री गार्ड के साथ
5	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज	ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है।	
		योग	3,900	
	दूसरे वर्ष से 5वें वर्ष तक मृत पोधे का प्रतिस्थापन किया जाएगा।			
	रखरखाव एवं समस्त गतिविधियां द्वितीय वर्ष से पट्टा अवधि के अंत तक किया जाएगा।			
	वृक्षारोपण के लिए कुल पानी की आवश्यकता 1 एलपीडी/पौधे है, जो सर्दियों के मौसम में सप्ताह में दो बार और गर्मियों के मौसम में दैनिक होती है।			

14. Transportation road shall be made pucca.
15. Transportation of material shall be done in covered vehicles.
16. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
17. The OB will be utilized for construction & maintenance of approach road.
18. Garland drains and settling pits of adequate sizes shall be provided.
19. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social upliftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local Panchayat.
20. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

21. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
22. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
23. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

**(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT**

24. The proposed EMP cost is Rs. 36.51 lakhs are proposed as capital expenses and Rs. 9.18 lakhs as recurring expenses.

**EMP**

S. N.	Particulars	CAPITAL COST (₹)	RECURRING COST (₹)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 6960 ltr. @0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	3,13,200
2	Garland Drain is proposed (1320m x2mx1.5m)  1. Settling tank is 15m x 02m x 1.5m 2. Settling Tank is 10m x 02m x 1.5m 3. Settling Tank is 10m x 02m x 1.5m	2,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (350mX5m) @500/sqm	8,75,000	87,500
	Plantation in 7.5m barrier zone @ Rs. 200/plant. [1000 x Rs.200= 2,00,000]		

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

4	Plantation in village and school @ Rs. 50/plant.  (2700x Rs.50= 85,000]	4,20,000	42,000
	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant.  [200 x Rs. 500= 1,35,000]		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water in a year) @ Rs. 75000 for two locations/year	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @ 15000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 50 workers @ 500/worker (twice in a year)	NIL	50,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 40+2=42workers @ Rs.1500/worker	78,000	7,800
11	Shelter rooms for labors (25*10) =250 Square feet @Rs.800/square ft.	2,00,000	20,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 7 trucks @ 1000/truck	NIL	14,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	Nil	30,000
15	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light)	NIL	37,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	Website development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.		
	Barbed Fencing for 1056m @ 500/meter	5,28,000	52,800
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed	
17	Vocational Training for 40 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	20000
18	Mitigation of emission of carbon sequestration (500 rs. For 5 years )	3,12,500 @ 1 year	9,37,500 @ 4 year
19	Distribution of LED bulb in village miragpur	Nil	12500
<b>Total</b>		<b>27,13,500/-</b>	<b>18,36,300/-</b>

25. Under CSR activity total Rs. 2.0 lakhs/year will be disbursed for different activities.

<b>B. FOR SOCIAL WELFARE -CER (As per MoEF&amp;CC OM dated 25/02/21)</b>		
<b>S. No.</b>	<b>Public Hearing based CER activities</b>	<b>Amount (Rs)</b>
1.	गांव मिरगपुर के विकास तथा रोड के निर्माण कार्य, सोलर लाइट के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से आर्थिक सहयोग किया जायेगा।	1,00,000
2.	ग्राम मिरगपुर के ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कर रोगी कल्याण समिति में योगदान दिया जायेगा।	1,00,000
<b>Total</b>		<b>2,00,000/-</b>

26. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

27. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
28. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
29. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity/ built-up area/ project area, addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
30. details of CO2 emission & C quantification from different sources and their C management plan wirt. carbon foot print as suggested by the committee.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**26. Case No. P2/01/2023 Shri SATISH JAISWAL, Proprietor, R/o-136, Tilak Path, Opp Pipal Awar, District-Khargone (M.P.) Prior Environment Clearance for HARRAHA (CRUSHER) STONE QUARRY in an area of 3.50 ha. (14550 cum per year) (Khasra No. 486), Village- Surpala, Tehsil-Khargone, District- Khargone (MP)**

प्रकरण में सेक की पूर्व 722वीं बैठक दिनांक 15/02/24 को पूर्व पर्यावणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

सिया के 851वीं बैठक दिनांक 16/05/24 को परियोजना प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है, जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर खरगोन से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि-स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश-देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जाये। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।



## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन एडीएस दिनांक 07/05/24 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में अपना स्पष्टीकरण मय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रकरण में परीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत न करते हुए उक्त जानकारी के संबंध में खनिज विभाग की डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्राप्त जानकारी के परीक्षण हेतु प्रकरण सेक को अनुशंसा हेतु अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को आज दिनांक 04/06/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सतीश जयसवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि डीजीपीएस सर्वेक्षण रिपोर्ट पेज नं.-22 में खनिज अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को प्रमाणित किया है जिसमें डीजीपीएस कोर्डिनेट्स पर आधारित नक्शे में बाहर खुदा हुआ भाग खदान के अन्दर परिलक्षित हो रहा है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि लीज एरिया में बैरियर जोन में जो खुदाई की गई उसको रि-स्टोर किया जा रहा है, बैरियर जोन में रि-स्टोरेशन के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान जियोटेग-फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये। इस हेतु उनके द्वारा ई.एम.पी. में रु. 50,000 का प्रावधान प्रस्तावित है ।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/24 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

**27. Case No P-2/42/2024 Shri Karan Singh Chhabra, Director, Treasue Island Mall, 11, Tukoganj, M.G. Road, Indore (MP) 452010. Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of commercial complex “ Indore Treasure Island”. Plot number 11, South Tukoganj, Indore (M.P.). Built-up Area (Existing Area : 37411.09 sqmtr, Proposed Area : 23570.82 sqmtr). Total Land Area - 9104 Sq.M., Total Built-up Area - 60981.91 sqmtr. Cat. 8(a) Building Construction. SIA/MP/INFRA2/455163/2023.**

This is case of Prior Environment Clearance for proposed expansion of commercial complex “ Indore Treasure Island”. Plot number 11, South Tukoganj, Indore (M.P.).

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

Built-up Area (Existing Area : 37411.09 sqmtr, Proposed Area : 23570.82 sqmtr). Total Land Area - 9104 Sq.M., Total Built-up Area - 60981.91 sqmtr. Cat. 8(a).

विषयांतर्गत प्रकरण में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक 847वीं दिनांक 01.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया तत्संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के पत्र क्र. 686 / SEIAA/2024 भोपाल दिनांक 15/05/2024 के परिपेक्ष्य में पत्र जारी किया गया है:-

**“ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पाया गया कि:-**

1. निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया है। SEAC के बैठक की कार्यवाही विवरण में मौजूदा निर्मित क्षेत्र 37411.09 वर्ग मीटर एवं प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र 23570.82 वर्ग मीटर में उल्लेखित है। मौजूदा निर्मित क्षेत्र 37411.09 वर्ग मीटर हेतु परियोजना प्रस्तावक को परमिशन एवं CTO कब जारी की गई थी।
2. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा CTO दिनांक 12.06.2020 को जारी की गई थी। MoEF & CC द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/22 के अनुसार परियोजना में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा CTO के Certified कंप्लायंस रिपोर्ट भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाना था परन्तु SEAC के बैठक की कार्यवाही विवरण में इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है”।

**उपरोक्त परिपेक्ष्य परीक्षण एवं स्पष्टीकरण हेतु प्रकरण को SEAC को प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।”**

**उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रकरण को पुनः विचार कर अनुशंसित करें।**

Earlier, this case was recommended by SEAC discussed in the SEAC 734<sup>th</sup> meeting dated 01.04.2024.

Hence, wrt above the case was scheduled for presentation in this meeting wherein the case was presented by Environmental Consultant Shri Shubham Dubey from M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.) behalf of PP . During presentation Environmental Consultant submitted that:

- T&CP permission 2004 में प्राप्त हुई थी, जबकि एक्सपेंशन परमिशन 2017 में प्राप्त हुई थी, जिसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, पर्यावरण स्वीकृति मिलने के पश्चात कार्य शुरू किया जावेगा।
- CTO 27.06.2023 को जारी कि गई थी जिसकी सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लायंस MoEF के आर्डर order F. No. IA3-22/10/2022-IA.II [E 1772581 dated 8th June, 2022 (Requirement and validity of Certified Compliance Report (CCR) issued by the IROs of MoEF&CC/MS of SPCBs/ ROs of CPCB के अनुसार रिपोर्ट जमा कि गई थी। तत्पश्चात CTO 20.02.2024 को प्राप्त हुई थी जिसकी रिपोर्ट भी जमा कि गई थी।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 734 वीं बैठक दिनांक 01/04/2024 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**28. Case No. P-2/510/24 Shri ASHISH GUPTA, Owner, House no.127, Mahu neemach Road, DRP line ke Samne Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.00 ha. (17993 M3) (Khasra No. 173), Village- Bhandariya, Tehsil- Daloda, District- Mandsaur (M.P.) [MIN/ 461065/2024 ]**

प्रकरण आज सेक की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

**29. Case No. P-2/539/24 Shri Krishna Singh, Ro/- Village -Jamui, Tehsil- Sohagpur, District-Shahdol, (M.P.) - 484001. Prior Environment Clearance for Jamua Stone (Gitti) Quarry Khasra No.- 65(P)], an Area of 2.00 Ha. located Near Survey No. 65(P) in Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity – 27,297 Cum/Year. B2 Case**

प्रकरण आज सेक की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

**30. Case No. P2/575 /24 Shri ALKESH BAKALIYA, lease owner, Himala, Rachharda Dahod Gujarat- 389151. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.25 ha. (Stone – 25,650 m3/Year (Khasra No. 137/1, 137/2) Village -Navapada, Tehsil- Meghnagar, District –Jhabua (M.P.) TOR**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है ।

**31. Case No.- 9700/2023 Shri ASHISH VIRENDRA BANSAL, Director M/s IMPEX COMMERCIAL PRIVATE LIMITED, Indore, (M.P.) 452008. Prior Environment Clearance for “mini steel plant” of Impex Commercial Pvt. Ltd. located at Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District Dhar – 454773 Dist. Dhar (M.P.) for Expansion in production capacity from 24000 Metric Ton per Annum to 120000 Metric TonPer**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**Annum of Iron TMT Bars, Round Angle, Channels. Cat. 3(a) Metallurgical Industries. [IND1/467558/2024]**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of the Existing mini steel plant from 24,000 MTPA (Metric Ton per Annum) to 1,20,000 MTPA (Metric Ton per Annum) of Iron TMT Bars, Round Angle, Channels at Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District within existing facility over an area of 35938 sq.ft.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in SEAC 631<sup>st</sup> meeting dated 18.03.2023 wherein ToR was recommended.

PP submitted following points in the Parivesh portal.

S N	Projects Details	
1.	Online Proposal No	SIA/ MP/IND1/467558/2024
2.	Proposal /Activity Name	M/s Impex Commercial Private Limited, R/o G-1, Indrasukh Apartment, 15A, Shree Nagar Annex District Indore (MP)-452008, mini steel plant Cat. 3 (a) B1 <b><u>Metallurgical industries (ferrous &amp; non-ferrous).</u></b>
3.	Location of Project	Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District Dhar (MP)
4.	EC Status (Fresh or Exp.)	Expansion
5.	ToR	ToR Recommended in 631 <sup>st</sup> SEAC Meeting Dated 18/03/2023, ToR letter issued vide letter No. 174/SEIAA/ 2023 dated 21/04/2023
6.	Description of Project	Expansion in production capacity from 24000 Metric Ton per Annum to 120000 Metric TonPer Annum of Iron TMT Bars, Round Angle, Channels.
7.	Project Cost Rs.	2200.00 Lakhs.
8.	Area in ha.	0.334 ha.
9.	Production Qty. in M <sup>3</sup> /Y	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expansion in production capacity from 24000 Metric Ton per Annum to 120000 Metric TonPer Annum of Iron TMT Bars, Round Angle, Channels. Through Secondary Metallurgical Process.</li> </ul>
10.	Undertaking Construction	No Undertaking submitted by PP dated 01/02/2023. We will start the construction work for expansion only after obtaining EC

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

<b>Documentary Details</b>		
11.	Deed Registration	Lease deed dtd. 25/10/2008
12.	Google image status	Latitudes: 22°40'28.81"N - 22°40'25.49"N Longitudes: 75°28'16.87"E - 75°28'10.75"E
13.	Water NoC	Not required , as water will be taken from outside tankers, no ground water abstraction is required.
14.	Tehsildar Certificate	-
15.	DFO NOC	Online issued No. DHAR2022 092 8 0 I 97905 dated 28/09/2022.
16.	Gram Panchayat / Gram Sabha NOC	- dtd. 18/02/2014
17.	Env. Con.	M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.
18.	PFR	Ok
19.	Any tree cutting proposed is observed	No Tree Cutting.

In the 744<sup>th</sup> SEAC meeting dated 29/04/2024, after presentation Committee was asked PP to submit following information:

- Details about of gaseous pollutants emitted through furnaces.
- Carbon foot print and their management plan with budget in the EMP print.
- Management of heat enhanced due to furnace and other process.
- Revised plnatation scheme.
- Revised CER include proposal of vulture habitat development. as suggested by the committee.

PP submitted that query reply through on-line portal and same was presented by the PP in the add. 663<sup>rd</sup> SEAC meeting dtd. 04/06/2024 .

In the 763<sup>th</sup> SEAC meeting dated 04/06/2024 case was presented by Env Consultant Mukesh Kaore, Creative Enviro Services and Shri Ashish Virendra Bansal, Director, M/s Impex Commercial Private Limited. The ADS reply submitted by M/s Impex Commercial Private Limited which were found satisfactory and acceptable and other details of the projects which were found satisfactory and acceptable hence **the case was recommended for grant of prior EC for Expansion in production capacity from 24000 MTPA to 120000 MTPA of Iron TMT Bars, Round Angle, Channels at Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District Dhar (MP). Category: 3(a) Metallurgical Industries (Ferrous & Non-Ferrous) with subject to the following subject to the following specific& general conditions:**

**A. Statutory compliance:**

- I. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.
- II. The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water/from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- III. The project proponent shall obtain consent/authorization from MP Pollution Control Board.

**B. Air quality monitoring and preservation**

- I. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277 (E) dated 31" March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; S.O. 3305 (E) dated 7th December 2015(Thermal Power Plants) as amended from time to time) and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- II. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories
- III. The project proponent shall install one system to carryout Continuous Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission and S02 and NOx in reference to S02 and NOx emissions). Similarly, within and outside the plant area manual monitoring at least at three locations one within and two

outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions shall be monitored.

- IV. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six monthly monitoring report.
- V. Appropriate Air Pollution Control (APC) system such as Bag filters (reverse pulse jet cleaning) shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources with secondary fume extraction system.
- VI. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags.
- VII. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners and mechanical dust sweeping machines shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly. All the internal roads shall be made pucca.
- VIII. Recycle and reuse iron ore fines, coal and coke fines, lime fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process after briquetting/ agglomeration.
- IX. The project proponent shall use leak proof trucks/dumpers carrying coal and other raw materials and cover them with tarpaulin.
- X. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron, lump ore, etc.
- XI. The project proponent shall provide primary and secondary fume extraction system at all melting furnaces.
- XII. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, oil, cellars.

**C. Water quality monitoring and preservation**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- I. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers/sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
  - II. The project proponent shall submit monthly summary report of ground water quality to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.
  - III. Adhere to 'Zero Liquid Discharge.
  - IV. Sewage Treatment Plant (15 KLD) shall be provided for treatment of domestic wastewater to meet the prescribed standards.
  - V. The treated water from STP shall be used for gardening and spraying of roads.
  - VI. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent, rain water therefore can be conserved within the plant.
- D. Noise monitoring and prevention**
- I. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
  - II. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
- E. Energy Conservation measures**
- I. The project proponent shall provide waste heat recovery system (pre-heating of combustion air) at the flue gases of reheating furnaces.
  - II. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as far as possible.
  - III. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnaces.
  - IV. Provide solar power generation on rooftops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
  - V. For this project Electrical Power 10000 KVA shall be met by Madhya Pradesh Electricity Board (MPEB) Indore .



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- VI. Provide the project proponent for LED lights in their offices and residential areas.
- VII. DG Set (500 KVA- 01 nos.) are proposed for this project. So, acoustic canopy shall be installed.

**F. Waste management**

- I. Proposed quantity of Furnace Slag & from Rolling Mill produced during process which shall be managed through installed iron recovery unit from slag and the recovered iron is being used with scrap to charge in induction furnace. The remaining part is being used for civil work & bricks manufacturing after TCLD test and approval from the MP Pollution Control Board.

<b>Waste</b>	<b>Total</b>
Iron Slag	500 MT
Mill scale from Rolling Mill	10 MT

- II. The waste/spent oil & other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 and as per conditions stipulated by M. P. Pollution Control Board .
- III. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- IV. Oily scum and metallic sludge recovered from rolling mills ETP shall be mixed, dried, and briquetted and reused melting Furnaces.

**G. Green Belt**

- I. **Green belt shall be developed in the 33% area (11900 sqft) (wherein 2800 plants)** area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant with minimum three row plantation towards the road and village side. Medicinal plants shall also be grown in the landscape garden.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- II. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

**H. Public hearing and Human health issues**

- I. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- II. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- III. Provision shall be made for the housing of construction labor within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- IV. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

**I. EMP & Corporate Environment Responsibility**

- I. In the proposed EMP, Rs. 379 Lakh as capital cost for the project and Rs. 53 Lakh /year has proposed as recurring expenses.**

S. No.	Particular	Capital Cost (In Lakhs)	Recurring cost (In Lakhs)
1	Air Pollution Control		
	Primary fume extraction system (FES) & Bag filters and Chimney	150.0	20.0
	Secondary FES	80.0	15.0
	Dust Collectors at Slag Crushing Plant	30.0	5.0
	Internal Road Construction	80.0	5.0
2.	Rain water harvesting	1.50	0.50
3.	Sewage treatment plant	15.00	1.0

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

4.	Emission monitoring at source and ambient air quality monitoring & Treated waste water analysis	-	2.5
5.	Hazardous waste Storage	2.00	0.50
6	02 Nos. of mechanical sweeping machines	5.0	0.50
7	Sewage treatment plant	15.0	3.00
8	For carbon sequestration we will distribute LED lights in nearby areas	0.50	-
	Total capital expenditure	379.00	53.00

II. Under CER Programme following activities have been proposed and these activities shall be implemented within time frame as committed by PP -

- Fund allocation for CER is Rs. 7.5 lakhs for following

S.No.	Activity Head	Total Expenditure (Rs. In Lakh)
<b>A). Based on SIA Study</b>		
1.	Provide Furniture, computer, Library in Lebad School,	1.0
2.	Infrastructure development through Panchayat Lebad	2.0
3.	Heath Checkup Camps in Village Lebad eye camps,	0.50
<b>B. Based on Public hearing</b>		
1.	Plantation in Road Side	2.0
2.	Other as need based	1.0
<b>C. Others</b>		
1.	vulture habitat development with Forest department in Dhar District	1.00

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

Total	7.50
-------	------

- III. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- IV. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- V. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly report to the head of the organization.
- VI. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
- VII. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- VIII. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants shall be implemented.

**J. Miscellaneous**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- I. For Fire Protection System, fire water pumps of 5 H.P. Capacity shall be provided by PP.
- II. AC motor driven fire water pumps for hydrant, medium velocity water spray system and foam system and Jackey pump 1 no. (AC motor driven) for maintaining pressure shall be provided.
- III. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- IV. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- V. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- VI. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- VII. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- VIII. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**32. Case No. P2/977/24 Shri Amey Kamat, General Manager, M/s Asian Paints Limited, Asian Paints House, Shanti Nagar, Santacruz (E) Mumbai (Maharashtra) - 400055. Prior Environment Clearance for Proposed Greenfield Plant of Integrated paint manufacturing and Synthetic organic chemicals manufacturing located at Plot No. A-5, Smart Industrial Township Pithampur, (MP),**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Greenfield Plant of Integrated paint manufacturing and Synthetic organic chemicals manufacturing located at Plot No. A-5, Smart Industrial Township Pithampur (MP), Category - 5(h) Integrated Paint Industry Project & Cat.-5(f) Synthetic Organic Chemicals Project. SIA/MP/IND3/473176/2024.

The case was presented by Env. Consultant Shri Sangram Kadam, M/s Kadam Environmental Consultants Vadodara (Gujarat) PP Shri Amey Kamat, General Manager, M/s Asian Paints Limited, Asian Paints House, Shanti Nagar, Santacruz (E) Mumbai **PP submitted following points on Parivesh portal.**

SN	<b>Projects Details</b>		
1.	Proposal /Activity Name Location of Project	<b>Case No. – P2/977 /2024.</b> Shri Amey Kamat, General Manager, M/s Asian Paints Limited, Asian Paints House, Shanti Nagar, Santacruz (E) Mumbai (Maharashtra) - 400055. Prior Environment Clearance for Proposed Greenfield Plant of Integrated paint manufacturing and Synthetic organic chemicals manufacturing located at Plot No. A-5, Smart Industrial Township Pithampur Sector 7, Village: Ambapura, Tehsil: Depalpur, Dist.: Indore, (M. P.), <b>Category - 5(h) Integrated Paint Industry Project &amp; Cat. - 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project.</b> SIA/MP/IND3/473176/2024.	
2.	Project Status	Proposing Greenfield Plant.	
3.	Description of Project	Asian Paints Limited. is Proposing Greenfield Plant located at Plot No. A-5, Smart Industrial Township Pithampur Sector 7, Village: Ambapura, Tehsil: Depalpur, Dist.: Indore, Madhya Pradesh. The estimated project cost is INR 2000 Crores. The Total Plot Area is 6,74,100.00 m <sup>2</sup> (67.4 Ha.).	
4.	Proposal For	Fresh ToR.	
5.	ToR Status	Proposed ToR Submitted by PP.	
6.	Total Plot Area	Total Plot Area is 6,74,100.00 m <sup>2</sup> (67.4 Ha.).	
7.	Activity Location	Plot No. A-5, Smart Industrial Township Pithampur Sector 7, Village: Ambapura, Tehsil: Depalpur, Dist.: Indore, (M.P.).	
8.	Name of the Notified Industrial Area.	Smart Industrial Township Pithampur Sector 7	
9.	Production Capacity	As per information upload Parivesh Portal.	
		SN	Name of Product
		Quantity / Capacity	Unit
		1.	Integrated paints.
		550000	KL/Annum.
		2.	Intermediates - Polymers & Resins (Total Solid Resin).
		300000	MT/Annum.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

		3.	Adhesives, Admixtures & Construction Chemicals.	50000	MT/Annum.
10.	Land Registry details	Area - 6,74,100 sqmt. Land Registry Sub Registrar office – Indore 1, dated 13/03/2024.			
11.	Land Allotment details	Office MPIDC, Indore (M.P.).			
12.	No Construction Status	No Construction start at site PP Undertaking letter submitted dated 27/05/2024.			
13.	No Litigation Pending	No Litigation Pending at PP PP Undertaking letter submitted dated 27/05/2024.			
Documentary Details					
14.	PFR	Submitted by PP.			
15.	D.G. Set details	2000 kVA (6 nos.), 1000 kVA (6 nos.), 750 kVA (1 no.).			
16.	Energy conservation measures:	Energy efficient motors, Motion sensors, Energy saving improvements through Energy audits, etc,			
17.	Water Supply and CTEP permission	MPIDC Regional office, Indore letter No. MPIDC/R.O.//Ind/Tech/2024-25/ dated 16/05/2024. Supply the water as per your requirement of 2500 KLD/day.			
18.	MSW NoC	PP Apply letter dated 10/05/2024 ( 750 kg/day).			
19.	Env. Consultant.	Shri Sangram Kadam, M/s Kadam Environmental Consultants Vadodara (Gujarat).			

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC under category of Category - 5(h) Integrated Paint Industry Project & Cat.- 5(f) Synthetic Organic Chemicals Project with following additional TOR and as per Annexure-D:

1. Environmental Impact on surrounding area due to industry.
2. Land status.
3. Land allotment letter from Smart Industrial Township Pithampur .
4. Worst case scenario study to be carried out with respect to Air, Water, Soil and Hazardous Wastes environment and the mitigation measures to be proposed accordingly.
5. Inventory of all the raw material with mass balance of each of the chemicals being used or proposed to be used.
6. Detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
7. Inventory of all types of hazardous wastes expected from the industry with handling and management plan to be presented.
8. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
9. Plan for prevention of waste water percolation into the ground water to be submitted along with the plan of handling in case of spillage of any chemicals.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

10. Management, Handling and Disposal plan of fly-ash to be discussed in EIA report with documentary evidences of present disposal practices adopted for fly ash disposal.
11. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
12. VOC should be monitored in the AAQ.
13. Latest MSDS data with compliance plan to be furnished for all the raw material / finished products with their storage plan.
14. Inventory of existing trees if any.
15. Detailed plant layout on A3 size map.
16. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
17. Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
18. Product-wise Water balance along with the overall water balance to be worked out & presented so as to achieve 'Zero liquid discharge' from the unit with complete details of waste water treatment scheme including scrubbing & reactor waste, Acid mist and domestic effluent.
19. It shall also be discussed in the EIA report that in case of accidental discharge of effluent what will be the protective measures adopted by industry to avoid its confluence in Ganga Basin through Betwa River.
20. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
21. PP shall explore the possibility for using clean fuel in proposed boiler. If same is not feasible, the explanation with justification shall be discussed in the EIA report.

**33. Case No. 237/2008 Jaipuria Leo Software & Systems Pvt Ltd, Plot No. F-4(A) MIDC Industrial Area, Hingna Road , Nagpur (M H) Manganese ore mines 6-159 ha. At Jarah, Mohgaon Teh-Katangji Distt- Balaghat-M.P.**

प्रकरण आज सेक की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

**34. Case No. P2/980/24 Shri Vaibhav Pastaria, Partner, Proposed " RAMANYA INTERNATIONAL HOTEL VRINDAVAN GARDEN CAMPUS, Bawadia Kalan, HOSHANGABAD ROAD - Bhopal, Distt. - Bhopal (M. P.), Pin- 462026. Prior Environment Clearance for M/s Ramanya International has Proposing the**



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**Expansion in the Existing Hotel "Expansion of Ramanya International Hotel", at Khasra No. - 436, 451/2, 451/3, 452/2, 452/8/4, 452/8/5, 452/8/6, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3 & 456/10, Bawadia Kalan, Tehsil-Huzur, District- Bhopal, (M.P.). Built-up Area- 22786.92 Square meter, Net Plot Area - 13710.000 Square meter, Cat. - 8(a). Building and Construction projects.**

This is case of Environment Clearance for M/s Ramanya International has proposing the Expansion in the Existing Hotel "Expansion of Ramanya International Hotel", at Khasra No. - 436, 451/2, 451/3, 452/2, 452/8/4, 452/8/5, 452/8/6, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3 & 456/10, Bawadia Kalan, Tehsil-Huzur, District- Bhopal, (M.P.). Built-up Area- 22786.92 Square meter, Net Plot Area - 13710.000 Square meter, Cat. - 8(a).

The case was case was presented by Environmental Consultant Shri Shubham Dubey from M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.) along with PP Shri Vaibhav Pastaria, Partner, During presentation PP submitted that:

- M/s Ramanya International Ltd has proposed the Expansion of "Ramanya International Hotel", at Khasra No. 436, 451/2, 451/3, 452/2, 452/8/4, 452/8/5, 452/8/6, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3 & 456/10 at Village- Bawadiyan Kalan, Tehsil-Huzur, District- Bhopal.
- The total built-up area after expansion will be 22,786.92m<sup>2</sup>.
- PP has already obtained Consent to Establish for built-up area of 17852.3 m<sup>2</sup>, vide CTE No. CTE-58785 dtd. 04.09.2023. valid upto-31.07.2028.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area  $\geq$  20000 m<sup>2</sup> and  $<$  150000 m<sup>2</sup>) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.
- Comparison between existing and proposed expansion

S. No.	Description	Existing	Proposed	Total After Expansion	Unit
--------	-------------	----------	----------	-----------------------	------

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

1	Plot Area	13710	0	13710	SQMT
2	Building Height	18	06	24	m
3	No. of floors	Basement+ Ground Floor+ 1st to 6th Floor	7th to 8th Floor	Basement+ Ground Floor+ 1st to 8th Floor	-
4	Total Built-up Area	17852.3	4934.62	22786.92	SQMT
5	Total No. of Rooms	102	29	131	No.
6	Total No. of Restaurant	1	1	2	No.
7	Total No. of Office	1	3	4	No.
8	Num. of Banquet/Party Hall	1	1	2	No.
9	Occupancy (Guest Rooms + Party Hall+ Restaurant)	900	334	1234	No.
10	Fixed Staff	145	75	220	No.
10	Total Cost of Project	47	37.65	84.65	CR
11	Permissible Ground Coverage @30%	4113	0	4113	SQMT
12	Achieved Ground Coverage	4099.29	0	4099.29	SQMT

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	@29.97%				
13	Total Water Requirement	98.99	30.35	129.34	KLD
14	Fresh Water requirement	71.92	23.16	95.08	KLD
15	Waste Water Generation	78.44	25.72	104.15	
16	Treated Water Available	70.59	23.15	93.74	KLD
17	Capacity of STP	90	30	120	KLD
18	Total Solid Waste Generation	383.65	139.23	522.88	KG/DAY
19	Organic waste	153.46	55.69	209.15	KG/DAY
20	Quantity of Sludge Generated from STP	20	7.5	27.5	KG/DAY
21	Treated Water Available for Reuse	70.59	23.15	93.74	KLD
22	Rain Water Harvesting - Recharge Pits	6	0	6	No.
23	Total Parking Required as / Building Bye Laws	241	0	241	ECS

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	Total Parking Proposed	395	0	395	<b>ECS</b>
	Open area Parking	240	0	240	<b>ECS</b>
	Parking in Basement	155	0	155	<b>ECS</b>
24	Green Area @10% of plot area	617.5	617.5	1235	<b>SQMT</b>

During presentation PP submitted revised CER as suggested by the committee. After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of “Ramanya International Hotel”**. **Total Plot Area-13710 m<sup>2</sup>, Total Built Up area after expansion-22,786.92m<sup>2</sup> in Ramanya International Hotel, at Plot no. Khasra No. 436, 451/2, 451/3, 452/2, 452/8/4, 452/8/5, 452/8/6, 453/2, 454/1, 454/2, 454/3 & 456/10, Village- Bawadia Kalan, Tehsil- Hujur, District- Bhopal, Madhya Pradesh., Cat. 8(a)** subjects to the following special conditions:

### **Statutory Compliance**

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
- ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

**II. Air Quality Monitoring and preservation**

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 03 DG Sets of 400 KVA as a source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low Sulphur Diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG sets of (3x400 kVA shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low Sulphur Diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

### **III. Water quality monitoring and preservation**

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 129.34 KLD out of which 95.08 KLD is fresh water requirement and 34.26 KLD will be the total recycled water generated, the wastewater will be treated in STP (MBR technology) of capacity of 120 KLD out of which 28.09 KLD recycled water will be used for flushing, and 6.17 KLD water will be used for horticulture.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately

- for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
  - vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
  - viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
  - ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
  - x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
  - xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
  - xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
  - xiii. For rainwater harvesting, 06 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 10.6 m<sup>3</sup>/hr. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
  - xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
  - xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
  - xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
  - xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- xix. Sewage shall be treated in the MBR based STP (Capacity - 120 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 120 KLD capacity (based on MBR technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

#### **IV. Noise monitoring and prevention**

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

#### **V. Energy Conservation measures.**

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.



- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

## **VI. Waste Management**

- i. Total waste 522.88 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 209.15 Kg/day and non- organic waste 313.72 Kg/day), , E- waste 222.12 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.5 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

**VII. Green Cover**

- i. Total 250 trees shall be planted in the area of 1645.2 m<sup>2</sup> (12 % of total plot area) within the project site.

The plant species are as follows:

Sr. No.	Trees Common Name	Scientific Name	No of Trees
1	Mangifera indica	Mango	10
2	Azadirachta indica	Neem	20
3	Mimusops Elengi	Molshree	25
4	Delonix regia	Gulmohar	30
5	Cassia fistula	Amaltas	25
6	Saraca indica	Sitaashok	30
7	Magnolia champaca	Gobar Champa	20
8	Neolamarckia cadamba	Kadam	20
9	Putranjiva roxburghii	Putranjiva	20
10	Hardwickia binata	Anjan	10
11	Schleichera oleosa	Kusum	20
12	Saccharum spontaneum	Padar	10
13	Pterocarpus marsupium	Bijasar	10
	<b>Total</b>		<b>250</b>

- ii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

### **VIII Transport**

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
  - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
  - b. Traffic calming measures.
  - c. Proper design of entry and exit points
  - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iv. Total Parking's arrangement of 395 ECS (Basement-155 ECS, & Open Parking-240 ECS).
- v. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road

augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

**IX. Human health issues**

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

**X. EMP & Corporation Environment Responsibility**

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.

v. The proposed EMP cost is Rs. 437 lakhs capital cost and 73 Lacs lakhs/year as recurring cost.

vi. For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs 37.65 Lacs.

S.No.	Particulars	Total	First year	Second Year	Third Year
1	Protection and Surveillance activities in Tiger zone area, Bhopal through DFO	15	5.00	5.00	5.00
2	Plantation drive in- 1. Van Vihar 2.Chinar Park 3.Ekant Park 4.MANIT, Bhopal	22.65	7.55	7.55	7.55
	<b>Total</b>	<b>37.65</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>

**XI. Miscellaneous**

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**35.P2/982/24 Shri Prashant Kumar, General Manager - Commercial M/S Shyam Sel & Power Limited, Ss Chamber 5 Cr Avenue Kolkata, West Bengal - 700072, Prior Environment Clearance For Proposed Project of Rolling Mill With Wire Drawing Mill, Pickling Plant And Annealing Plant At Plot No 164-C, Sector Iii, Industrial Area, Pithampur, District Dhar (Mp)", By Shyam Sel & Power Limited, Capacity: Rolling Mill Proposed capacity (Wire Rod, Rounds, Bright Bars, TMT Bars & Wire) - 1,80,000 MTPA, Cat. - 3(a) Metallurgical Industries (ferrous and non ferrous).**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Project of Rolling Mill With Wire Drawing Mill, Pickling Plant And Annealing Plant At Plot No 164-C, Sector Iii, Industrial Area, Pithampur, District Dhar (Mp)", By Shyam Sel & Power Limited, Capacity: Rolling Mill Proposed capacity (Wire Rod, Rounds, Bright Bars, TMT Bars & Wire) - 1,80,000 MTPA, Cat. - 3(a), Category: 3(a).

The case was presented by the Environmental Consultant Shri Shubham Dubey from M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.) and Shri Prashant Kumar, General Manager - Commercial authorized representative on behalf of PP.

**PP submitted chronology of the case**

- M/s Shyam Sel & Power Limited proposed its project at plot no 164-C Sector III, Industrial Area, Pithampur Dist. Dhar for which prior environment clearance has to be taken.
- Previously, Mittal Corp Limited operated at plot number 164-C, but after being declared a corporate debtor, M/s Shyam Sel & Power Limited submitted a Resolution Plan to the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench, Court II, which was approved by the court.
- As per order by the Court PP (M/s Shyam Sel & Power Limited) amended the The Memorandum of Association (MoA) and Articles of Association (AoA) and filed Registrar of Companies (RoC), for information and record.
- Following this approval, M/s Shyam Sel & Power Limited has now proposed its project at plot no 164-C, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar.
- Now M/s Shyam Sel & Power Limited proposed its project at plot no 164-C Sector III, Industrial Area, Pithampur Dist. Dhar
- The total production capacity shall be 1,80,000 TPA.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

The Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's as annexed as annexure "D":-

1. Furnish details of CO<sub>2</sub> emission & quantification from different sources as DG sets, vehicles movements etc. and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and discussed in EIA report.
2. In EIA study the mode of transportation, storage of fly ash, all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
3. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report.
4. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.
5. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
6. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.
7. Proposed contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.

**36.P2/983/24 Shri Vikas Gupta, Director, M/s. Nivik Quimicos Private Limited, Plot No. 129, Deepak Housing Society, Chuna Bhatti, Bhopal (M.P.)- 462016. Prior Environment Clearance for Proposed Expansion by Adding of EC Synthetic Organic Chemical Product at Plot No. 26, Industrial area phase 2, KHANPURA Mandideep, Tehsil - Goharganj, Distt. - Raisen (M.P.) – 462046 Total Plot Area - 1.4 Ha., Cat. - 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project. ToR..**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Expansion by Adding of EC Synthetic Organic Chemical Product at Plot No. 26, Industrial area phase 2, KHANPURA Mandideep, Tehsil - Goharganj, Distt. - Raisen (M.P.) – 462046 Total Plot Area - 1.4 Ha., Cat. - 5 (f) .

The case was presented by Environmental Consultant Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.) along with PP Shri Chetan Jain , Director, M/s. Nivik Quimicos Private Limited.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

PP submitted following information on Parivesh portal:

S N	<b>Projects Details</b>						
20.	Proposal /Activity Name Location of Project	Shri Vikas Gupta, Director, M/s. Nivik quimicos private limited, Plot No. 129, Deepak Housing Society, Chuna Bhatti, Bhopal (M.P.)-462016. Prior Environment Clearance for Proposed Expansion by Adding of EC Synthetic Organic Chemical Product at Plot No. 26, Industrial area phase 2, KHANPURA Mandideep, Tehsil - Goharganj, Distt. - Raisen (M.P.) – 462046 Total Plot Area - 1.4 Ha., <b><u>Cat. - 5 (f) Synthetic Organic Chemicals Project.</u></b> SIA/MP/IND3/476731/2024.					
21.	Description of Project	Presently NQPL is engaged in production of NON EC Product for which CTE has been obtained from MPPCB vide no CTE-118297 dated 04/01/2024. Now NQPL is proposing expansion in production by adding of EC synthetic organic chemical product					
22.	Name of the Project	Proposed expansion by adding of EC synthetic organic chemical product					
23.	Type of Project	Expansion.					
24.	ToR Status	Proposed ToR Submitted by PP.					
25.	Lat./Long.	1. 23°4'40.26"N - 77°34'12.70"E    2. 23°4'40.30"N - 77°34'11.03"E 3. 23°4'36.64"N - 77°34'10.63"E    4. 23°4'36.48"N - 77°34'12.38"E					
26.	Activity Location	Plot No. 26, Industrial area phase 2, KHANPURA Mandideep, Tehsil - Goharganj, Distt. - Raisen (M.P.).					
27.	<b>Production Capacity As per information uploaded on Parivesh Portal 2.0,</b>						
	SN	Name of Product	Existing	Proposed	Total	Unit	Remark
	4.	Cementitious dry mix mortars	24000	0	24000	Tons per Annum (TPA)	Non EC product
	5.	Epoxy grouts (formulation only)	24	0	24	Tons per Annum (TPA)	Non EC product
	6.	Cementitious grouts	36	0	36	Tons per Annum (TPA)	Non EC product
	7.	Xanthan gum	12	0	12	Tons per Annum (TPA)	Non EC product
	8.	Polyvinyl acetate emulsion	0	40	40	TPD	Polyvinyl acetate (PVA, PVAc, ),
	9.	Ethylene vinyl acetate redispersible polymer powder	0	40	40	TPD	Ethylene-vinyl acetate (EVA),
	10.	DGEBA Epoxy resin	0	36	36	TPD	Epoxy resins, also known as polyepoxides,
	11.	Acrylic resin	0	40	40	TPD	An acrylic resin is typical derived from acrylic acid



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	12.	Cellulose ethers	0	20	20	TPD	Cellulose ethers are water-soluble polymers produced by the chemical modification of cellulose.
		Starch Ethers	0	2	2	TPD	
28.	Land Registry details	5000 sqmt. Land Registry SUB REGISTRAR OFFICE OBAIDULI.AGANJ, dated 25/03/2022.					
29.	No Construction Status	No Construction start at site PP declaration submitted dated 18/05/2024.					
30.	No Litigation Pending	No Litigation Pending at PP Affidavit submitted dated 18/05/2024.					
<b>Documentary Details</b>							
31.	PFR	Submitted by PP.					
32.	D.G. Set details	Existing : 300 KVA (existing) Proposed :1000 KVA.					
33.	Request Letter to DFO.	PP Apply DFO, Office Obedullaganj vide letter dated Online Copy enclosed).					
34.	Water Supply NOC	AKVN Madideep Distt. - Raisen, Date / / . will supply the water as per your requirement of (Online Copy enclosed)..					
35.	CTE/CTO details	CTE-118297 dated 04/01/2024. Valid dt. 31/03/2029.					
36.	Env. Con.	Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).					

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

22. Being expansion, certified compliance report of previous EC conditions/consent conditions from the competent authority shall be submitted.
23. PP should provide entire product mix in the EIA report.
24. Worst case scenario study to be carried out with respect to Air, Water, Soil and Hazardous Wastes environment and the mitigation measures to be proposed accordingly.
25. Inventory of all the raw material with mass balance of each of the chemicals being used or proposed to be used.
26. Detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
27. Inventory of all types of hazardous wastes expected from the industry with handling and management plan to be presented.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

28. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
29. Plan for prevention of waste water percolation into the ground water to be submitted along with the plan of handling in case of spillage of any chemicals.
30. Management, Handling and Disposal plan of fly-ash to be discussed in EIA report with documentary evidences of present disposal practices adopted for fly ash disposal.
31. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
32. VOC should be monitored in the AAQ.
33. Latest MSDS data with compliance plan to be furnished for all the raw material / finished products with their storage plan.
34. Inventory of existing trees if any.
35. Detailed plant layout on A3 size map.
36. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
37. Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
38. Product-wise Water balance along with the overall water balance to be worked out & presented so as to achieve 'Zero liquid discharge' from the unit with complete details of waste water treatment scheme including scrubbing & reactor waste, Acid mist and domestic effluent.
39. It shall also be discussed in the EIA report that in case of accidental discharge of effluent what will be the protective measures adopted by industry to avoid its confluence in Ganga Basin through Betwa River.
40. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
41. PP shall explore the possibility for using clean fuel in proposed boiler. If same is not feasible, the explanation with justification shall be discussed in the EIA report.

**37.11149/2024 Shri Anand Jaiswal, Owner, R/o 117, Mahatma Gandhi Marg, Bhikangaon, District-Khargone, (MP)-451331, Prior Environment Clearance for Amankhedi Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5043 cum per year) (Khasra No. 16/1), Village-Amankheri, Tehsil-Bhikangaon, District-Khargone (MP) [420131] [DEIAA]**

प्रकरण आज सेक की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

**38.9939/2023 Shri Hajri Ajnar, Lease Owner, R/o Village- Morasa, Tehsil- Jobat, District-Alirajpur (MP)- 457990, Prior Environment Clearance for Morasa Crusher Stone Deposit in an area of 0.440 ha. (4850 cum per annum) (Khasra No. 909), Village- Morasa, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) [420303] [DEIAA**

This is case of Stone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 909), Village- Morasa, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) 0.440 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 652वीं बैठक दिनांक 16/06/23 में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ फेंसिंग के फोटोग्राफ, मिट्टी के कटाव को बचाने के लिये ट्रेंच बनाने का प्रस्ताव, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

प्रकरण सेक की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/24 में प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन मेसर्स इन-सीटू इवायरो केयर, भोपाल उपस्थित हुए। यह खदान 0.440 हे. की है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान 2006 के पहले का प्रकरण है वर्ष 2017 में नवीनीकरण हो चुका है जिसमें 1.0 हे. क्षेत्र की अनिवार्यता लागू नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिया की शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

पर्यावरणीय सलाहकार अजय मोहन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजनाप्रस्तावककानाम व पता	हजरी अजनारपिताश्रीस्वर्गीय सुमेर सिंह अजनारआयुवयस्क, निवासी-जोबटतहसीलजोबटजिलाअलीराजपुर (म.प्र.)	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.-909 शासकीय भूमि	0.440 हेक्टेयर
स्थल	मोरासागिट्टीपत्थर खदानग्राम-मोरासा, तहसील-अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर (म.प्र.)	
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाअलीराजपुरके पत्र क्रमांक290/खनिज/2018दिनांक20.06.18 के द्वारास्वीकृत।	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।
प्रकरण की स्थिति	DEIAA to SEIAA
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	<b>196 / DEIAA / खनिज / 2018 दिनांक 29.05.2018</b>
टॉर	B2
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-4850 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 271 दिनांक 17.02.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 1.440 हेक्टर होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 271 दिनांक 17.02.2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 271 दिनांक 17.02.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नालानहीं है। 150 मीटर पर नदी है।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायत मोरासा जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 08.05.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	क़शर उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	साल 3 जंगल जलेवी 5 बबुल 5 नीम 3 टोटल 16 वृक्ष जिसमें से 7 काटे गए और उस के बदले में 100 लगावे जाएंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान	उत्तर दिशा-अन्य शासकीय भूमि मीटर की दूरी पर उत्तर में पक्की सड़क एवं 600 मीटर की दूरी पर ग्राम देही (उत्तर - दक्षिण) स्थित है।
	दक्षिण दिशा -अन्य शासकीय भूमि मीटर है।
	पूर्व दिशा -हथनी नदी 173 मीटर रोड कच्ची है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	पश्चिमदिशा - - हथनी नदी 112 मीटरअन्य कुछ भी नहीं है। उत्तरपूर्वमेंस्टापडेम 380 मीटर
प्रस्तावि खदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजना प्रस्तावकनेबतायाकिइस खदानकाविवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेज न. 40सीरियल न. 4परहै ।
जनसुनवाई	प्रकरण बी-2 काहै ।

चूँकि यह खदान वर्तमान में संचालित नहीं है इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी एस.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। व अन्य कार्य खदान संचालित होने पर पूर्ण कर लिये जावेंगे।

परियोजनाप्रस्तावक द्वारादिए गए प्रस्तुतीकरण, मे डीया की समस्त शर्तों का पालन किया जा रहा है पर्यावरणप्रबंधन योजना एवंअन्य प्रस्तुत की गईजानकारीसंतोषजनक एवंस्वीकार्य योग्य होने से समितिविशिष्ट शर्तों एवंस्टेण्डर्ड शर्तोंसंलग्नक-ए अनुसारनिम्नानुसारपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृतिजारीकरने की अनुशंसाकरतीहै:-

1. अनुमोदित खनन योजनाअनुसारअधिकतम उत्पादन क्षमता 4850 घनमीटरप्रतिवर्षहै ।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें ।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें ।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें ।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें ।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
8. पर्यावरणप्रबंधन योजनामदमेंकेपीटलराशि रु. 2,48,725/-लाख एवंरिक्किंगराशि रु. 1,60,400.00 लाख प्रतिवर्ष ।

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत	आवर्ती लागत
---------	-------	------------	-------------

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

		(रुपये में)	(रुपये में)
<b>v. पर्यावरण संरक्षण के लिए</b>			
1	खदान से पहुंच मार्ग पर टैंकर स्पिंक्लिंग द्वारा पानी का छिड़काव   (1266 मीx3मीटर = 3798 वर्ग मीटर, होलेज रोड 282 मी x 3 मी = 846 वर्ग मीटर) x 1 लीटर = 4644 लीटर प्रतिदिन	0.00	49,000.00 X5 वर्ष
1	वृक्षारोपण के लिए कुल पौधो 420 @ 2 लीटर x 2 बार x 1680 लीटर प्रतिदिन		
1	खदान पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों के लिए पानी की आवश्यकता 14x45 लीटर प्रति व्यक्ति 0.630 लीटर (1680 + 630 = 2310 लीटर प्रतिदिन	0.00	20,000.00 X5 वर्ष
2	गारलैंड ड्रेन प्रस्तावित है (313 मी X1मी X1मी) @ 125/-सेटलिंग टैंक 2 मी x 2 मी x 2 मी @ 200/-	40,725.00	3,000.00 (LS)
3	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि के विकास के साथ रखरखाव किया जावेगा	30,000.00	3,000.00 (10% of पूंजी राशि)
4	650 पौधो का वृक्षारोपण के लिए बजटीय प्रावधानऔर उनका वार्षिक रख रखाव , @ 50 / पेड़ (पेड़ो की लम्बाई 4-5 फीट	32,500.00	6,500.00x5 वर्ष
5	वार्षिक निगरानी लागत (छह मासिक आधार पर वायु/जल/शोर स्तर का एक नमूना) @ रु. 15000/- प्रति छह माह	0.00	30,000.00 X 5 प्रतिवर्ष
6	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @ 12000 X 2 और रु। रखरखाव के लिए 3000/ वर्ष।	24,000.00	2,400.00 (पूंजी राशि का 10 %)
7	14 श्रमिकों के लिए चिकित्सा जांच @ 500/कर्मचारी (वर्ष में दो बार)	7,000.00	7,000.00 (पूंजी राशि का 100%)
8	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @ 25000 X 1 no	25,000.00	5,000.00 (पूंजी राशि का 10 %)
9	15 श्रमिकों (12+3 अतिरिक्त) के लिए अन्य खनन कार्यों के लिए सुरक्षा के उपकरण (@ रु. 1500/ कर्मचारी	22,500.00	22,500.00 (पूंजी राशि का 100%)
10	श्रमिकों के लिए आश्रय कक्ष (10*10)=100 वर्ग फुट @200 रुपये/वर्ग फुट।	20,000.00	2,000.00 (पूंजी राशि का 2 %)
11	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जावेगा @ रु. 1000/ नग	2,000.00	2000.00 (पूंजी राशि का 100%)
12	3 ट्रक @ 1000/ट्रक के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण।	3000.00	3,000.00 (पूंजी राशि

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

			का100%)
13	चराई भूमि विकास रु. @5000/- < 5.00 हेक्टेयर। (क्षेत्रफल - 0.440 हेक्टेयर)	5,000.00	0.00
14	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, वेब साइट विकास एवं रखरखाव, वेब कैमरा , सावधान बोर्ड खदान के चारो तरफ एवं प्रवेश द्वार पर आदि।	30,000.00	3,000.00 (पूँजी राशि का 3%)
15	यदि पट्टे के भीतर क्रेशर प्रस्तावित है तो 30 मीटर की विंडब्रेकिंग वॉल (एमएस शीट की 04 मीटर ऊंचाई)। (@ रु.5000/मीटर)	0.00	0.00
16	ओबी से सीमा दीवार का निर्माण (70 मीटर लंबाई X 1 मीटर ऊंचाई @ 100 रुपये मीटर	7,000.00	2,000.00
	Total	2,48,725.00	1,60,400.00

9. सी.ई.आर.मदमेंनिम्नानुसारराशि रु. **50,000/-**हजारतथासी.ई.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यलीजअवधि तकपूर्णकियेजाये :-

सी.ई.आर. मदमेंप्रस्तावितगतिविधियाँ	राशि (रु.में)
मोरासा के प्राथमिक अस्पताल में मरीजों के लिए कुर्शी एवं स्ट्रेचेर प्रदान करना	50,000.00

10. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार (सतत् सिंचाई, लीजअवधि तकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 530 वृक्षोंका वृक्षारोपण :-

क्रमांक.	प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल	पौधो की प्रजाति	पौधे की संख्या
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण तथा खदान के चारो ओर गारलैंड ड्रेन में सागौन नीम तथा अन्य पौधे वाले बीज रोप जायेगे।	नीमकरंजचिरोलपीपलजंगलजलेबीसिस्सूशीशम, बांसबरगदआवलाखिरमिवस्थानीयप्रजाति। 4 पौधोंकेबीचमेंएकफलदारपौधेकारोपणकियाजाएगा। पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी.एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5मी.औरगड्डेकाआकार 0.60मी. x 0.60मी. x 0.60मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा।	160

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

2	आवागमन सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण	नीम, करंज, चिरोल, पीपल, जंगल, जलेबी, सिस्सू, खिरन, खमीर बांसवक स्तर। पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70 मी. x 0.70 मी. x 0.70 मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शोष मिट्टी से भरा जाएगा।	160
3	मोरासा स्कूल एवं ग्राम पंचायत पलवट के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल करंज व स्थानीय प्रजातियां गड्ढे का आकार 0.70 मी. x 0.70 मी. x 0.70 मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शोष मिट्टी से भरा जाएगा।	160
4	मोरासा एवं पलवट ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, ईमली, सीताफल, मुनगा, नींबू, जामुन, अमरुद, कटहल, आंवला, अनार, स्थानीय प्रजाति आदि।	240
<b>Total</b>			<b>530</b>

**39.9938/2023 Shri Tara Ajnar, Lease Owner, R/o Village-Pratapfaliya, Tehsil- Jobat District-Alirajpur (MP)- 476337, Prior Environment Clearance for Pratapfaliya Crusher Stone Deposit in an area of 0.600 ha. (2425 cum per annum) (Khasra No. 244/1, 244/2), Village- Pratapfaliya, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) [423624] [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती तारा अजनार पति श्री सुरपाल अजनार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था,।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती तारा अजनार पति श्री सुरपाल अजनार आयु वयस्क, निवासी-जोबट तहसील जोबट जिला अलीराजपुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.-244/1, 244/2 निजी भूमि	0.600 हेक्टेयर
स्थल	प्रताप फलिया गिट्टी पत्थर खदान ग्राम प्रताप फलिया तह0 जोबट जिला अलीराजपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 288/खनिज/ 2018 दिनांक 20.06.18 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA to SEIAA	



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	198 / DEIAA / खनिज / 2018 दिनांक 29.05.2018
टॉर	B2
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-2425 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 270 दिनांक 17.02.2023. अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 1.600 हेक्टर होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 270 दिनांक 17.02.2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 270 दिनांक 17.02.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत प्रताप फालिया जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22.09.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर उत्खनिपट्टा क्षेत्र से बाहर है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	वृक्ष नहीं है।।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ,खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को के साथ	उत्तरदिशा - 328 मीटरकीदूरीपरउत्तरमेंपक्की सड़क एवं 600 मीटर की दुरी पर ग्राम दहेदी (उत्तर - दक्षिण) स्थित है।
	दक्षिण दिशा - hमेरोड 107 मीटर है।
	पूर्व दिशा -रोड कच्ची है।
	पश्चिमदिशा - अन्य कुछभी नहीं है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रस्तुत करें	
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 34 सीरियल न. 5 पर है ।
जन सुनवाई	प्रकरण बी-2 का है ।

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 652वीं बैठक दिनांक 16/06/23 में प्रस्तुत किया गया था। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधीन खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है परन्तु दूरी के संबंध में स्थानवार मापदंड छोड़ने के फलस्वरूप खनन योग्य क्षेत्र कम उपलब्ध होता है अतः उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का प्रस्तावित है । चूंकि खदान एरिया में केशर स्थापना प्रस्तावित है इसकी लोकेशन कहां होगी तथा दक्षिण दिशा में 60 मीटर की दूरी में पक्का रोड होने के कारण सेटबैक छोड़ा जाना प्रस्तावित है अतः इस संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि संबंधित खनिज अधिकारी से इस तथ्य की तकनीकी रूप से पुष्टी करा ले कि नॉन ब्लास्टिंग के संबंध में स्थानवार मापदंड छोड़ने के फलस्वरूप इस खदान में खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नहीं ।

प्रकरण सेक की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/24 में प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन मेसर्स इन-सीटू इंचायरो केयर, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान का डिया से पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त है । यह खदान 0.600 हे. की है जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि यह खदान नवीनीकरण की है जिसमें 1.0 हे. क्षेत्र की अनिवार्यता लागू नहीं है, उनके द्वारा बताया गया कि नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान अनुमोदित करा लिया गया है जिसके चेप्टर-3 के पेज-14 के बिन्दु क्रमांक 3.12 पर नॉन ब्लास्टिंग का उल्लेख किया गया है। नॉन ब्लास्टिंग के संबंध में स्थानवार मापदंड छोड़ने के फलस्वरूप इस खदान में खनन योग्य क्षेत्र 0.35 हे. उपलब्ध होता है जिससे वांछित मात्रा की पूर्ति की जा सकेगी। हमारे द्वारा संशोधित खनन योजना तैयार कर नॉन ब्लास्टिंग का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा करा लिया गया है जिसमें नॉन ब्लास्टिंग के साथ सड़क से 100 मीटर की दूरी के बाद ही खनन किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एवं केशर के संबंध में चूंकि यह खदान पूर्व से ही संचालित है जिसकी डिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हैं। अतः केशर पूर्व के स्थान पर ही रहेगा ।

हमारे द्वारा डिया की समस्त शर्तों का पालन किया जा रहा है। उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिया की शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। परियोजनाप्रस्तावक द्वारादिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरणप्रबंधन योजना एवंअन्य प्रस्तुत की गईजानकारीसंतोषजनक एवंस्वीकार्य योग्य होने से समितिविशिष्ट शर्तों एवंस्टेण्डर्ड शर्तोंसंलग्नक-ए अनुसारनिम्नानुसारपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृतिजारीकरने की अनुशंसाकरतीहै:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन 2425 घनमीटर प्रतिवर्ष है ।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
8. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

9. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
10. पर्यावरणप्रबंधन योजनामदमेंकेपीटलराशि रु. **2,23,850.00/-**लाख एवं रिकरिंगराशि रु. **1,34,700.00** लाख प्रतिवर्ष।

S. No.	Particulars	Capital	Recurring
1 (a)	पहुँचमार्गपरटैंकरस्प्रिंकलिंगसिस्टमसेपानीकाछिड़काव(71 मी x 3 = 213 वर्गमीटर,औरहॉलेजरोड 331 मी x 3 = 993 वर्गमीटर x 1 लीटर = 1206 लीटरप्रतिदिन @ 1 टैंकर (3000लीटर) 200/- x 125 दिन।	0.00	25,000.00 X5 वर्ष
1 (b)	वृक्षारोपणकेलिएकुलपानीकीआवश्यकता =480 @ 0.75 /लीटर X गर्मीकेदिनोंमें 2बार X = 720 प्रतिदिनलीटर।	0.00	25,000.00 X5 वर्ष
1 (c)	खदानपरकार्यकरनेवालेमजदूरोंएवंकर्मचारियोंकेलिएपानीकीआवश्यकता 10x45 लीटरप्रतिव्यक्ति 450 लीटर (720 + 450) 1170 लीटरप्रतिदिन (1 टैंकर 3000लीटर) 200/- x 125 दिन।		
2	गारलैंडड्रेनप्रस्तावितहै (366 मीX1मी X1मी) @ 125/- सेटलिंगटैंक, 2मी x 2मी x 2मी @ 200/-।	47,350.00	5,000.00 (LS)
3	स्पीडब्रेकर, साइनबोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंटआदिकेविकासकेसाथरखरखावकियाजावेगा।	5,000.00	500.00 (10% of पूंजीराशि)
4	720 पौधोकावृक्षारोपणकेलिएबजटीयप्रावधानऔरउनकावार्षिकरखरखाव, @ 50 / पेड़(पेड़ोकीलम्बाई4-5फीट।	36,000.00	7,200.00x5वर्ष
5	वार्षिकनिगरानीलागत (छहमासिकआधारपरवायु/जल/शोरस्तरकाएकनमूना) @रु. 15000/- प्रतिछहमाह।	0.00	30,000.00 X 5 प्रतिवर्ष
6	पुरुषऔरमहिलाकेलिएअलगशौचालय @ 12000X 2।रखरखावकेलिए 3000/ वर्ष।	24,000.00	3000/ रखरखावकेलिएप्रतिवर्ष।
7	11 श्रमिकोंकेलिएचिकित्साजांच @ 500/कर्मचारी (वर्षमेंदोबार)	11,000.00	11,000.00 (पूंजीराशिका100%)

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

8	प्राथमिकचिकित्साबॉक्सऔरअग्निशमनउपकरण @ 25000X1	25,000.00	5,000.00 (पूंजीराशिका 10 %)
9	11श्रमिकोंकेलिएअन्यखननकार्योकेलिएसुरक्षाकेउपकरण (@ रु. 1500/ कर्मचारी	16,500.00	16,500.00 (पूंजीराशिका 100%)
10	श्रमिकोंकेलिएआश्रयकक्ष (10*10)=100 वर्गफुट @200 रुपये/वर्गफुट।	20,000.00	2,000.00 (पूंजीराशिका 2 %)
11	1 कूड़ेदानऔरठोसअपशिष्टप्रबंधनप्रणालीकाविकासकियाजावेगा @ रु.1000/ नग	1,000.00	1000.00 (पूंजीराशिका 100%)
12	1 ट्रक @ 1000/ट्रककेलिएअर्धवार्षिकपीयूसीप्रमाणीकरण।	1,000.00	1,000.00 (पूंजीराशिका100%)
13	चराईभूमिविकासरु. @5000/-< 5.00 हेक्टेयर। (क्षेत्रफल -0.600 हेक्टेयर)	5,000.00	0.00
14	विविधव्ययजैसे 02सोलरलाइट, वेबसाइटविकासएवंरखरखाव, वेबकैमरा , सावधानबोर्डखदानकेचारोतरफएवंप्रवेशद्वारपरआदि।	30,000.00	3,000.00 (पूंजीराशिका 3%)
15	यदि पट्टे के भीतर क्रेशर प्रस्तावित है तो 30 मीटर की विंडब्रेकिंग वॉल (एमएस शीट की 04 मीटर ऊंचाई)। (@ रु.5000/मीटर)	0.00	0.00
16	ओबी से सीमा दीवार का निर्माण (20 मीटर लंबाई X 1 मीटर ऊंचाई @ 100 रुपये मीटर	2,000.00	500.00
	Total	2,23,850.00	1,34,700.00

11. सी.ई.आर.मदमेंनिम्नानुसारराशि रु. **50,000/-**हजारतथासी.ई.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यलीजअवधि तकपूर्णकियेजाये :-

सी.ई.आर. मदमेंप्रस्तावितगतिविधियाँ	राशि (रु.में)
जनपदपंचायतजोबटकेप्राथमिकअस्पतालमेंमरीजोंकेलिएकुर्शीएवंस्ट्रेचरआदिकावितरण।	50,000.00

12. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार (सतत् सिंचाई, लीजअवधि तकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 720वृक्षोंका वृक्षारोपण :-

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

क्रमांक.	प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल	पौधों की प्रजाति	पौधों की संख्या
1	बैरियरजोनमेंवृक्षारोपणतथा खदानकेचारोंओरगारलैंडट्रेनमेंसागौननीमतथाअन्यपौधेवालेबीजरोपजायेगे ।	नीमकरंजचिरोलपीपलजंगलजलेबीसिस्सूशीशम, बांसबरगदआवलाखिरमिवस्थानीयप्रजाति। 4 पौधोंकेबीचमेंएकफलदारपौधेकारोपणकियाजाएगा । पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी.एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5मी.औरगड्डेकाआकार 0.60मी. x 0.60मी. x 0.60मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा ।	160
2	आवागमनसड़ककेदोनोंतरफवृक्षारोपण	नीम, करंज, चिरोल, पीपल, जंगल, जलेबी, सिस्सूखिरन, खमीरबांसवकस्तर। पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी.एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5मी.औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा ।	160
3	प्रतापफलियास्कूलएवंउदयगढ़स्कूलकेपासपहुँचमागकेदोनोंतरफवृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपलकरंजवस्थानीयप्रजातियां।गड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा ।	160
4	प्रतापफलिया, कनासएवंउदयगढ़ग्रामवासियोंकोपौधोंकावितरण	आम,ईमली, सीताफल, मुनगा, नींबू, जामुनअमरुद, कटहल, आवला, अनार, वस्थानीयप्रजातिआदि।	240
<b>Total</b>			<b>720</b>

13. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. लाख प्रतिवर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital	Recurring
.			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

1	पहुँच मार्ग पर टैंकर स्पिंक्लिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव (71 मी x 3 = 213 वर्गमीटर, और हॉलेज रोड 331 मी x 3 = 993 वर्गमीटर x 1 लीटर = 1206 लीटर प्रतिदिन @ 1 टैंकर (3000लीटर) 200/- x 125 दिन।	0.00	25,000.00 X5 वर्ष
1	वृक्षारोपण के लिए कुल पानी की आवश्यकता =480 @ 0.75 /लीटर X गर्मी के दिनों में 2बार X = 720 प्रतिदिन लीटर		
1	खदान पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों के लिए पानी की आवश्यकता 10x45 लीटर प्रति व्यक्ति 450 लीटर (720 + 450) 1170 लीटर प्रतिदिन (1 टैंकर 3000लीटर) 200/- x 125 दिन।	0.00	25,000.00 X5 वर्ष
2	गारलैंड ड्रेन प्रस्तावित है (366 मीX1मी X1मी) @ 125/- सेटलिंगटैंक, 2मी x 2मी x 2मी @ 200/-	47,350.00	5,000.00 (LS)
3	स्पीडब्रेकर, साइनबोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदिके विकासकेसाथरखरखावकियाजावेगा	5,000.00	500.00 (10% of पूंजीराशि)
4	720 पौधोकावृक्षारोपणकेलिएबजटीयप्रावधानऔरउनकावार्षिकरखरखाव , @ 50 / पेड़(पेड़ोकीलम्बाई4-5फ़ीट।	36,000.00	7,200.00x5वर्ष
5	वार्षिकनिगरानीलागत (छहमासिकआधारपरवायु/जल/शोरस्तरकाएकनमूना) @रु. 15000/- प्रतिछहमाह	0.00	30,000.00 X 5 प्रतिवर्ष
6	पुरुषऔरमहिलाकेलिएअलगशौचालय @ 12000X 2  रखरखावकेलिए 3000/ वर्ष।	24,000.00	3000/ रखरखावकेलिएप्रतिवर्ष
7	11 श्रमिकोंकेलिएचिकित्साजांच @ 500/कर्मचारी (वर्षमेंदोबार)	11,000.00	11,000.00 (पूंजीराशिका100%)
8	प्राथमिकचिकित्साबॉक्सऔरअग्निशमनउपकरण @ 25000X1	25,000.00	5,000.00 (पूंजीराशिका 10 %)
9	11श्रमिकोंकेलिएअन्यखननकार्योंकेलिएसुरक्षाकेउपकरण (@ रु.	16,500.00	16,500.00

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	1500/ कर्मचारी		(पूंजीराशिका 100%)
10	श्रमिकोंकेलिएआश्रयकक्ष (10*10)=100 वर्गफुट @200 रुपये/वर्गफुट।	20,000.00	2,000.00 (पूंजीराशिका 2 %)
11	1 कूड़ेदानऔरठोसअपशिष्टप्रबंधनप्रणालीकाविकासकियाजावेगा @ रु.1000/ नग	1,000.00	1000.00 (पूंजीराशिका 100%)
12	1 ट्रक @ 1000/ट्रककेलिएअर्धवार्षिकपीयूसीप्रमाणीकरण।	1,000.00	1,000.00 (पूंजीराशिका100%)
13	चराईभूमिविकासरु. @5000/-< 5.00 हेक्टेयर। (क्षेत्रफल -0.600 हेक्टेयर)	5,000.00	0.00
14	विविधव्ययजैसे 02सोलरलाइट, वेबसाइटविकासएवंरखरखाव, वेबकैमरा , सावधानबोर्डखदानकेचारोतरफएवंप्रवेशद्वारपरआदि।	30,000.00	3,000.00 (पूंजीराशिका 3%)
15	यदि पट्टे के भीतर क्रेजर प्रस्तावित है तो 30 मीटर की विंडब्रेकिंग वॉल (एमएस शीट की 04 मीटर ऊंचाई)। (@ रु.5000/मीटर)	0.00	0.00
16	ओबी से सीमा दीवार का निर्माण (20 मीटर लंबाई X 1 मीटर ऊंचाई @ 100 रुपये मीटर	2,000.00	500.00
	Total	2,23,850.00 0	1,34,700.00

14. सी.ई.आर.मदमेंनिम्नानुसारराशि रु. **50,000/-**हजारतथासी.ई.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यलीजअवधि तकपूर्णकियेजाये :-

सी.ई.आर. मदमेंप्रस्तावितगतिविधियाँ	राशि (रु.में)
जनपदपंचायतजोबटकेप्राथमिकअस्पतालमेंमरीजोंकेलिएकुर्शीएवंस्ट्रेचेरआदिकावितरण।	50,000.00

15. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार (सतत् सिंचाई, लीजअवधि तकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 720वृक्षोंका वृक्षारोपण :-



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

क्रमांक.	प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल	पौधों की प्रजाति	पौधों की संख्या
1	बैरियरजोनमेंवृक्षारोपणतथा खदानकेचारोओरगारलैंडट्रे नमेंसागौननीमतथाअन्यपौधेवालेबीजरोपजायेगे ।	नीमकरंजचिरोलपीपलजंगलजलेबीसिस्सूशीशम , बांसबरगदआवलाखिरमिवस्थानीयप्रजाति। 4 पौधोंकेबीचमेंएकफलदारपौधेकारोपणकियाजा एगा । पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी.एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5मी.औरगड्डेकाआकार 0.60मी. x 0.60मी. x 0.60मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा ।	160
2	आवागमनसड़ककेदोनोंतरफवृक्षारोपण	नीम, करंज,चिरोल,पीपल,जंगल,जलेबी,सिस्सूखिरन, खमीरबांसवकस्तर। पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी.एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5मी.औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा ।	160
3	प्रतापफलियास्कूलएवंउदय गढ़स्कूलकेपासपहुँचमागके दोनोंतरफवृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपलकरंजवस्थानीयप्रजातियां।गड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा ।	160
4	प्रतापफलिया, कनासएवंउदयगढ़ग्रामवासियोंकोपौधोंकावितरण	आम,ईमली, सीताफल,मुनगा,नींबू , जामुनअमरुद, कटहल, आंवला , अनार, वस्थानीयप्रजातिआदि।	240

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 04 जून 2024**

<b>Total</b>	<b>720</b>
--------------	------------

**40.10425/2023 Shri Sudesh Jain, Owner, Ward No. 4, Chhapara, Tehsil-Chhapara, District-Seoni (MP)-480661, Prior Environment Clearance for Gorakhpurakala Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (16693 cum per year) (Khasra No. 241, 242, 243), Village-Gorakhpur, Tehsil-Seoni, District-Seoni (MP) [428078] [DEIAA]**

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 680वीं बैठक दिनांक दनांक 15/9/23 में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेंगे, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

प्रकरण सेक की 763वीं बैठक दिनांक 04/06/24 में प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक श्री स्वदेश जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा (ऑनलाईन) मेसर्स कांगनीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिया की शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 70 से 80 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खदान के पूर्व दिशा की ओर खुदा हुआ है।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में एवं केशर के पास लगभग 250 पेड़ लगाये गये जिनको सुरक्षित रखा जावेगा।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।
परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में खदान परिवहन मार्ग है जो कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया है।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए जिला खनिज अधिकारी के पत्र दिनांक 13/12/2023 के माध्यम से खदान क्षेत्र के संशोधित कोर्डिनेट्स प्रस्तुत किये गये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-16693 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगे।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
7. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan, Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.94 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.66 लाख प्रति वर्ष।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

S.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs )
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1	Tanker water sprinkler facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. Hiring of water tanker (4000L) @ Rs.300/Day (PP owned tanker) for 200 days – Rs. 60,000/-	-	<b>60,000</b>
2	Garland Drain (1.5 m wide, 2 m deep, 734m Long) 1 settling tank (4 m wide, 10 m Long, 4 m Deep)	30,000	50,000
2 (A)	Wire Fencing With Pillar Around Lease Area (734m * 500rs/m) Already Done	3,67,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (250m)	1,25,000	15,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone (2000 x Rs.200)	5,00,000	50,000
	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant. Total plantation outside the lease area 200 (200 X Rs.500)		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	-	<b>40,000</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

<b>6</b>	<b>Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler @ Rs. 10,000/cooler) &amp; Rs. 2000/year for maintenance</b>	<b>10,000</b>	<b>2000</b>
<b>7</b>	<b>Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 5000/year for maintainenece.</b>	<b>30,000</b>	<b>5,000</b>
<b>8</b>	<b>Medical Check-up for 10 workers @500/worker (twice in a year)</b>	<b>-</b>	<b>5000</b>
<b>9</b>	<b>First Aid Box &amp; Fire fighting equipments @21000X2 &amp; Rs. 2000/year for maintainenece.</b>	<b>42,000</b>	<b>2000</b>
<b>10</b>	<b>PPEs for other mining operations for 10 worker@ Rs. 1500/worker</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>Shelter rooms for labors (20*20)= 400 Square feet @Rs.1000/square ft</b>	<b>40,000</b>	<b>3000</b>
<b>12</b>	<b>Two dustbins &amp; development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.</b>	<b>5000</b>	<b>2000</b>
<b>13</b>	<b>Half yearly PUC certification for 02 trucks @1000/truck</b>	<b>-</b>	<b>2000</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

<b>14</b>	<b>Maintenance of Haulage Road &amp; Bench</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>
<b>15</b>	<b>Signage &amp; Warning Boards</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>For reduction of Carbon emission through distribution of LED bulbs to nearby Villages</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>
	<b>Total</b>	<b>11,94,000</b>	<b>2,66,000</b>

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

आगामी वर्ष तक	5	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
1		ग्राम गोरखपुर माध्यमिक शाला में प्राध्यापक से चर्चा उपरांत स्कूल में 10 सीलिंग फैन प्रदान किया जावेगा	30000
2		गोरखपुर माध्यमिक शाला में बच्चों के खेलने के लिए स्विंग्स एवं स्लाइड्स	20000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा संख्या
बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	1500
परिवहन मार्ग	नीम, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य प्रजातियाँ	200
गाँव में वितरण	कटहल, आम, जामुन, मुनगा, आवला एवं अन्य प्रजातियाँ	500

**41.10698/2023 Shri Sajid Khan, Proprietor, M/s Flex Minerals, 117, Prashant Nagar, Katol Road, District-Nagpur (MH)-440013, Prior Environment Clearance for Bhivdoni Quartz & Quartzite Mine in an area of 90.06 ha. (20000 TPA) (Khasra No. 239), Village-Bhivadoni, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP) [438844]**

**Chronology of the case**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- The Project Proponent submitted application to MoEF&CC for obtaining TOR vide Online Proposal No. IA/MP/MIN/207011/2021 dated 30-03-2021.
- The Proposal was considered in the 31<sup>st</sup> Meeting of the EAC (Non-Coal mining) held during 9<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup> June 2021. The TOR was awarded vide MoEF&CC Letter No. IA-J-11015/2021-IA-II(M) dated 5<sup>th</sup> July 2021.
- Public hearing for the project was conducted in Madhya Pradesh state on 27.07.2022 and in Maharashtra state on 28.10.2022.
- Final EIA/EMP report was submitted on Parivesh Portal in Category A. However, MoEF&CC directed the project proponent to submit the project to SEIAA, MP as category 'B' Project. Accordingly, the final EIA/EMP is submitted to SEIAA, MP for grant of Environmental Clearance.
- The Proposal was considered in the 699<sup>th</sup> Meeting of SEAC on 08.12.2023 and the proposal was deferred to submit additional information.
- The Proposal was considered in the 739<sup>th</sup> Meeting of SEAC on 23.04.2024 and the proposal was deferred to submit additional information.
- The Proposal was again considered in the 754<sup>th</sup> Meeting of the SEAC, MP on 20.05.2024. The proposal was deferred by SEAC to submit additional documents.

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 04/06/2024 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री खालिद मो. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री पराग, मेसर्स Srushti Seva Private Limited, Nagpur (Maharashtra) उपस्थित हुए।

Wherein following replies submitted by the PP:

- In reply to the query related to inclusion of revenue value in remediation plan of the carbon footprint, the project proponent replied that the cost of 350 trees to be cut and the cost of adoption of 2400 no. of trees is included in remediation plan.
- In reply to the issue related to impact of cutting trees on avifauna, the consultant replied that the study has been conducted through ecological expert and observed that no significant impact on avifauna will take place due to presence of existing monoculture plantation. However, to mitigate the impact, it is proposed to carry out polyculture plantation in consultation with forest department.



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- In reply to the query related to demarcation of wildlife conservation plan on map, the project proponent presented the stated map certified from concerned forest department.

PP has submitted the response of above quarries same date vide letter dated 29.05.2024 on Parivesh Portal, which was placed before the committee and the same found satisfactory. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of **Prior EC for Bhivdoni Quartz & Quartzite Mining Project in an area of 90.067 Ha, Quartz & Quartzite -Production capacity 20000 TPA (Khasra No. 239), Bhivdoni Village, Tehsil Sausar, District Chhindwara, Madhya Pradesh,** subject to the following special conditions:

**(D) PRE-MINING PHASE**

31. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
32. Necessary consents for proposed expansion shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
33. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
34. PP will also carry out fencing all around the lease area.
35. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
36. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
37. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

Sr. No	Particulars	Present Area (Ha)	End of 5 Years Period (Ha)	At the End of Conceptual Period (Ha)
1	Mining Pit	0.0054	0.9045	8.0245
2	Dumps	0.0000	0.0000	0.0000
3	Roads	0.0000	0.3300	1.5000
4	Green Belt	0.0000	0.0450	0.1800
5	Infrastructure	0.0000	0.0100	0.0000
6	Balance Area of Mining Lease	90.0616	88.7775	80.3625

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	<b>Total</b>	<b>90.067</b>	<b>90.067</b>	<b>90.067</b>
--	--------------	---------------	---------------	---------------

**(E) MINING OPERATIONAL PHASE**

38. No intermediate stacking of soil is permitted and same shall be utilized for plantation.
39. Controlled blasting shall be carried-out by adopting necessary approval from statutory agencies.
40. Tree falling shall be carried out only after obtaining necessary permission from Govt. Department/ Forest Department.
41. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for mining period including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) including the village side to provide additional protection in one year only.
42. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 11580 no's of trees will be planted.

Year	Green Belt		
	Trees	Area	Location
	Nos.	Sq.m.	
1st Year	2580	15000 + 500 m long approach road (both side)	Safety Barrier Zone + Along approach road
2nd Year	2250	15000	Safety Barrier Zone
3rd Year	2250	15000	Safety Barrier Zone
4th Year	2250	15000	Safety Barrier Zone
5th Year	2250	15000	Safety Barrier Zone
<b>Total =</b>	<b>11,580</b>	<b>75000</b>	

43. Transportation road shall be made pucca.
44. Transportation of material shall be done in covered vehicles.

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

45. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
46. The OB till its utilization for backfilling shall be properly stacked as per approved mining plan and disposed off as per the submitted proposal. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
47. Garland drains and settling pits of adequate sizes shall be provided.
48. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social up-liftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local Panchayat.
49. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
50. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
51. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
52. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

**(F) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT**

53. The proposed EMP cost is Rs. 37.98 lakhs are proposed as capital expenses and Rs. 10.25 lakhs as recurring expenses.

**Proposed Capital Expenditure for Environment Management Plan**

Sr. No.	Particulars	Estimated Capital Cost (Rs. In Lakh)
<b>1</b>	<b>Air Pollution Control</b>	
a	Dust Suppression Measures	2.00
b	Green Belt Development	11.58
<b>2</b>	<b>Water Pollution Control</b>	
a	Garland Drain	1.70
b	Mine Water Sedimentation Pond & Pumps	1.50
c	Construction of Check bunds	1.80
<b>3</b>	<b>Noise &amp; Vibration Control</b>	
a	Controlled blasting using NONEL	(included in Mining cost)
b	Use of sharp drill bits	
<b>4</b>	<b>Pollution Monitoring</b>	
a	Environmental Monitoring	--
<b>5</b>	<b>Conservation of Natural Resources</b>	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

Sr. No.	Particulars	Estimated Capital Cost (Rs. In Lakh)
a	Solar Lighting Arrangement	0.40
b	Rainwater Harvesting	1.00
<b>6</b>	<b>Occupational Health &amp; Safety</b>	
a	Training, Awareness Programmes, Health Insurance Etc.	1.00
b	Personnel Protection Equipment	1.00
c	Fencing around mine pit	1.00
<b>7</b>	<b>Wildlife Conservation Plan</b>	
a	Implementation of Wildlife Conservation Plan	15.00
<b>Total Capital Cost =</b>		<b>37.98</b>

**Proposed Recurring Expenditure for Environment Management Plan**

Sr. No.	Activity / Items	Estimated Recurring Cost
		Rs. Lakhs / Annum
1	Dust Suppression	3.20
2	Pollution Monitoring	1.50
3	Occupational Health	0.50
4	Plantation	1.20
5	Maintenance of Safety Zone, etc	0.50
6	Maintenance of Rainwater Harvesting Structures	0.20
7	Adoption of trees for Carbon sequestration (2400 No.s) (for initial 10 years)	2.40
8	Training & Awareness Programmes on Environmental Management including OHS, Sanitation & hygiene	0.50
9	Statutory Fees related to Environment Approvals/Consents etc	0.25
<b>Total Recurring Cost/annum</b>		<b>Rs 10.25 Lakh</b>

54. Under CSR activity total Rs. 2.0 Lakhs/Year will be disbursed for different activities and for CER activity total Rs. 18.70 Lakhs will be disbursed for different activities as given below table

Sr. No.	Proposed activities under CER	Location	Proposed budget with Time frame for implementation (Rs. in Lakh)		Total Budget (Rs. in Lakh)
			1st year	2nd year	
1	<b>Employment</b>				
a	Direct employment to interested	Bhivdoni &	--*	--*	--*

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

Sr. No.	Proposed activities under CER	Location	Proposed budget with Time frame for implementation (Rs. in Lakh)		Total Budget (Rs. in Lakh)
			1st year	2nd year	
	youth based on eligibility and requirement at mine	Sindevani village			
b	Formation of Women Self Help Groups and provide necessary training	Bhivdoni & Sindevani village	0.50	0.50	1.00
2	<b>Health &amp; Sanitation</b>				
a	Periodic health check-up camps	Bhivdoni & Sindevani village	0.50	0.50	1.00
b	Conducting cattle health check-up camps	Bhivdoni & Sindevani village	0.50	0.50	1.00
c	Construction of Toilet	Bhivdoni village	1.50	--	1.50
3	<b>Social Infrastructure</b>				
a	De-siltation and construction of check bunds in nalla in Bhivdoni village	Bhivdoni village	0.50	0.50	1.00
b	Strengthening of village road connecting Bhivdoni to Sawarni village	Bhivdoni-Sawarni village road	1.50	1.50	3.00
c	Development of pasture land through women SHG	Bhivdoni & Sindevani village	0.50	0.50	1.00
4	<b>Education</b>				
a	Donation of 2 computers each to village schools	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Govt. Primary School, Bhivdoni</li> <li>• Zilla Parishad Higher Primary School, Shindevani</li> </ul>	0.50	0.50	1.00
b	Skill development of local interested youth (male & female) for vocational training (ITI/ Computer courses)	5 students each from Bhivdoni & Sindevani village	0.50	0.50	1.00

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

Sr. No.	Proposed activities under CER	Location	Proposed budget with Time frame for implementation (Rs. in Lakh)		Total Budget (Rs. in Lakh)
			1st year	2nd year	
c	Reaping & maintenance of School Rooftop	Govt. Primary School, Bhivdoni	1.00	1.00	2.00
5.	<b>Air Pollution</b>				
a	Dust suppression measures	Transport route	1.00	1.00	2.00
6.	<b>Water Pollution</b>				
a	Garland Drain	Along the Boundary of lease	1.70	--	1.70
b	Mine Water Sedimentation Pond & Pumps	Within lease area	1.50	--	1.50
	<b>Total</b>		<b>12.70</b>	<b>6.00</b>	<b>18.70</b>

55. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
56. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
57. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
58. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity/ built-up area/ project area, addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

**42.11148/2024 Shri Pratipal Pawar, Owner, R/o Ward No. 03, Futa Kuaa, Chanderi, District-Ashoknagar, (MP)-473446, Prior Environment Clearance for Badera Stone**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**& M-Sand Quarry in an area of 2.50 ha. (11761 cum per year) (Khasra No. 669), Village-Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashoknagar (MP) [453060] [DEIAA]**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री **Shri Pratipal Pawar**, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उनके एप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे ।

अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया ।

**43.11169/2024 Shri Naresh Prasad Gupta, Partner, M/s Chitrangi Stone Works, R/o Shiv Nagar Colony, Post-Billi, District-Sonbhadra (UP)-231219, Prior Environment Clearance for Piparwan Stone Quarry in an area of 4.90 ha. (120284 cum per year) (Khasra No. 225/1/2, 225/1/5, 225/1/1, 226/2, 230/1/1, 226/1), Village-Piparwan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [453518] [DEIAA] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**44.11161/2024 Shri Sama Khan S/o Abdul Rahman, Project Proponent, R/o Urmain Road, Sagour, Nagar Palika Office ke Pass, Sagour, Pithampur, District-Dhar (MP)-454775 Prior Environment Clearance for Rawad Stone Crusher Quarry in an**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**area of 3.642 ha. (37000 cum per year) (Khasra No. 33/1/4/3), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) [451574] [DEIAA] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**45.11154/2023 Shri Ravi Bargal, Partner, M/s Shriram Stone Crusher, R/o 111, C Sangam Nagar, District-Indore (MP)-452006, Prior Environment Clearance for Sejwani Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (14140 cum per year) (Khasra No. 284/1/1/1), Village-Sejwani, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) [450747] [DEIAA] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**46.11145/2024 Ms. Richa Singh, Partner, M/s P S Infrastructure, R/o 4/1, MANIT Campus, Near Mata Mandir, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP)-462003, Prior Environment Clearance for Biloua Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.50 ha. (7000 cum per year) (Khasra No. 23/222), Village-Shahpur, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [451632] [DEIAA] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**47.10757/2023 Shri Murari Sharma, Owner, R/o House No. 77, Sawan Nagar, Lalghati, District-Bhopal (MP)-462030, Prior Environment Clearance for Kapton Murrum Deposit Quarry in an area of 7.00 ha. (45600 cum per year) (Khasra No. 242/239P), Village-Kapton, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (MP) [441151] (TOR)**



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**48.11125/2023 Shri Radhe Prajapati, Owner, R/o Vijay Nagar, AB Road, Ward No. 26, Gun House ke Pass, District-Shajapur (MP)-465001, Prior Environment Clearance for Yashwantnagar Crusher Stone in an area of 2.00 ha. (4750 cum per year) (Khasra No. 141), Village-Yashwantnagar, Tehsil-Tarana, District-Ujjain (MP) [450229] [DEIAA] (TOR)**

यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उनके अप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे।

अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।

**49.11172/2024 Shri Rahul Sahu, Lessee, R/o Village-Kuchdod, Tehsil & District-Mandsaur (MP)-458895, Prior Environment Clearance for Arniya Gurjar Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Gitti-6300, M-Sand-5000 cum per year) (Khasra No. 36), Village-Arnya Gujar, Tehsil-Mandsaur, District-Mandsaur (MP) [432029] [DEIAA] (TOR).**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Rahul Sahu ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018के बाद जारी की गयी है उनके अप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे।

अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।

**50.10514/2023 Shri Ashwin Maru, Lessee, R/o Chota Bazar, Tehsil-Unhel, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for Akyanajik Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (Expansion from 40000 cum per year to 2,00,000 cum per year) Stone - 1,50,000 cum per year and M-Sand - 50,000 cum per year(Khasra No. 76), Village-Akya Najik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [441597] (TOR-)**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा क्षमता विस्तार के लिये 40,000 घन मीटर/वर्ष से 2,00,000 घन मीटर/वर्ष (Stone - 1,50,000 cum per year and M-Sand - 50,000 cum per year) आवेदन किया गया है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**51.11163/2024 Shri Tejwant Jain, Lessee, R/o Sudamapuri, Morar, District-Gwalior (MP)-474006 Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 3717/2), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [434526] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**52.P2/227/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 26.00 Hectare, Khasra No.-253 in Village - KIRPURA, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 468000 cum per annum [ MIN/447460/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय , खसरा न. 253 26.00 Ha.
स्थल	Village – Kirpura & Tehsil – Makhannagar, District – Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट ( किरपुरा ) दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 4,68,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 841 / खनिज / 2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 80.7 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 841 / खनिज / 2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 841 / खनिज / 2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गूजरवाड़ा जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2020 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभू अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• तवा नदी पर है</li> </ul>
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक- 89 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 30.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में एक कि.मी. से अधिक दूरी पर ब्रिज है, एवं पूर्व दिशा में 5.77 कि.मी. दूरी पर ब्रिज है । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 26.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई माईनिंग प्लान एवं डीएसआर में 3.0 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 9.07 हे. छोड़ने पर 16.93 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 468000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 468000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,80,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 440 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	44,000	10,000
3	Plantation (20,316 plants will be planted & Distribution during the first year).	15,23,700	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	3,00,000	3,00,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) ,35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
13	Accidental cause	50,000	--
<b>Solid Waste Management</b>			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>23,32,700</b>	<b>5,11,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 6.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम किरपुरा के आंगनवाड़ी केन्द्र के अधोसंरचना के विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	6,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 20,316 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3,386
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3,386

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	13,544
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p>			

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**53.P2/420/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 14.000 Hectare, Khasra No.- 225/1, in Village - SATRAVAN-1 , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 168000 cum per annum [ MIN/458080/2024]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 225/1 ( शासकीय भूमी नदी)   क्षेत्रफल – 14.00 हे.
स्थल	ग्राम – सतरावन, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सतरावन-1 रेत खदान, दिनांक-19/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सतरावन-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,68,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,68,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1199 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 7.660 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.660 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1199 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1199 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सतरावन के अंतर्गत ग्राम मुआर, जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/08/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	<b>30/01/2024</b>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-92 के सरल क्रमांक-02 एवं पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है। खनन क्षेत्र कुल 14.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु माईनिंग

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

प्लान में खनन कार्य हेतु गहराई 2.0 मी. है। डीएसआर में गहराई 3.0 मीटर दर्शाई गई है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये आवेदन अनुसार 168000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 168000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. **खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारीयों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।**
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
6. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			
<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
<b>1(b)</b>	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
<b>2.</b>	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,80,000	36,000
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(4500X150 = ₹6,75,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(380X500 = ₹ 1,90,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(5200X50 = ₹ 2,60,000)	
		11,25,000	1,12,500
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (120 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	70,000
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	5,000
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000	12,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	2,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	50,000	-
<b>Total</b>		<b>16,86,000/-</b>	<b>6,03,500/-</b>

15. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पंचायत भवन सतरावन के निर्माण कार्य हेतु 2,00,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी	2,00,000
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम सतरावन के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

कुल	3,50,000
-----	----------

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4880 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5200 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	4500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	380
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5200
<b>कुल</b>			<b>10080</b>

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
  - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
  - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**54.P2/215/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 17.50 Hectare, Khasra No.-181/1 in Village - Rajoun-1, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 262500 cum per annum [ MIN/447336/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 17.50 Ha.
स्थल	Village - Rajoun 1 & Tehsil - Makhannagar, District - Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (राजोन) दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 2,62,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 801/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 39.405 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 801/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 801/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,			



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजोन जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 22.04.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• तवा नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06 के सरल क्रमांक- 07 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 30.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई। खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 17.50 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 2.50 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये आवेदन अनुसार 262500 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 262500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा ।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,20,000	20,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1320 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,32,000	5,000
3	Plantation (21,000 plants will be planted & Distribution during the first year).	15,75,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>22,27,000</b>	<b>3,96,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम राजोन के समीप स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CMO की सलाहनुसार सहायता के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	4,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 21,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3,500
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3,500
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	14,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**55.P2/402/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 5.170 Hectare, Khasra No.- 206, in Village - Karuakap, Tehsil - Barawada, District - Katni (MP), Maximum Production - 77550 cum per annum [ MIN/444572/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 206 ( आसकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 5.170 हे.
स्थल	ग्राम – करुआकाप, तहसील – बडवारा, जिला – कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम करुआकाप रेत खदान, दिनांक- 29/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा करुआकाप रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 77,550 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 77,550 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2164 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 14.48 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 19.65 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2164 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2164 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट / औद्योगिक संस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / आम तान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न / दूरद नि / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बडवारा जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 20/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	महानदी नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-26 के सरल क्रमांक-14 एवं पेज नं.-60 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई ।  आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 5.170 हेक्टेयर प्रस्तावित है, खनन कार्य हेतु गहराई डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 2.5 मीटर रखी गई है । अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 तक की गूगल ईमेज का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार नॉन माईनिंग क्षेत्र 4.068 हेक्टेयर छोड़ने पर 0.932 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 22500 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है । परियोजना

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 08/01/2024 में अनुमोदित अतिरिक्त कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये हैं। खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में डाऊन स्ट्रीम पर एक ब्रिज है जिससे एक कि.मी. छोड़ने तथा नदी के अविरल बहाव को सतत् बनाये रखने तथा डी.एस.आर. की गहराई अनुसार 22500 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 22500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,80,000	36,000
3.	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1100X150= ₹1,65,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= ₹ 1,00,000)	38,610
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2422X50 = ₹ 1,21,100)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (36 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	36,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 43	40,000	8,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice	-	43,000



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	in a year) (For 43 Labors -43× 500 × 2)		
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 43 workers - 43× 1500)	64,500	12,900
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	50,000	50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>		<b>8,76,600/-</b>	<b>4,49,510/-</b>

17. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम करुआकाप के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में राशि भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	50,000
<b>कुल</b>	<b>50,000</b>

18. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2422 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा,	1100

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	से 1 से 6 पंक्तियों में)	लेमन घास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2422
<b>कुल</b>			<b>3722</b>
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**56.P2/199/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 17.50 Hectare, Khasra No.-181/1 in Village - Rajoun-2, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 262500 cum per annum [ MIN/447346/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय खसरा न. 181 / 1 17.50 Ha.			
स्थल	Village - Rajoun 2 & Tehsil - Makhannagar, District - Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना	रेत की खदान है			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	तवा नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (राजोन) दिनांक - 02.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 2,62,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 803/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 39.405 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 803/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 803/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजोन जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 22.04.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• तवा नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06 के सरल क्रमांक- 08 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 30.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 17.50 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 2.50 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 262500 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 262500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है ।

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,20,000	20,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1320 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,32,000	5,000
3	Plantation (21,000 plants will be planted & Distribution during the first year).	15,75,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x35	Nil	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>21,92,000</b>	<b>3,96,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 4.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	राजोन2- मे सड़क के चौडीकरण के लिए के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,00,000
2	ग्राम राजोन के समीप स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CMO की सलाहनुसार सहायता के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,00,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 21,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3,500
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3,500
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	14,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**57.P2/221/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.00 Hectare, Khasra No.-181/1 in Village - Rajoun-3, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 52800 cum per annum [ MIN/447432/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal,



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय खसरा न. 181/1 4.00 Ha.			
स्थल	Village –Rajoun 3 & Tehsil – Makhannagar, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (राजोन) दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 52,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 805/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 39.405 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 805/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 805/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजोन जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 22.04.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• तवा नदी पर है</li> </ul>
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 08 के सरल क्रमांक- 28 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 30.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 4.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 2.20 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुए 52800 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 52800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three	1,00,000	10,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	Times in day)		
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 810 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	81,000	5,000
3	Plantation (4800 plants will be planted & Distribution during the first year).	3,60,000	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. 12,500 Rs./twice per year @500 x 2 x25	Nil	25,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1000 Rs.	25,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>9,31,000</b>	<b>3,34,000</b>

### 3. CSR Table

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	राजोन-3 में प्राथमिक शाला के अधोसंरचना बिकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4,800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	800
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	800
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**58- P2/213/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 0.405 Hectare, Khasra No.- 181/1 in Village - Rajoun-4, Tehsil - Makhan nagar, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 7290 cum per annum [ MIN/447458/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय खसरा क्र. 181/1 0.405 Ha.
स्थल	Village -Rajoun 4 & Tehsil - Makhannagar, District - Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (राजोन) दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 7,290 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 807/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 39.405 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 807/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 807/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजोन जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 22.04.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• तवा नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक- 47 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 30.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 0.405 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु माईनिंग प्लान के अनुसार 3.0 मीटर रखी गई है, व डीएसआर में भी 3.0 मी. गहराई दर्शाई है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 7290 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 7290 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा ।



## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये ।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	50,000	5,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 220 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	22,000	5,000
3	Plantation (486 plants will be planted & Distribution during the first year).	36,450	5,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

5	Water harvesting recharge structure	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 15 Labour @ 500 Rs. 7,500 Rs./twice per year @500 x 2 x15	Nil	15,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) ,15 labor @1000 Rs.	15,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental Cause	35,000	2,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>3,23,450</b>	<b>1,66,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम राजोन-4 के समीप स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CMO की सलाहनुसार सहायता के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	20,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 486 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ
-----	------------------------------	---------------------

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	81
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	81
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	324

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**59- P2/211/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 22.50 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - MARODA-1, Tehsil - Itarsi, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 378000 cum per annum [ MIN/447035/2023]**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 22.50 Ha.			
स्थल	Village – Maroda 1 & Tehsil – Itarsi, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मरोड़ा) दिनांक - 02.01.2024			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

द्वारा स्थल निरीक्षण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 3,78,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03. 07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 45.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03. 07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03. 07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरोड़ा जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 14.04.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• तवा नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06 के सरल क्रमांक- 10 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 31.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई। खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 22.50 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु माईनिंग प्लान में खनन कार्य हेतु गहराई 2.8 मीटर रखी गई है, व डीएसआर में भी 2.8 मी. गहराई दर्शाई है। गूगल ईमेज अनुसार लीज क्षेत्र के जल भराव भाग को सेटबैक छोड़ने पर नॉन माईनिंग क्षेत्र 1.50 हे. छोड़ने पर 21.0 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 378000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 378000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	20,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 940 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	94,000	5,000
3	Plantation (25,200 plants will be planted & Distribution during the first year).	18,90,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print Trees adaptation	2,50,000	2,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 263 Labour @ 500 Rs. 13150 Rs./twice per year @500 x 2 x263	Nil	2,63,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 263 labor @1000 Rs.	2,63,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

12	Accidental Cause	50,000	Nil
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>28,12,000</b>	<b>7,22,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मरोड़ा 1 के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,00,000
2	ग्राम मरोड़ा 1 के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,00,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 25,200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	4,200
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4,200



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	16,800
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**60- P2/208/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 22.50 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - Maroda-2, Tehsil - Itarsi, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 405000 cum per annum [ MIN/447106/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 22.50 Ha.			
स्थल	Village – Maroda 2 & Tehsil – Itarsi, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मरोड़ा) दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 4,05,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 877/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 45.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 877/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 877/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरोड़ा जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 14.04.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है तवा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• तवा नदी पर है</li> </ul>
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक- 93 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 31.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई। खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 22.50 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु माईनिंग प्लान में खनन कार्य हेतु गहराई 3.0 मीटर रखी गई है, व डीएसआर में भी 3.0 मी. गहराई दर्शाई है। खदान के कुछ भाग पानी में डूबा होने से नॉन माईनिंग क्षेत्र 4.78 हे. छोड़ने पर 17.72 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 405000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 405000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	20,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 960 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	96000	5,000
3	Plantation (21264 plants will be planted & Distribution during the first year).	15,94,800	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 279 Labour @ 500 Rs. 13950 Rs./twice per year @500 x 2 x279	Nil	2,79,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 279labor @1000 Rs.	2,79,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>24,34,800</b>	<b>6,40,000</b>

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**3. CSR Table**

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 5.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मरोड़ा के प्राथमिक शाला में अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,50,000
2	ग्राम मरोड़ा के समीप स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CMO की सलाहनुसार सहायता के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,50,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 21,264 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3,544
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3,544
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	14,176

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**61- P2/232/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 2.00 Hectare, Khasra No.-107 in Village - Dimawar, Tehsil - Sibnimalwa, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [ MIN/447337/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय Khasra No.- 107 2.0 Ha.
स्थल	Village – Dimawar & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें ।	रेत की खदान है नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (डिमावर) दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 865/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 865/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में			



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 865/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कजली जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 25.04.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है नर्मदा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• नर्मदा नदी पर है</li> </ul>
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 15 के सरल क्रमांक- 97 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 31.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र तवा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 2.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 3.0 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 36000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 36000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है ।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. लोक सुनवाई में ग्रामवासियों की मांग के अनुसार रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनिज क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	5,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 350 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	35,000	10,000
3	Plantation (2400 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,80,000	20,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 26 Labour @ 500 Rs. = 13,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 26	Nil	26,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 26 labor @1000 Rs.	26,000	1,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>9,21,000</b>	<b>3,50,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम दिमावर के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	75,000
2	ग्राम दिमावर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	75,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	400
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	400
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1600

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**62- P2/219/24 Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 11.00 Hectare, Khasra No.- 1\_1 in Village - RAMGARH-2, Tehsil - Sibnimalwa, District - Hoshangabad (MP), Maximum Production - 178200 cum per annum [ MIN/447462/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Gopal Singh (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय Khasra No.- 1_1 11.0 Ha.			
स्थल	Village – Ramgarh 2 & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना	रेत की खदान है			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	नर्मदा नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (रामगढ़ ) दिनांक - 02.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,78,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 847/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 847/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 847/खनिज/2023-24 नर्मदापुरम दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लुचगाँव जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है नर्मदा नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• नर्मदा नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 07 के सरल क्रमांक- 13 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 31.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 11.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई 2.7 मीटर रखी गई है । खदान के कुछ भाग में जल भरा हुआ है। अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र 3.33 हे. छोड़ने पर 7.67 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 178200 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 178200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 690 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	69,000	5,000
3	Plantation (9204 plants will be planted & Distribution during the first year).	6,90,300	18,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

6	Water harvesting recharge structure	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 124 Labour @ 500 Rs. 62,000 Rs./twice per year @500 x 2 x124	Nil	1,24,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) 124 labor @1000 Rs.	1,24,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	Nil
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>13,48,300</b>	<b>4,41,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	रामगढ-2 मे स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,00,000
2	रामगढ-2 मे सड़क के चौड़ीकरण विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	2,00,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 9,204 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1,534
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1,534
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	6,136

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**63- P2/356/24 ASHISH SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 21.100 Hectare, Khasra No.- 122, in Village - Madikheda-2, Tehsil - Seondha, District - Datia (MP), Maximum Production - 126000 cum per annum [ MIN/446562/2023] Khodu Bharu Lease.**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, RK Yadav (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: R K Yadav			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 21.10 Ha.			
स्थल	Village – Madikheda 2 & Tehsil – Seodhna, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है खोदु भरु			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट ( मडीखेड़ा-2 ) दिनांक - 05.04.2024			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,26,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1006/खनिज/2023-24 दतिया दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1006/खनिज/2023-24 दतिया दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1006/खनिज/2023-24 दतिया दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मडीखेड़ा जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 16.03.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है नदी खदान
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 16 के सरल क्रमांक- 27 पर दर्ज है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
---	---

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार यह खोदू-भरू रेत खदान सिंध नदी के पास शासकीय भूमि पर लगभग 900 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है खनन क्षेत्र कुल 21.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है, खनन कार्य हेतु गहराई 1.0 मीटर रखी गई है । प्रस्तावित खदान नदी के क्षेत्र से दूरी पर स्थित है, एवं खोदु-भरू व्यवस्था से उत्खनन किया जावेगा। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 126000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 126000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
2. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
- 6- **Other conditions for Non- Rivers Sand mining:**
  - The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.

- The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
- If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
- For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
- Transportation road shall be made pucca (tar road) and shall be constructed prior to operation of mine.
- PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
- No intermediate stacking is permitted at the mine site.
- Overhead sprinklers shall be provided in mine.

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 600 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	60,000	10,000
3	Plantation (25,320 plants will be planted & Distribution during the first year).	18,99,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	1,00,000	--
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 37 Labour @ 500 Rs. = 18,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 37	Nil	37,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 37 labor @ 1000 Rs.	37,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	-
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>25,11,000</b>	<b>3,96,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मडीखेड़ा-2 के आस्था के केंद्र तक सड़क निर्माण करवाया जाएगा क्योंकि यह बिन्दु जन सुनवाई में आया था ।	3,00,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 25,320 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	4,220
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	4,220
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	16,880

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**64- P2/386/24 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.500 Hectare, Khasra No.-436, in Village - PARA, Tehsil - Jabalpur, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 2000 cum per annum [ MIN/444665/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रमेश भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 436 ( ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल - 6.50 हे.
स्थल	ग्राम - पारा, तहसील - जबलपुर, जिला -जबलपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पारा रेत खदान, दिनांक- 24/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पारा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 2,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2472 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2472 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेचुरल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं वन सीमा 250 मीटर से कम 143 मीटर दूरी पर है। संभागीय स्तर समिति से अनापत्ति प्राप्त नहीं हैं।	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2472 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था / चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गोल क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सहजपुरी के अंतर्गत ग्राम पारा, जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 04/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 08 के सरल क्रमांक- 05 एवं पेज नं.- 59 के सरल क्रमांक- 05 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खदान लीज क्षेत्र की मार्च की गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः अद्यतन स्थिति में खदान लीज क्षेत्र का जियो टेग फोटोग्राफ एवं खनिज अधिकारी द्वारा रेत उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः विचार किया जाना अनुशंसित है।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**ADS** - अधतन स्थिति में खदान लीज क्षेत्र का जियो टेग फोटोग्राफ एवं खनिज अधिकारी द्वारा रेत उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायें।

**65- P2/397/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 13.350 Hectare, Khasra No.- 391, 415, in Village - Chhindai Pipariya, Tehsil - Barhi, District - Katni (MP), Maximum Production - 192240 cum per annum [ MIN/444748/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 391,415 ( शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 13.350 हे.
स्थल	ग्राम – छिंदहाई पिपरिया, तहसील –बरही, जिला – कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम छिंदवाड़ा पिपरिया रेत खदान, दिनांक- 12/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा छिंदवाड़ा पिपरिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,92,240 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,92,240 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2183 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (05) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 48.21 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 61.560 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2183 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2183 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट / वैश्विक संस्था / चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा पिपरिया, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 30/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	हलफल नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-29 के सरल क्रमांक-41 एवं पेज नं.-38 के सरल क्रमांक-41 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई ।  आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 13.350 हेक्टेयर प्रस्तावित है, खनन कार्य हेतु गहराई डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 2.4 मीटर रखी गई है । खनन क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में एक कि.मी. से अधिक दूरी पर ब्रिज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के अतिरिक्त कॉर्डिनेट खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 08/01/2024 प्रस्तुत किये हैं । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 192200 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 192200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 7.55 लाख प्रति वर्ष।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc	2,50,000	70,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	(1000m in length × 5m in width)		
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(400X150 = ₹6,00,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500 = ₹1,50,000)	10,15,600
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(5312X50 = ₹2,65,600)	1,01,560
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (89 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	89,000
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)		30,000
	Pollution Monitoring		30,000
	i) Air pollution		20,000
	ii) Water pollution		20,000
	iii) Soil Pollution		20,000
	iv) Noise Pollution		
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 103	90,000	18,000
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
<b>9</b>	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 103 Labors - 103× 500 × 2)	-	1,03,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

<b>10</b>	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	40,000	4,000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 103 workers - 103× 1500)	1,54,500	18,000
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
<b>14</b>	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
<b>15</b>	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
<b>16</b>	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	2,50,000	2,50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>		<b>19,36,100/-</b>	<b>9,48,560/-</b>

19. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 3.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
सी.ई.आर मद से रोगी कल्याण समिति ग्राम छिंदाई पिपरिया के खाते में राशि भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
सी.ई.आर मद से 2,50,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम छिंदाई पिपरिया के भासकीय प्राथमिक भाला के बैंक खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	2,50,000
<b>कुल</b>	<b>3,50,000/-</b>



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

20. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5312 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	4000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5312
<b>कुल</b>			<b>9612</b>
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**66- P2/380/24 ARUN SHARMA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 13.000 Hectare, Khasra No.- 324, in Village - Lidhaura, Tehsil - Pichhore Or Dabra, District - Gwalior (MP), Maximum Production - 40734 cum per annum [ MIN/448670/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Arun Sharma (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Arun Sharma			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 13.00 Ha.			
स्थल	Village – Lidhaura & Tehsil – Dabra, District – Gwalior (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हाँ	हाँ		
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिंध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (लिधौरा) दिनांक - 05.04.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 40,734 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल/1195 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1195/खनिज/2023 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल / 1195 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डवरा जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 16.08.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है सिंध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• सिंध नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 9 के सरल क्रमांक- 1 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज 03/12/2023 व कई गूगल ईमेज अवलोकन करने पर खनन क्षेत्र पानी में डूबा रहता है । अतः अधतन स्थिति का गुगल ईमेज के साथ ही खनिज अधिकारी से इस बात की पुष्टि करा ली जावे कि खनन के समय रेत उपलब्ध होगी या नहीं ।

**ADS -** खनन क्षेत्र के चारों ओर पानी दिख रहा है जिस कारणवश प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का आँकलन नहीं किया जा सकता अतः खनिज अधिकारी द्वारा खनन क्षेत्र में सर्वेक्षण कर उसकी गहराई एवं रेत खनन की क्षमता का आकलन किया जाए एवं खनन क्षेत्र के फोटोग्राफ को ऑर्डिनेट के साथ प्रस्तुत किए जाएं ।

**67- P2/377/24 ARUN SHARMA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 21.940 Hectare, Khasra No.- 718, in Village - Gajapur, Tehsil - Pichhore Or Dabra, District - Gwalior (MP), Maximum Production - 131640 cum per annum [ MIN/448629/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Arun Sharma (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Arun Sharma			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 21.940 Ha.			
स्थल	Village – Gajapur & Tehsil – Dabra, District – Gwalior (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिंध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गजापुर) दिनांक - 05.04.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,31,640 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल / 1201 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल / 1201 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल / 1201 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अजयगढ़ जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 26.01.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिंध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• सिंध नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 9 के सरल क्रमांक- 2 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 21.940 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 1.0 मीटर रखी गई है। खदान लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग में जल भराव है। अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र 17.09 हेक्टेयर छोड़ने पर 4.85 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 48500 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 48500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 940 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	94,000	10,000
3	Plantation (5,820 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,36,500	1,00,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	--
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 110 Labour @ 500 Rs. = 55,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 110	Nil	1,10,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 110 labor @1000 Rs.	1,10,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental cause	50,000	--
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>11,55,500</b>	<b>5,19,000</b>

**3. CSR Table**



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गजापुर के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	75,000
2	ग्राम गजापुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	75,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5820 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	970
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	970
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,880

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**68- P2/379/24 ARUN SHARMA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 18.770 Hectare, Khasra No.- 855, in Village - Babupur, Tehsil - Pichhore Or Dabra, District - Gwalior (MP), Maximum Production - 53460 cum per annum [ MIN/448683/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Arun Sharma (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Arun Sharma
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

(सरकारी / निजी)	18.770 Ha.			
स्थल	Village – Babupur & Tehsil – Dabra, District – Gwalior (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिंध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बाबूपुर) दिनांक - 05.04.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 53,460 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल /1199 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल			

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल /1199 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल /1199 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लिधौरा जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 16.08.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है सिंध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• सिंध नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 9 के सरल क्रमांक- 3 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 18.770 हेक्टेयर प्रस्तावित है, खनन कार्य हेतु गहराई डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 1.0 मीटर रखी गई है । खदान लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग में जल भराव है। अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र 14.796 हेक्टेयर छोड़ने पर 2.66 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । पूर्व 03 वर्षों के उत्पादन आँकड़ों के अनुसार 18000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 18000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 940 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	94,000	10,000
3	Plantation (2,160 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,62,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing carbon foot print 1000 Trees adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	1,00,000	--
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 110 Labour @ 500 Rs. = 55,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 110	Nil	1,10,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 110 labor @1000 Rs.	1,10,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
12	Accidental Cause	50,000	--
<b>Solid Waste Management</b>			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>7,19,000</b>	<b>4,69,000</b>

### 3. CSR Table

सी.एस.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
2	ग्राम बाबूपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	1,00,000

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2160 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	360
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	360
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1440

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।**

**69- P2/378/24 ARUN SHARMA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 17.456 Hectare, Khasra No.- 821, in**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

**Village - Basai, Tehsil - Bhitwar, District - Gwalior (MP), Maximum Production - 88200 cum per annum [ MIN/448698/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 04.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Arun Sharma (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Arun Sharma			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 17.456 Ha.			
स्थल	Village – Basai & Tehsil – Bhitwar, District – Gwalior (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिंध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बसई ) दिनांक - 05.04.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 88,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल / 1197 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल / 1197 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू एल / 1197 ग्वालियर दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बामरोल जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है सिंध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• सिंध नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 9 के सरल क्रमांक- 4 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया खनन क्षेत्र कुल 17.456 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु गहराई डीएसआर एवं माईनिंग प्लान के अनुसार 1.5 मीटर रखी गई है । खदान का अधिकांश भाग जल भराव है। अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र 11.006 हेक्टेयर छोड़ने पर 6.45 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 9675 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 9675 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 450 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	45,000	10,000
3	Plantation (7740 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,80,500	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Labour Welfare</b>			
5	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
6	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
7	Occupational health Survey 37 Labour @ 500 Rs. = 18,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 37	Nil	37,000
8	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 37 labor @1000 Rs.	37,000	5,000
9	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
10	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
11	Accidental Cause	50,000	-
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>10,67,500</b>	<b>2,46,000</b>

**3. CSR Table**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बसई के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	25,000
2	ग्राम बसई के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराने हेतु	25,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7740 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1290
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1290
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	5160

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**70- P2/479/24 GAYAPRASAD ANJNE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.110 Hectare, Khasra No.-1005/1008, 442/1007/1, in Village - BHAMRAH, Tehsil - Manpur, District - Umaria (MP), Maximum Production - 109980 cum per annum [ MIN/444462/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भा. भूशण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे. राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भा. भूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदे. राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 1005/1008, 442/1007/01	क्षेत्रफल - 6.110 हे.
स्थल	( शासकीय भूमि नदी)	
लीज स्वीकृति	ग्राम - भमराह, तहसील - मानपुर, जिला - उमरिया, (म.प्र.) मध्यप्रदे. शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के	

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम भमराह रेत खदान, दिनांक- 20/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा भमराह रेत खदान के लिए स्टैन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,09,980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,09,980 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में अभ्यारण्य/घोशित जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । आवेदित क्षेत्र से बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के कोर सीमा से न्यूनतम दूरी 13.438 किमी. की दूरी पर बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की ईको सेंसिटिव जोन व बफर सीमा से 1.706 किमी. की दूरी पर स्थित है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था / चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

	लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन मील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई जलीय निकाय/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण पक्का रास्ता /नाला नहीं हैं। आवेदित क्षेत्र से तालाब 270 मीटर, ग्रामीण कच्चा रास्ता 70 मीटर की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भमराह जिला उमरिया के अनापत्ती पत्र दिनांक 22/12/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	सोन नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 09 के सरल क्रमांक- 05 एवं पेज नं.- 76 के सरल क्रमांक- 12 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 30/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। एकल प्रमाण-पत्र में ईको सेंसेटिव जोन से दूरी स्पष्ट नहीं है। अतः संबंधित क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी से दूरी स्पष्ट कराई जावे।

**ADS- एकल प्रमाण-पत्र में ईको सेंसेटिव जोन से दूरी स्पष्ट नहीं है। अतः वन मण्डलाधिकारी से दूरी स्पष्ट कराई जावे।**

**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु पर चर्चा –

**Case No 10729/2023 Shri Rajesh Thakur, Owner, R/o Ward No. 7, Devi Mohalla, Bhaidehi, District-Betul (MP)-460220, Prior Environment Clearance for Dhudiyani Crusher Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (7684 cum per year) (Khasra No. 166/3), Village-Ghudiya Nai, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) [DEIAA]**

प्रकरण समिति की पूर्ण 729वीं बैठक दिनांक 06/03/24 को समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशांसा नहीं है के साथ ही कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश किसी अन्य परियोजना का विवरण दर्ज हो गया था के स्थान पर निम्नानुसार परियोजना का विवरण पढ़ा जावे :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAJESH THAKUR, Owner, WARD NO. 7 DEVI MOHALLA, BHAISEHI TEHSIL BHAISEHI DIST BETUL (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	166/3 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.1 hectare.
स्थल	ग्राम Ghudiya Nai तसहील Bhainsdehi जिला Betul (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय, संचालक एवं भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र पृ. क्रमांक 3046-48 दिनांक 22/02/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 114 दिनांक 01/04/2017 के द्वारा पत्थर-7684 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
नया/क्षमता विस्तार	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-7684 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-7684 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 232 दिनांक 08/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 01.85 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। साथ एक अन्य उत्खनि पट्टा रकबा 1.200 हे. क्षेत्र को निरस्त किया गया है और शेष 02 गड्ढे पूर्व खदानों के है, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है ।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल	



**763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 04 जून 2024**

अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक 232 दिनांक 08/02/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 232 दिनांक 08/02/2023 अनुसार 200 मीटर की दूरी पर जलाशय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धुडियानई जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 15/08/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पेड़ नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क है । दक्षिण दिशा में पूर्व में आवंटित उत्खनन गढ़वा लगा हुआ है । पूर्व दिशा में 80 मीटर की दूरी पर केशर प्लांट स्थित है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-64 पर दर्ज है ।

सिया की 850वीं बैठक दिनांक 15/05/24 को प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

“पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सेक के कार्यवाही विवरण में प्रकरण के कालक्रम में जिला बैतूल के स्थान पर इंदौर कालक्रम अंकित होने के दृष्टिगत प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु मौका दिया जाये व परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित खनन योजना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त कर सेक द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जाये ।”

उपरोक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित खनन योजना के साथ परिवेश पोर्टल में आवेदन प्राप्त होने पर समिति द्वारा पुनः विचार किया जा सकेगा ।

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

# 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 04 जून 2024

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/

# 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 04 जून 2024

Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

(separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

# 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 04 जून 2024

- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and casualty replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
  38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
  39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

### **Annexure- 'C'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.
  - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

- Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
  30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
  37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
  38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
  39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
  40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
  41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
  42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
  43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
  44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.



# 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 04 जून 2024

### Annexure- 'D'

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

# 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 04 जून 2024

- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

### खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिचिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से 1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15
---	---

## 763वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 जून 2024

	तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवीं, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

**Additional TOR points for Minor Minerals -**  
**In addition to Standard TOR**

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared prescribing mitigative measures for air, water & noise pollution.

2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form

**A- In government land**

1. In barrier Zone
2. In non- mining area (set back)
3. Along evacuation route
4. And in other places
5. Distribution to nearest farmers species of fruit, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal Plants.
6. Reclaimed area by backfilling, benches, dumps etc.

**B. In Fodder Land**

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP

B- In Private land – fruit bearing plant ( standard practice) or as P.P wants

C- Seed sowing in garland drain periphery of mine, bunds, canter trenches etc with local seeds.

3. **Set Back**– Show Ultimate Pit limit (Setback), Environment development plan, Geological/Development plan & Conceptual plan production plan with legend due to any changes in area as per the case sensitivity and according to present rules (NGT/CPCB guidelines).

1.	District Road	6	Railway line	11	Habitation,	16	ESZ area	21	water conservation structure
2.	Village Road	7	Wind mills	12	Temples	17	Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km	22	Trees inside the mine
3.	Public Road	8	Agriculture land	13	Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils Park and W.L. Niche/Archaeological Site if any,	18	Catchment area	23	Electric high tension line
4.	NH/SH	9	Natural drainage	14	Forest boundary /Revenue Forests	19	Stocked root (Area having)	24	Bridges /Culverts
5.	District Road	10	Nala/river/ Canal/ Tank/ Lake	15	1. Wildlife area /NP/WLS	20	Water conservation structures, stop dams	25	Tower , Shamshan
								26	Rare Endangered & Threatened Species (RET)

**4. For blasting or for non blasting:** if mine area lease within-

1. 250 m. of forest land or permitted area from Forest deptt.
2. ESZ areas, protected areas, Buffer area (Distance of site from the boundary)
3. If private land : Own/Agreement
4. Present depth of mine
5. Depth as approved in mining plan

6. In case of more depth then as given in mining plan sanction letter from DGMS Bhopal (Competent authority).
7. Proposed number of benches
8. Bench height and width
9. Conceptual depth of mine.
10. Water level
  - I. OWN
  - II. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
  - III. Cost benefit ratio
  - IV. If grass land : grass land development & maintenance
  - V. Catchment of the major river & its protection plan.

**5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.**

- Wildlife conservation plan in case of scheduled specified species as per MoEF guideline found
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

**6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report**

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- CER activities: Certificate and photograph
- Dump areas
- Proposed Production as per mining plan, EC, CTO & Production Achieved certified by M.O.

(A) If – Crusher & M-sand plant is in mining area

Surface plan includes ( if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Layout plan showing proposed crusher / M-sand
2. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
3. Barrier area zone
4. Setback for sensitiveness
5. Garlanding drain
6. Settling tank with sizes according to water surface plan
7. Crusher area /M.sand plant / Slurry
8. Dumping area year wise
9. Green area /Barrier area & in non-mining area
10. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print



**(B) If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

**7. SITE VISIT REQUIREMENTS :**

**Consultant must visit the site for B<sub>1</sub> and B<sub>2</sub> areas both: Following information/data is required to be collected during site visit**

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources
5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

**8. Regarding Public hearing**

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities

6. Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)
6. Sacred groves
7. Archaeological sites

9. **CER Activities** (as per project feasibility report )

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. **EMP as proposed in tabular form**

11. **Mining Activitiy:**

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Photograph of plantation, fencing, garlanding drain , settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on Layout plann to be enclosed
- slurry management

- Water requirement : Quantity & source

D. Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values

1. Stone - 10,000 m<sup>3</sup>/yr with crusher, 15000 m<sup>3</sup> /yr without crusher
2. murum- 20,000 m<sup>3</sup>/yr
3. Clay – 30,000 m<sup>3</sup>/yr with kiln & chimney

F. Soil profile (Not less then 3 pits)– with Geotag Photos required as below

To lease area /nearby areas

### Miscellaneous

A. Provision of fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m<sup>3</sup>/yr than provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

B. Waste Management elaborating usage & disposal

- In case of any change in method of mining, or change in Environment Plan, Geological Plan, Development plan, Production Plan, Conceptual Plan due to any sensitive features Approval from concern competent Authority.
- It there is difference in geo-coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR then DGPS report to be submitted approved by Mining Officer of concerned district.

## सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर

सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाकर प्रकरण विशेष से संबंधित ई.आई.ए की प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

संदर्भित पत्र जिन प्रकरणों के संबंध में स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नानुसार 11 अन्य टॉर बिन्दु के पालन करने के साथ ही Standard TOR जारी करने की अनुसंशा की जाती है :-

1. सेण्ड माइनिंग गाइड लाइन 2016 एवं 2020 के प्रावधानों का समावेश EIA में किया जायेगा।
2. मानवीय एनजीटी/हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का EIA में समावेश किया जाएगा।
3. क्षेत्र विशेष में जलीय जीव जन्तुओं की संवेदनशीलता के विषय में मतस्य विभाग का अभिमत लिया जावेगा एवं अभिमत के आधार पर इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जावेगा।
4. नदी क्षेत्र से 7.5 मीटर लगे वनस्पति/वृक्ष/झाड़ी को सुरक्षित रखा जावेगा एवं खनन कार्य से उन्हें होने वाली क्षति प्रभावी ढंग से रोकी जावेगी एवं प्रकरण विशेष को ध्यान में लाते हुए EIA में प्रावधान किये जावेगें।
5. खनन गतिविधियों के कारण जो Carbon footprint develop होगा, उनके प्रभाव दूर किये जाने के आधार पर प्रस्ताव EIA में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जावेगा।
6. नदी से सेण्ड गाईडलाइन के अनुसार 1 कि.मी. में यदि कोई बड़ा ब्रिज या अन्य संवेदनशील संरचना पायी जाती है तो इस हेतु सेतु निगम/PWD/RES से अनुमोदन प्राप्त कर EIA में प्रस्तुत किया जावेगा।
7. वृक्षारोपण/पौधा वितरण का कार्य सितम्बर/अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।

8. सामाजिक/आर्थिक विकास से संबंधित कार्य 1.2 वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।
9. खनिज का निकासी मार्ग EIA में दर्शित किया जाएगा ।
10. गाइडलाइन्स अनुसार Sand replenishment Study की जाएगी ।
11. EIA में DSR में दी गयी समस्त जानकारियों का समावेश किया जाएगा ।

## Appraisal for DEIAA to SEIAA & B-1 Cases (As per Form - 1):

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊंचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु

प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.  
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs  
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि हिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।



## Standard ToR for Building Construction Project

### For Duplex and Town Plantation

1. Total area
2. Total Green Area
3. Plantation Scheme
4. STP, BOD 3 mg/Liter से अधिक नहीं
5. STP type and capacity.
6. Estimated Power requirement.
7. Power consumption 30% of the total consumption in electricity.
8. Public utility facilities for maid/drivers.
9. Number of Parking & EV charging points
10. Population - No.
11. Solar lights
12. Tree inventory
13. Estimate Carbon footprint.
14. Carbon sequestration arrangement & mitigation plan.
15. Provision of Roof solar panel of each house.
16. Feeder Roads length & width.
17. Road side plantation with in the permission
18. Fencing/Boundary wall & plantation on periphery
19. Tree inventory if cutting no of tree to be .....
20. If no of trees more then Ecological loss study avian fauna study.
21. Number and capacity of D.G. Set.
22. In campus - if any commercial shops an there 1. Parking 2. Utility plans
23. If Any sensitive feature \_\_\_\_\_
24. Case to be appraised through recent Google image & back images.
25. Any Violation.

## 1. Multi Stored & Commercial Building

- I. Total Area
- II. Total height of the buildings
- III. Total plinth area
- IV. Green space, plantation scheme
- V. Distance between two tower
- VI. Number Floors
- VII. Sun path studies
- VIII. Total flats
- IX. Utilities for every floor
- X. Parking - Floor \_\_\_\_\_

Green flow – Total calculation no of vehicles

- XI. Number of EV Charging points
- XII. No of families
- XIII. Floating person
- XIV. Feeder roads length width
- XV. Fire protection total cost
- XVI. Rooting Rooms Toilets for maids etc.
- XVII. Present Google image
- XVIII. Back image also
- XIX. STP - BOD upto 3.0 mg/L
- XX. STP type and capacity.
- XXI. Rain harvesting system
- XXII. Solar panel 30% of total consumption by solar street lights
- XXIII. Estimated power requirement.
- XXIV. Estimated Carbon footprint.
- XXV. Carbon sequestration & mitigation
- XXVI. Any other sensitive feature.
- XXVII. Lawn, Green, Garden/Play ground etc.
- XXVIII. Earth Quake Zone.
- XXIX. Earth quake resistance provision.

### Regarding shops

- I. Floating population
- II. Utility facilities
- III. Parking etc

- CER - As per Public Hearing  
Physical/Costing

- Year of plantation to be completed.
- CER works completion time
- Plants inventory / No of tree to be cut according with Google image
- If any violation.
- If no of cutting trees more than Ecological loss assessment to be studied.
- No. of D.G. set & its Power
- No. lifts/floor wise
- In campus if any commercial shops
  - Then parking
  - Utility places
- Fencing by Boundary wall & or Wire fencing
- Periphery length & plantation – No. of Rows  
Width of plantation.